# भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक
# का प्रतिवेदन
# सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का पुनर्पूंजीकरण

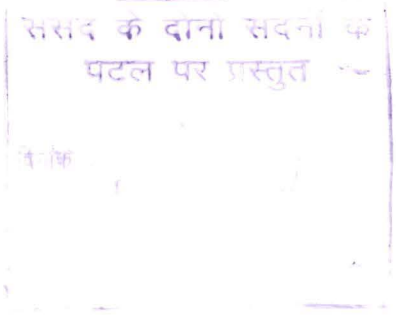


संघ सरकार
वित्त मंत्रालय
2017 की प्रतिवेदन संख्या 28
(निष्पादन लेखापरीक्षा)

# विषय सूची


| विवरण | पृष्ठ संख्या |
|---|---|
| प्राक्कथन | i |
| कार्यकारी सार | iii-vii |
| अध्याय I – परिचय | 1 |
| अध्याय II – लेखापरीक्षा पद्धति | 18 |
| अध्याय III – पी एस बी में भारत सरकार द्वारा पूँजीगत निधियों का प्रवाह | 20 |
| अध्याय IV – पी एस बी में पूँजी प्रवाह की निगरानी | 32 |
| अध्याय V – पी एस बी के पुनर्पूंजीकरण का विश्लेषण | 40 |
| अध्याय VI – पी एस बी की आस्ति गुणवत्ता स्थिति | 45 |
| अध्याय VII – निष्कर्ष एवं अनुशंसाएँ | 58 |
| अनुलग्नक | 61–72 |
| शब्दावली | 73–75 |

# प्राक्कथन

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का यह प्रतिवेदन भारत के संविधान के अनुच्छेद 151 के अन्तर्गत संसद के समक्ष रखे जाने के लिए भारत के राष्ट्रपति को प्रस्तुत करने हेतु तैयार किया गया है।

इस प्रतिवेदन में 2008–09 से 2016–17 की अवधि के लिए 'सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के पुनर्पूंजीकरण' पर लेखापरीक्षा के परिणाम सम्मिलित हैं।

यह प्रतिवेदन वित्तीय सेवाओं का विभाग, वित्त मंत्रालय में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के पुनर्पूंजीकरण से संबंधित मिसिलों और दस्तावेजों की जाँच का परिणाम है।

# कार्यकारी सार

# कार्यकारी सार

## I. परिचय

अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (एस सी बी) द्वारा प्राप्त की गई जमाओं और दिए गए अग्रिमों के 70 प्रतिशत से अधिक का उत्तरदायित्व सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक (पी एस बी) संभालते हैं। पी एस बी की पूँजी अपेक्षा अर्थव्यवस्था और विवेकपूर्ण विनियामक आवश्यकताओं में क्रेडिट वृद्धि से प्रेरित है। बैंकिंग पर्यवेक्षण पर बेसल समिति द्वारा बैंकों के लिए विश्व स्तर पर नियामक ढाँचा तैयार किया जाता है, जिसे आर बी आई द्वारा भारतीय बैंकों के लिए अपनाया जाता है। 2008–16 के दौरान, पी एस बी के अग्रिम ₹ 22,59,212 करोड़ से ₹ 55,93,577 करोड़ तक बढ़कर, दोगुने से भी ज्यादा हो गए हैं, जबकि अग्रिम में वृद्धि की दर वर्ष 2009–10 में 19.56 प्रतिशत से घटकर 2015–16 में 2.14 प्रतिशत हो गई है। पी एस बी की आस्तियों पर आय (आर ओ ए) जो कि उनके लाभ का एक मापक है, एस सी बी (2011–16) की तुलना में लगातार कम रही है। 2015–16 में बैंकिंग क्षेत्र की सकल अनर्जक आस्तियों (जी एन पी ए) के लगभग 88 प्रतिशत के लिए पी एस बी उत्तरदायी हैं। पी एस बी शेयरों के बही मूल्य और बाजार मूल्य के बीच एक महत्वपूर्ण अंतर है, जिसमें ज्यादातर पी एस बी कम बाजार मूल्य वाले हैं, जो अतिरिक्त पूँजी निधियों के लिए बाजार पहुँचने वाले पी एस बी के मार्ग में आ सकते हैं।

## II. पी एस बी में भारत सरकार द्वारा पूँजीगत निधियों का प्रवाह

भारत सरकार ने 2008–09 से 2016–17 के दौरान पी एस बी में ₹ 1,18,724 करोड़ लगाए। लेखापरीक्षा ने पाया कि वित्त वर्ष 2010–11 में पूँजी प्रवाह के दूसरे चरण के लिए वित्तीय सेवा विभाग (डी एफ एस) द्वारा बिना किसी स्वतन्त्र सत्यापन के केवल पी एस बी से प्राप्त सूचना के आधार पर ही, पी एस बी में ₹ 6,423 करोड़ लगा दिए गए। लेखापरीक्षा यह सत्यापित नहीं कर सका कि क्या पी एस बी में पूँजी की आवश्यकता के संबंध में डी एफ एस द्वारा अनुमानित आकलन बैंकों की आई सी ए ए पी और ए एफ आई रिपोर्टों के अनुरूप है।

2011–12 से 2014–15 के दौरान पी एस बी ने (फरवरी/मार्च 2012) डी एफ एस के साथ पी एस बी में प्रदर्शन आधारित पूँजी प्रवाह के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। हालांकि, वास्तविक पूँजी प्रवाह एम ओ यू लक्ष्यों के अनुरूप उपलब्धि पर आधारित नहीं था। पूँजीगत प्रवाह के लिए मानक तैयार करने के आधार, वास्तविक और अनुमानित

मूल्यों के बीच एक वर्ष से दूसरे वर्ष में और कई बार एक ही वर्ष के विभिन्न चरणों में (2010–11, 2015–16 और 2016–17) बदल गए। वित्त वर्ष 2014–15 के लिए, पूँजी प्रवाह हेतु आधार के लिए 'जरूरत पर आधारित' से 'प्रदर्शन पर आधारित' रूप में परिवर्तन आया था, जिसमें आर ओ ए को पूँजी प्रवाह के लिए आधार मानदंड के रूप में नियुक्त किया गया था।

**(पैरा 3.3, 3.4.2, 3.4.3 एवं 3.4.4.1)**

इन्द्रधनुष योजना के अनुसार, वित्त वर्ष 2015–16 के लिए, पी एस बी को वित्त वर्ष 2015–16 में तीन तिमाहियों के दौरान उनके प्रदर्शन के आधार पर निर्धारित पूँजी प्रवाह का 20 प्रतिशत आंवटित किया जाना था जिसका आर बी आई द्वारा आस्ति गुणवत्ता समीक्षा के कारण अनुपालन नहीं किया जा सका था। वित्त वर्ष 2016–17 में भी, डी एफ एस ने (मार्च 2016) निर्णय लिया कि 2016–17 में पूँजी का 25 प्रतिशत पहले वितरित किया जाएगा और शेष 75 प्रतिशत को पी एस बी द्वारा मात्रात्मक लक्ष्यों की उपलब्धियों के आधार पर वितरित किया जाएगा। जुलाई 2016 में इस निर्णय को उलट दिया गया था। अन्त में, चूंकि अधिकतर पी एस बी की उपलब्धि निर्धारित लक्ष्य से कम थी, 2016–17 में पूँजी प्रवाह के लिए प्रदर्शन को आधार के रूप में नहीं माना गया था।

**(पैरा 3.4.4.2 एवं 3.4.4.3)**

वित्त वर्ष 2011–12 में, एस बी आई एक मात्र पी एस बी था जिसमें नियामक आवश्यकता के ₹ 5,874 करोड़ के स्थान पर ₹ 7,900 करोड़ का निवेश इस आधार पर किया गया था कि बेसल III, के आसन्न मानदंडों के साथ, एस बी आई को एक 11 प्रतिशत का टियर I सी आर ए आर लक्ष्य बनाए रखना आवश्यक होगा। भविष्य के वर्षों में एस बी आई के लिए 11 प्रतिशत के मानक का पालन नहीं किया गया था। वर्ष 2013–14 के दौरान, चार पी एस बी, जिनमें भारत सरकार की शेयरधारिता 58 प्रतिशत से अधिक थी और जिन्हें टियर I सी आर ए आर लक्ष्य की पूर्ति के लिए किसी पूँजी की आवश्यकता नहीं थी, में ₹ 2,900 करोड़ की पूँजी का निवेश किया गया। यह इसके बावजूद किया गया कि 11 पी एस बी जिन्हें टियर I सी आर ए आर लक्ष्य को पूरा करने के लिए पूँजी की आवश्यकता थी, उनकी आवश्यकता को पूरा नहीं किया गया था।

2015–16 और 2018–19 के बीच, इन्द्रधनुष के अन्तर्गत पी एस बी द्वारा बाजार से ₹ 1,10,000 करोड़ की पूँजी जुटाने के लक्ष्य के विरूद्ध, जनवरी 2015–मार्च 2017 के दौरान, केवल ₹ 7,726 करोड़ ही जुटाए जा सके।

**(पैरा 3.5.1, 3.5.2 एवं 3.6)**

## III पी एस बी में पूँजी प्रवाह की निगरानी

पी एस बी के प्रदर्शन पर निगरानी रखने के लिए उद्देश्यों का विवरण (एस ओ आई) जारी किया गया था, जिसमें मापदंडों के समक्ष लक्ष्य निर्धारित थे। नौ वर्ष की समीक्षा में, केवल एक वर्ष में पूँजी के निवेश के लिए पाँच पी एस बी को जारी की गई स्वीकृतियों में शर्तों को निर्धारित किया गया था। लेखापरीक्षा में देखा गया कि ये शर्तें उसी अवधि के लिए एस ओ आई में समान मापदंडों के लिए निर्धारित लक्ष्यों से बहुत भिन्न थीं।

**(पैरा 4.1 एवं 4.1.1)**

पी एस बी ने (फरवरी/मार्च 2012) डी एफ एस के साथ (प्रदर्शन आधारित पूँजी प्रवाह के लिए) समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए जिसमें नौ मापदंडों के लक्ष्य थे। युनाईटेड बैंक ऑफ इण्डिया और पंजाब नेशनल बैंक के लिए सी ए एस ए के लक्ष्य और लागत आय अनुपात लक्ष्य वर्ष–प्रति–वर्ष कम हो रहे थे। कुछ पी एस बी (बैंक ऑफ महाराष्ट्र, बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया और इंडियन बैंक) के लिए आर बी आई रेटिंग के घटकों के लिए निर्धारित लक्ष्य निश्चित नहीं थे। वर्ष 2011–12 के लिए लक्ष्य, वर्ष के समापन के निकट फरवरी/मार्च 2012 में निश्चित किए गए, जबकि एस बी आई और इसके सहयोगी पी एस बी के लिए, 2011–12 के लक्ष्य अप्रैल 2012 में निश्चित किए गए थे। एम ओ यू पाँच वर्ष की अवधि के लिए वैध थे, यद्यपि, सैन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया के अपवाद के साथ, अन्य पी एस बी के संबंध में, हस्ताक्षर किए गए एम ओ यू में लक्ष्यों को 2014–15 तक पूर्ण करना था। एस ओ आई के अन्तर्गत 44 मापदंडों में से पाँच मापदण्ड (सी ए एस ए, आर ओ ए, प्रति कर्मचारी शुद्ध लाभ, लागत आय अनुपात और शाखाओं में कर्मचारियों का कुल कर्मचारियों से अनुपात) एम ओ यू और एस ओ आई के बीच एक समान हैं। एक ही मापदंड के लिए एस ओ आई और एम ओ यू में लक्ष्यों के बीच महत्वपूर्ण भिन्नताएँ थी। 2011–12 से 2014–15 तक, 21 पी एस बी से 273 प्रगति रिपोर्टें प्राप्त की जानी थी, परन्तु, केवल 21 ही प्राप्त हुई थीं। 2011–12 से 2013–14 तक पाँच मापदंडों के संबंध में निर्धारित लक्ष्यों के मुकाबले यह उपलब्धि कम थी।

**(पैरा 4.2, 4.2.1, 4.2.2, 4.2.3, 4.2.4, 4.2.5, 4.2.6 एवं 4.2.7)**

## IV पी एस बी के पुनर्पूंजीकरण का विश्लेषण

पी एस बी के पुनर्पूंजीकरण के प्रभाव को समझने के लिए, उन्हें दो श्रेणियों में विभाजित किया गया, श्रेणी । जिन्होंने अपने नेटवर्थ के अनुपात के रूप में भारत सरकार की पूँजी का कम अंश (25 प्रतिशत से कम) प्राप्त किया, और श्रेणी ॥ जिन्होंने अपने नेटवर्थ के अनुपात के रूप में भारत सरकार की पूँजी का अधिक अंश (25 प्रतिशत या 25 प्रतिशत से अधिक) प्राप्त किया। अग्रिमों की वृद्धि दर सामान्य रूप से, श्रेणी ॥ पी एस बी में श्रेणी ।

पी एस बी की तुलना में कम थी। श्रेणी II पी एस बी का औसत आर ओ ए और आर ओ ई श्रेणी I पी एस बी की तुलना में कम था। श्रेणी II पी एस बी का औसत सी आर ए आर श्रेणी I पी एस बी की तुलना में निरन्तर कम था।

**(पैरा 5.2, 5.3, 5.4.2 एवं 5.6)**

## V पी एस बी की आस्ति गुणवत्ता स्थिति

बैंकों में एन पी ए के उच्च स्तर अर्थव्यवस्था को प्रभावित करते हैं क्योंकि बैंक क्रेडिट आर्थिक विकास के लिए एक उत्प्रेरक है। पी एस बी के जी एन पी ए ₹ 2.27 लाख करोड़ (31 मार्च 2014) से बढ़कर 31 मार्च 2017 को ₹ 6.83 लाख करोड़ (अन्तरिम) तक पहुँच गए। 17 पी एस बी की समीक्षा में 12 के मामले में, पी एस बी और आर बी आई द्वारा मान्यता प्राप्त एन पी ए और उनके विरूद्ध किए गए प्रावधानों के बीच, 15 प्रतिशत से अधिक के महत्वपूर्ण अन्तर के मामले पाए गए। परिणाम–स्वरूप शुद्ध मुनाफे का अनुमान अधिक था। 2011–12 से 2016–17 के दौरान औसत प्रावधान कवरेज अनुपात (पी सी आर) 67.11 प्रतिशत से 55.22 प्रतिशत तक कम हो गया था। 2011–12 से पी एस बी में जी एन पी ए अनुपात एस सी बी की तुलना में अधिक था, जो कि 2015–16 में 9.91 प्रतिशत तक पहुँच गया। नई अनर्जक आस्तियाँ 2008–09 में 1.39 प्रतिशत से बढ़कर 2015–16 में 6.90 प्रतिशत हो गई। पी एस बी के लिए, 2010–11 और 2014–15 के बीच सामान्यतः वसूली दर अपलेखन दर से कम रही। आधार भूत ढाँचे, लोहे और इस्पात और वस्त्र क्षेत्रों में दिया गया अग्रिम जी एन पी ए का एक महत्वपूर्ण घटक है। यद्यपि भारत सरकार और आर बी आई ने एन पी ए को कम करने के लिए ऋण वसूली अधिकरणों, लोक अदालतों, सरफेसी अधिनियम और ऋण पुनर्गठन के लिए योजनाओं के रूप में कदम उठाए हैं आशा की जाती है कि संशोधित त्वरित सुधारात्मक योजना ढाँचा (अप्रैल 2017) और बैंकिंग विनियमन (संशोधन) अध्यादेश 2017 की घोषणा जैसे उपाय, आगे इस मामले को हल करेंगे।

**(पैरा 6.2, 6.3.1, 6.3.2, 6.4.2, 6.5.1, 6.8.1, 6.6.2 एवं 6.9)**

## VI अनुशंसाएँ

1. *एक बार निधि के प्रवाह के लिए मानंदड के, अंतिम रूप प्राप्त करने के पश्चात, उसे सभी पी एस बी में सुसंगत रूप से लागू किया जाए हालाँकि भिन्नता के मामले में, कारणों को अच्छी तरह से प्रलेखित किया जाना चाहिए।*

2. *वार्षिक रूप से निधि के प्रवाह की मात्रा का आकलन करते समय डी एफ एस द्वारा बैंक विशिष्ट आई सी ए ए पी दस्तावेजों पर विचार किया जाए।*

3. *निधि के प्रवाह का उद्देश्य, जिसके लिए सी सी ई ए अनुमोदन लिया गया है का पालन किया जाए। निधि के प्रवाह के उद्देश्य में यदि परिवर्तन आवश्यक हो तो उसे कार्यान्वित किये जाने से पहले सी सी ई ए द्वारा अनुमोदित किया जाए।*

4. *एक प्रभावशाली निगरानी प्रणाली होनी चाहिए तथा इस प्रणाली को निधि के प्रवाह के अभीष्ट उद्देश्यों की पूर्ति को सुनिश्चित करना चाहिए।*

5. *वित्तीय सेवा विभाग द्वारा यह सुनिश्चित करने के लिए प्रयास किए जाएँ कि पी एस बी अपलेखन की तुलना में वसूली की मात्रा को बढ़ाएँ।*

# अध्याय–I
# परिचय

## 1.1 भारत में बैंकिंग प्रणाली

**1.1.1** बैंक, वित्तीय प्रणाली के भीतर ग्राहकों को ऋण प्रदान करने, जमायें स्वीकार करने और अन्य सेवायें प्रदान करने का काम करते हैं। एक मजबूत और लचीली बैंकिंग प्रणाली स्थायी आर्थिक विकास की नींव है जिसमें बैंक क्रेडिट मध्यस्थता प्रक्रिया का केन्द्र होते हैं। बैंक, उपभोक्ताओं, छोटे और मध्यम आकार के उद्यमों, बड़े कॉर्पोरेट फर्मों और सरकारों को महत्वपूर्ण सेवायें प्रदान करते हैं जो उन पर घरेलू और अन्तर्राष्ट्रीय दोनों स्तर पर अपने दैनिक कारोबार का संचालन करने के लिए आश्रित होते हैं। अर्थव्यवस्था के लिए उनकी अति आवश्यकता के कारण बैंकों को अक्सर बड़े पैमाने पर विनियमित किया जाता है, जहाँ नियमों को सार्वजनिक हितों की रक्षा के लिए निर्मित किया जाता है।

**1.1.2** भारत में बैंकिंग प्रणाली में वाणिज्यिक एवं सहकारी बैंक सम्मिलित हैं जिनमें अधिकांश बैंकिंग आस्तियों के लिए वाणिज्यिक बैंक जिम्मेदार हैं। वाणिज्यिक बैंकों में 21 सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक, 26 निजी क्षेत्र के बैंक, 43 विदेशी बैंक और 56 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शामिल हैं। सहकारी ऋण संस्थानों के अलावा 1,574 शहरी सहकारी बैंक और 93,913 ग्रामीण सहकारी बैंक हैं। वाणिज्यिक बैंकिंग ढांचे में मुख्य रूप से अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (एस सी बी) शामिल हैं जो भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची में शामिल हैं। एस सी बी में मुख्य रूप से निम्न शामिल हैं:

- स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया एवं इसके सहयोगियों[1] और अन्य राष्ट्रीयकृत बैंकों सहित सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक (पी एस बी)
- निजी क्षेत्र के बैंक
- विदेशी बैंक
- क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक

## 1.2 भारतीय बैंकिंग प्रणाली में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का महत्व

सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक वे बैंक हैं जिनमें बहुमत हिस्सेदारी सरकार की होती है। पी एस बी भारतीय बैंकिंग प्रणाली का एक सबसे बड़ा घटक है, जो एस सी बी द्वारा दिये गये अग्रिमों एवं जमाओं के 70 प्रतिशत के लिए जिम्मेदार है। भारतीय बैंकिंग प्रणाली में पी एस बी ने लगातार, आस्तियों का बड़ा हिस्सा प्राप्त किया है जैसा कि तालिका 1.1 से देखा जा सकता है।

---

[1] एस बी आई के पाँच सहयोगी थे–स्टेट बैंक ऑफ मैसूर, स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर, स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर और जयपुर, स्टेट बैंक ऑफ पटियाला, स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद, इनका विलय इसमें 1 अप्रैल 2017 से कर दिया गया।

**तालिका 1.1. भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के व्यापार के शेयरों में रूझान**

*(प्रतिशत में)*

| वर्ष | 2011-12 | 2012-13 | 2013-14 | 2014-15 | 2015-16 |
|---|---|---|---|---|---|
| एस सी बी के कुल अग्रिम में पी एस बी का हिस्सा | 76.4 | 76.1 | 75.7 | 74.1 | 70.8 |
| एस सी बी की कुल आस्तियों में पी एस बी का हिस्सा | 72.6 | 72.6 | 72.6 | 72.1 | 69.9 |
| एस सी बी की कुल जमा राशि में पी एस बी का हिस्सा | 77.5 | 77.3 | 77.2 | 76.3 | 74.2 |

*(स्रोतः भारत में बैंकों से संबंधित आर बी आई सांख्यिकी सारणी)*

इसके अलावा, पी एस बी अपने जनादेश के तहत कृषि क्षेत्र, मध्यम, लघु और सूक्ष्म उद्योग क्षेत्र (एम एस एम ई क्षेत्र), कमजोर वर्गों, स्वयं सहायता समूहों, सरकार प्रायोजित कार्यक्रमों सहित प्राथमिकता वाले क्षेत्र को शामिल करते हुये अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में ऋण का विस्तार करते हैं। इस प्रकार पी एस बी, न केवल उनके द्वारा विस्तारित ऋण की मात्रा में बल्कि उन 'क्षेत्रों जिनके पास ऋण अभाव हैं', को शामिल करते हुये अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों को ऋण विस्तारित करने में महत्वपूर्ण हैं।

## 1.3 पी एस बी में शेयरधारिता का स्वरूप

**1.3.1** बैंकिंग कम्पनी (उपक्रम का अधिग्रहण एवं हस्तान्तरणं) अधिनियम 1970/1980 और भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम, 1955 में सांविधिक आवश्यकता है कि भारत सरकार, सभी पी एस बी में किसी भी समय प्रत्येक पी एस बी के वोटिंग इक्विटी शेयर सहित 51 प्रतिशत से कम चुकता पूँजी नहीं रखेगी। पी एस बी को, अपने सार्वजनिक स्वरूप से समझौता किए बिना किसी भी भविष्य की तारीख में बाजार से पूँजी जुटाने में सक्षम बनाने व शीर्षान्तर प्रदान करने के लिए, आर्थिक मामलों की मंत्रिमण्डलीय समिति (सी सी ई ए) ने सभी पी एस बी में भारत सरकार की अधिसम्पत्ति को 58 प्रतिशत तक बढ़ाने का निर्णय लिया (दिसम्बर 2010)। इसके बाद, सी सी ई ए ने पी एस बी को, उनकी पूँजी आवश्कताओं, शेयर प्रदर्शन, तरलता, बाजार मांग और अन्य परिस्थितियां जो पूँजी और स्रोतों के प्रभावशाली उपयोग को निर्धारित करती हों, के अनुसार सरकारी अधिसम्पत्ति को चरणबद्ध तरीके से 52 प्रतिशत तक कम कर अनुवर्ती सार्वजनिक प्रस्ताव (एफ पी ओ) या अर्हता प्राप्त संस्थागत स्थानन (क्यू आई पी) द्वारा मामले के आधार पर, प्रत्येक पी एस बी के लिए वित्तमंत्री के विशिष्ट अनुमोदन के साथ, बाजार से पूँजी प्राप्त करने की अनुमति देने का निर्णय लिया (दिसम्बर 2014)।

**1.3.2** हालाँकि, पी एस बी में भारत सरकार की शेयरधारिता लगातार इन सीमाओं (52 या 58 प्रतिशत) से काफी अधिक रही है। इसके अतिरिक्त, जीवन बीमा निगम (एल आई सी) का विभिन्न पी एस बी में महत्वपूर्ण शेयर है। 2010–11 से 2016–17 के दौरान 21 पी एस बी में शेयरधारिता

का स्वरूप **अनुलग्नक–I** में है। 31 मार्च 2017 को पी एस बी का शेयरधारिता स्वरूप निम्न चार्ट में दिखाया गया है:

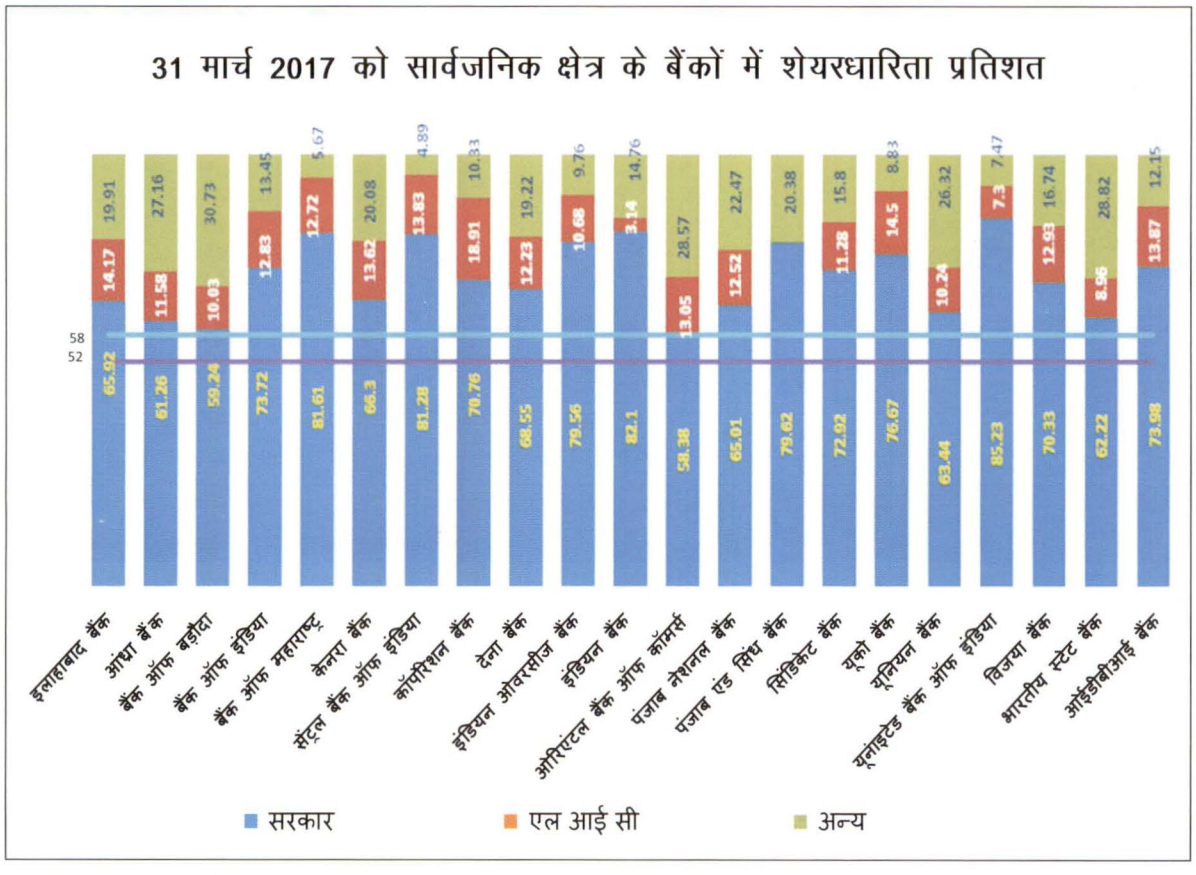


*(स्रोतः बी एस ई और एन एस ई की वेबसाइटें)*

## 1.4 पी एस बी की पूँजी संरचना और अतिरिक्त पूँजी की आवश्यकता

**1.4.1** पी एस बी की पूँजी संरचना में विभिन्न प्रकार की देनदारियां शामिल हैं जो कि बैलेंस शीट की आस्तियों के पक्ष में बैंक के उधार और निवेश गतिविधि को निधि देने के लिए होती है:

- **शेयरधारकों के फंड** में पी एस बी की इक्विटी पूँजी (सामान्य इक्विटी और अधिमान शेयर दोनों), संचित निधि और अधिशेष, पिछली अवधि में अर्जित आय शामिल हैं। ये निवेशों के वित्तपोषण के लिए आस्ति पक्ष में दर्शाये गए बैंक के निजी स्रोत हैं। लेखा के परिप्रेक्ष्य से बैंक की इक्विटी पूँजी की राशि नेट वर्थ है जो यह दर्शाता है कि कितने मार्जिन से बाहरी देयताओं से आस्तियाँ अधिक होती हैं, अर्थात् जितने मार्जिन से जमा निधियों और लम्बी अवधि के उधारों को रक्षित किया जाता है यदि बैंक को अपनी आस्तियों का परिसमापन करना होता है। इक्विटी निधि की कीमत उच्च है, इक्विटी शेयरधारकों को लाभांश और पूँजीगत प्रोत्साहन के माध्यम से रिटर्न दिया जाता है।

- **बाजार से उधार** अन्तरबैंकिंग ऋण, पुनः खरीद समझौतों, मुद्रा बाजार उधार और बौंड जारी करके लिया जाता है। इन प्रबंधित देनदारियों को अधिक अस्थिर और

दर–संवेदनशील जमा निधियों के अधीन किया जाता है और इनकी पहुँच बाजार तरलता और बैंक की अपनी क्रेडिट योग्यता पर आधारित होती है। उधार सुरक्षित या असुरक्षित हो सकते हैं।

- **ग्राहकों से प्राप्त जमायें** बैंकों का प्रमुख निधि स्रोत हैं जो न्यूनतम लागत पर उपलब्ध बैंक की सबसे प्रमुख संविदात्मक देनदारियाँ हैं।

**1.4.2** बैंक देनदारियों का उपयोग निवेशों और अग्रिमों में पूँजी लगाने में किया जाता है जो इसकी आस्तियों का निर्माण करती हैं।

**चित्र 1: बैंक पूंजी संरचना एवं पूंजी पर्याप्तता**

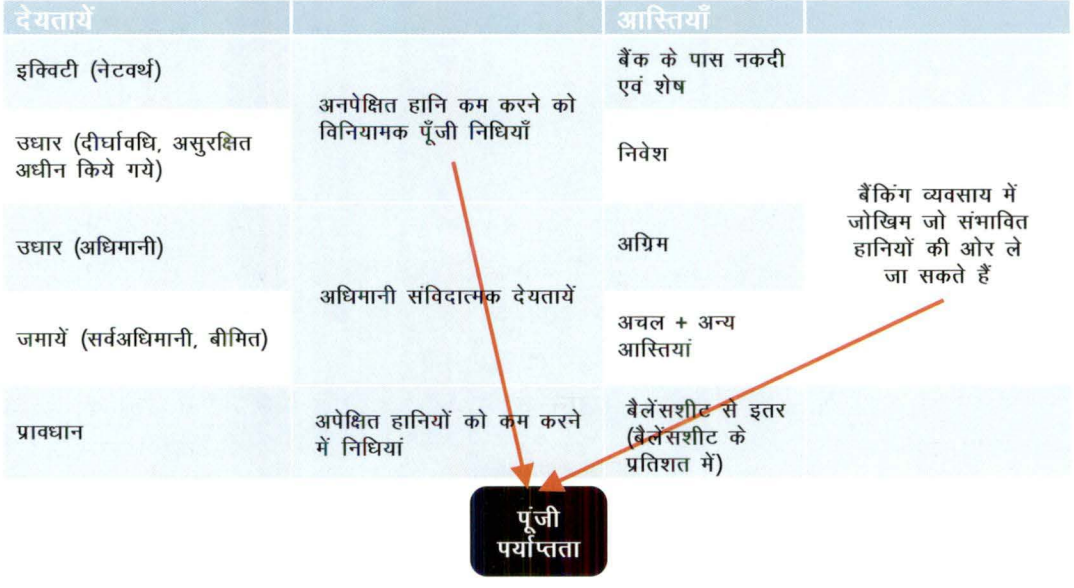


बैंक आस्तियां कई जोखिमों से प्रभावित हो सकती हैं (निधि पर आधारित[2] और निधि पर न आधारित[3] ऋण पर क्रेडिट जोखिम, निवेशों एवं ऑफ बैलेंस शीट डेरिवेटिवों पर बाजार जोखिम, व्यापारिक बहियों एवं बैंकिंग में जोखिम और परिचालन संबंधी जोखिम) जिनसे भविष्य में हानि हो सकती है। आस्तियों की कम गुणवत्ता (अग्रिम जिनकी वसूली की संभावना कम हो) के कारण प्रावधान बनाने की आवश्यकता हो सकती है जिसके कारण बैलेंसशीट पर बोझ पड़ सकता है। दूसरी तरफ; बैंक की जमायें और बाजार उधारियां संविदात्मक देयतायें हैं, जिसका भुगतान समय पर न होने पर, बैंक असफल (दिवालिया) हो सकते हैं। इसी सन्दर्भ में बैंकों की अपनी पूँजी (इक्विटी पूँजी और अधीनस्थ ऋण) महत्वपूर्ण बन जाती है जो बैंक को दिवालिया किये बगैर हानियां को अवशोषित कर सकती हैं। बैंक पूँजी का प्राथमिक कार्य बैंक के परिचालन में सहायता करना, असंभावित हानियों एवं आस्ति के मूल्य में गिरावट को अवशोषित करने के लिए सहारे का कार्य करना अन्यथा जिनके कारण बैंक असफल हो सकते हैं, और परिसमापन[4] के समय ऋणधारकों और अबीमित जमाकर्ताओं को सुरक्षा प्रदान करना है। अतः पूँजी उन बैंकों के लिए अति आवश्यक है जो अन्य व्यवसायों की तुलना में उच्च लीवरेज या कर्जभार रखते हैं। विनियामक परिप्रेक्ष्य से, पी एस बी

---

[2] निधि आधारित क्रेडिट–ऋण और अग्रिम

[3] गैर–निधि आधारित क्रेडिट–बैंक गारंटी, साख पत्र आदि।

[4] यू एस फेडेरल रिजर्व के अनुसार बैंक की पूंजी के कार्य

के पास बड़ी हानियों को अवशोषित करने के लिए पर्याप्त पूँजी निधि होनी चाहिए जिससे कि जमाकर्ता की निधि पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े। बैंक पूँजी जितनी अधिक मात्रा में होगी, जमाकर्ताओं की निधि उतनी ही सुरक्षित होगी। अतः बैंकिंग विनियमों के अनुसार बैंक अपनी आवश्यक न्यूनतम पूँजीगत आवश्यकताओं को पूरा करे जिससे कि बैंक की ऋणशोधन क्षमता, सुरक्षा और बैंकिंग प्रणाली की मजबूती कायम रहे।

## 1.5 पी एस बी के अतिरिक्त पूँजीकरण के लिए कुछ संचालक

भारतीय बैंकिंग प्रणाली में पी एस बी एक सबसे बड़ा क्षेत्र है जिसमें मुख्य विनियामक आवश्यकताओं को पूरा करते हुये उच्च क्रेडिट क्षमता प्राप्त करने के लिए पूँजी लगाने की जरूरत है। पी एस बी की व्यवसाय योजना एवं उनकी जोखिम सहनशीलता को ध्यान में रखते हुए, पूँजी पर्याप्तता की विनियामक आवश्यकतायें एवं क्रेडिट वृद्धि जरूरतें, पी एस बी के अतिरिक्त पूँजीकरण के लिए दो महत्वपूर्ण संचालक हैं।

### 1.5.1 पूँजी पर्याप्तता आवश्यकतायें

**1.5.1.1** बैंकिंग पर्यवेक्षण पर बेसल समिति (बी सी बी एस) द्वारा वैश्विक स्तर पर बैंकों के विनियामक ढाँचे को तैयार किया जाता है जो बैंक पर्यवेक्षकों की एक समिति है जिसमें प्रतिनिधि[5] देशों के सदस्य सम्मिलित हैं। बेसल समिति बैंकों के विवेकपूर्ण विनियमन के लिए विश्व स्तर पर प्राथमिक मानक निर्माणकर्ता है और बैंकिंग पर्यवेक्षण मामलों पर सहयोग के लिए एक मंच प्रदान करता है। इसका अधिदेश वित्तीय स्थिरता बढ़ाने के उद्देश्य के साथ, विश्वभर में बैंक के विनियमन, पर्यवेक्षण और व्यवसाय को मजबूत बनाना है। आर बी आई बेसल मानकों का पालन करता है, यद्यपि आर बी आई के मानक प्रायः बेसल मानकों से अधिक सख्त होते हैं।

**1.5.1.2** अब तक, बेसल मानकों के तीन सेट जारी हो चुके हैं। बी सी बी एस ने सर्वप्रथम बेसल I मानक 1988 में, बैंकों की विनियामक पूँजी आवश्यकताओं को वैश्विक मानक प्रदान करने के लिए, जारी किया। इसे न्यूनतम पूँजी पर्याप्तता अनुपात (सी ए आर) द्वारा अधिरोपित किया गया, जो विनियामक पूँजी निधि और जोखिम भारित आस्तियों के अनुपात के रूप में अभिव्यक्त किया जाता है जिसका अन्तर्राष्ट्रीय तौर पर सक्रिय सभी बैंकों को निर्वाह करना होता है। सी ए आर को पूँजी और जोखिम भारित आस्ति अनुपात (सी आर ए आर) भी कहते हैं।

$$\text{सी ए आर} = \frac{\text{विनियामक पूँजी निधियाँ}}{\text{जोखिम भारित आस्तियाँ (आर डब्ल्यू ए)}}$$

[5] प्रतिनिधि–बी सी बी एस में प्रतिनिधि देशों की संख्या समय के साथ बदलती रही है। बेसल I एवं II के सूत्रीकरण के समय, आर बी आई, बी सी बी एस का भाग नहीं था। तथापि, बेसल III के अभिकल्पना के समय, आर बी आई, बी सी बी एस में जी–20 देशों के भाग के रूप में उपस्थित था।

इसके बाद, 2004 में बेसल II मानकों को लाया गया जिन्होंने पूँजी पर्याप्तता, जोखिम प्रबन्धन और प्रकटीकरण आवश्यकताओं के दिशानिर्देशों को और मजबूत बनाया। इसके बाद 2010 में मानकों को बेसल III में पुनः संशोधित किया गया।

**1.5.1.3** बेसल मानकों में परिभाषित बैंकों की विनियामक पूँजी निधियों में टियर I और टियर II की पूँजी शामिल है।

- **टियर I पूँजी** में मुख्यतः शेयर पूँजी और प्रकटीकृत निधि (गुडविल घटाकर, यदि कोई है) शामिल हैं। इसे उच्चतम गुणवत्ता का माना जाता है क्योंकि यह हानियों को कवर करने के लिए पूरी तरह उपलब्ध रहती है। इसलिये, इसे कोर पूँजी भी कहते हैं।

- **टियर II पूँजी** जिसे अनुपूरक पूँजी भी कहा जाता है, में कुछ आरक्षित निधियां और विशिष्ट प्रकार के गौण ऋण शामिल हैं। टियर II वस्तुएं तब तक विनियामक पूँजी के रूप में योग्य होती हैं जब तक ये बैंक के क्रियाकलापों से उत्पन्न हानियों को अवशोषित करने के लिए उपयोग की जा सकती है। टियर II पूँजी की हानि अवशोषण क्षमता टियर I पूँजी से कम होती हैं।

**टियर I पूँजी (गोईंग–कन्सर्न पूँजी )**

**(ए) समान इक्विटी टियर I**

(i) चुकता इक्विटी पूँजी

(ii) इक्विटी पूँजी जारी करने पर शेयर की किस्त,

(iii) सांविधिक आरक्षित निधि,

(iv) पूँजी आरक्षित निधि अर्थात आस्तियों के बिक्री आगमों के अधिशेष

(v) अन्य प्रकटीकृत निर्बंध आरक्षित निधि, यदि कोई है,

(vi) पिछले वित्तीय वर्ष के अन्त में लाभ और हानि खाते का शेष

**(बी) अतिरिक्त टियर I**

(i) निरंतर अस्थायी अधिमान शेयर और इस पर शेयर की किस्त

(ii) स्थायी ऋण लिखत जो बाण्ड और डिबेंचर के रूप में जारी किये जा सकते हैं।

(iii) आर बी आई द्वारा अधिसूचित कोई भी अन्य प्रकार के लिखत

**टियर II पूँजी (गॉन कन्सर्न पूँजी)**

(i) सामान्य प्रावधान और हानि आरक्षित निधि

(ii) बैंक द्वारा जारी ऋण पूँजी लिखत

(iii) अधिमानी शेयर पूँजी और उस पर शेयर की किस्त, यदि कोई है

(iv) 55 प्रतिशत की छूट पर पुनर्मूल्यांकन की गई आरक्षित निधि

(v) आर बी आई के द्वारा सामान्यतः अधिसूचित अन्य प्रकार के लिखत

**1.5.1.4** बैंक आस्तियों के साथ कुछ न कुछ जोखिम रहता है। इसमें क्रेडिट जोखिम[6], बाजार जोखिम[7] और परिचालन जोखिम शामिल हैं। आस्तियों के जोखिम के आधाार पर, इसको एक विशिष्ट जोखिम भार दिया जाता है और आस्ति मूल्य को जोखिम भार के आधार पर समायोजित किया जाता है; जितनी जोखिमपूर्ण आस्ति, उतना उच्च जोखिम भार और उतना कम आस्ति मूल्य होता है। भारत में, आर बी आई विभिन्न आस्तियों के लिए जोखिम भार निर्धारित करता है। विभिन्न आस्तियों के जोखिम भार भिन्न होते हैं। उदाहरणस्वरूप सरकारी दिनांकित प्रतिभूति पर शून्य प्रतिशत और ए ए ए श्रेणी के विदेशी बैंक पर 20 प्रतिशत, आदि। जोखिम भारित आस्ति प्राप्त करने के लिए, आस्ति की कल्पित राशि को आस्ति पर निर्धारित किए गए जोखिम भार से गुणा किया जाता है।

**1.5.1.5** विनियामक पूँजी और जोखिम भारित आस्तियों के आधार पर, किसी बैंक के सी आर ए आर की गणना की जाती हैं। पूँजी की मात्रा, विनियामक पूँजी निधि की

**सी ई टी I अनुपात, सामान्य इक्विटी टियर I पूँजी और जोखिम भारित पूँजियों का अनुपात है।**

**सी आर ए आर में सभी टियर I पूँजी शामिल है अतः सी ई टी I, सी आर ए आर से अधिक प्रतिबंधात्मक है।**

---

[6] **क्रेडिट जोखिमः जोखिम जो एक पक्षकार द्वारा संविदात्मक समझौता या ट्रान्जैक्शन के दायित्वों को पूरा करना या प्रतिबद्धताओं को पूरा न करना**

[7] **बाजार जोखिमः एक ट्रान्जैक्शन या समझौते में निर्दिष्ट मूल्य या बाजार मूल्यों में उतार–चढ़ाव से उत्पन्न हानि का जोखिम**

परिभाषा, जोखिम कवरेज और जोखिम भार आकलन पद्धतियों के सम्बन्ध में बेसल पद्धति के तहत सी आर ए आर के लिए दिशानिर्देश समय के साथ विस्तृत हुए हैं। यह क्रमविकास वैश्विक सर्वेक्षण न्यायाधिकरणों द्वारा, वित्तीय संकट जो समय के साथ–साथ घटित हुए, से मिले सबक के साथ शुरू हुए। बेसल III मानकों का विकास 2007–08 के वैश्विक वित्तीय संकट का नतीजा था। बेसल III, बी सी बी एस द्वारा विकसित सुधार उपायों का एक व्यापक सेट है जो बैंकिंग क्षेत्र के विनियमन, पर्यवेक्षण और जोखिम प्रबंधन को मजबूत करने के लिए बनाया गया है। इन उपायों का उद्देश्य (i) वित्तीय एवं आर्थिक दबाव से उत्पन्न आघातों को अवशोषित करने के लिये बैंकिंग क्षेत्र की क्षमता में सुधार (ii) जोखिम प्रबन्धन और संचालन में सुधार (iii) बैंक की पारदर्शिता और प्रकटीकरण को मजबूत करना है। इन सुधारों का लक्ष्य बैंक–स्तरीय विनियमन है, जो बैंकिंग संस्थाओं की मैक्रो प्रूडेन्शियल और दबाव की अवधि में, प्रणालीगत जोखिम और इन जोखिमों के पूर्व आवर्ती विस्तारण के समय उत्पन्न हो सकते हैं, के समय बैंक की आघातसहनीयता बढ़ाने में मदद करेगा। वास्तव में, बेसल III ने टियर I पूँजी अनुपात और सी आर ए आर की तुलना में सामान्य इक्विटी टियर I (सी ई टी I) अनुपात की पर्याप्तता पर अलग से बल दिया है।

**1.5.1.6** बेसल पूँजी पर्याप्तता मानकों के क्रमिक विकास का सारांश नीचे दी गई तालिका में प्रस्तुत है:

**तालिका 1.2: बेसल पूँजी समझौते का क्रमविकास**

| | **बेसल I** | **बेसल II** | **बेसल III** |
|---|---|---|---|
| **आवेदन (बी सी बी एस)** | 1988 | 2004 | 2010 |
| **विनियामक पूँजी–परिभाषा** | **टियर I** : सामान्य इक्विटी, आरक्षित निधियां और अधिशेष, प्रतिधारित उपार्जन<br><br>**टियर II** : गौण ऋण | **टियर I** : स्थायी पूँजी सामान्य इक्विटी, आरक्षित निधियां एवं अधिशेष, प्रतिधारित उपार्जन<br>**निम्न टियर I** : अधिमानी शेयर (पी एन सी पी एस), नवीन स्थायी ऋण लिखत (आई पी डी आई)<br><br>**टियर II** : उर्ध्व टियर II बॉण्ड, अधिमानी शेयर, गौण ऋण | **गोईंग कन्सर्न पूँजी**<br>• **सी ई टी I**: सामान्य इक्विटी, आरक्षित निधियां एवं अधिशेष, प्रतिधारित उपार्जन<br>• **ए टी I**: अधिमानी शेयर (पी एन सी पी एस) और हानि अवशोषित करने वाले स्थायी ऋण लिखत (पी डी आई) और पी ओ एन वी ट्रिगर[8]<br>**गॉन–कन्सर्न पूँजी** लम्बी अवधि के |

[8] पी ओ एन वी ट्रिगर अव्यवहार्यता ट्रिगर का बिन्दु यह बेसल III मानक के तहत भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा आरोपित शर्त है जिसके अन्तर्गत, यदि आर बी आई किसी बैंक को अव्यवहार्य पाती है, तो बैंक का गैर–इक्विटी बाण्ड अपलेखित किया जायेगा।

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | | अधीनस्थ बॉण्ड एवं पी ओ एन बी ट्रिगर वाले अधिमानी शेयर |
| **आर डब्ल्यू ए कवरेज** | ऑन और ऑफ बैलेंस शीट की स्थिति के लिए क्रेडिट जोखिम भारित आस्तियां | ऑन और ऑफ बैलेंस शीट के लिए क्रेडिट, बाजार और परिचालन जोखिम भारित आस्तियाँ | ऑन और ऑफ बैलेंस शीट , अधिक जोखिम करवेज के लिए क्रेडिट, बाजार और परिचालन जोखिम भारित आस्तियाँ |
| **आर डब्ल्यू ए कार्य–प्रणाली** | मानकीकृत, **जोखिम संवेदनशील नहीं** | मानकीकृत और उन्नत मॉडल आधारित कार्य–प्रणालियां, और **अधिक जोखिम संवेदनशील** | मानकीकृत और उन्नत मॉडल आधारित कार्य–प्रणालियाँ, और **अधिक जोखिम संवेदनशील** |
| **न्यूनतम सी आर ए आर (बी सी बी एस)** | आठ प्रतिशत | आठ प्रतिशत | आठ प्रतिशत +2.5 प्रतिशत पूँजी संरक्षण बफर |

*[स्रोतः मास्टर सर्कुलर–बेसल III पूँजी विनियम (जुलाई 2015), आर बी आई और मास्टर सर्कुलर– पूँजी पर्याप्तता और बाजार अनुशासन पर प्रूडेन्शियल दिशानिर्देश–नई पूँजी पर्याप्तता फ्रेमवर्क (एन सी ए एफ), आर बी आई (जुलाई 2015)]*

बेसल II मानक तीन स्तम्भों पर आधारित थे–न्यूनतम पूँजी आवश्यकता, पर्यवेक्षी समीक्षा और बाजार अनुशासन, जिन्हें बेसल III मानकों में और मजबूती प्रदान की गई।

- **स्तम्भ II–पर्यवेक्षी समीक्षाः** बेसल II मानकों में सी आर ए आर के लिए दबाव परीक्षण और न्यूनतम पूँजी आवश्यकता में न पाये जाने वाले जोखिमों के लिए अतिरिक्त आन्तरिक पूँजी बफर रखने का प्रावधान था। बेसल III मानकों में भी इन पर जोर दिया गया है।

- **स्तम्भ III–बाजार अनुशासनः** बेसल II मानकों में बैंकों के और अधिक कठोर प्रकटीकरण के द्वारा बाजार अनुशासन का प्रावधान था। बेसल III मानकों ने बैंक के लेखा आँकड़ों और लीवरेज अनुपात के प्रकटीकरण के साथ नियामक प्रकटीकरण की समन्वय आवश्यकताओं को जोड़ दिया (टियर I पूँजी और बैंक की औसत कुल समेकित आस्तियों का अनुपात, अर्थात, जोखिम भारों और क्रेडिट रूपान्तरण के बिना सभी आस्तियों और गैर–बैलेंस शीट मदों के प्रकटीकरण का योग)।

**1.5.1.7** भारतीय बैंकिंग क्षेत्र में बेसल मानदंडों का अनुप्रयोग, विनियामक, आर बी आई द्वारा निर्धारित किया जाता है। बेसल II मानदंडों को अपनाने में अंतर रहा है; बेसल I मानदंड (1988), 1996 में अपनाए गए थे, बेसल II मानदंड (2004), 2008 में अपनाए गए थे तथा सितंबर 2013 में बेसल III मानदंड (2010) को अपनाने का कार्य आरंभ हुआ था तथा उसके 31 मार्च, 2019 तक पूर्ण होने की उम्मीद थी। आर बी आई के मानदंड हालाँकि, बेसल मानदंडों की तुलना में अधिक कठोर थे। आर बी आई ने 8 प्रतिशत की न्यूनतम सी आर ए आर के बेसल मानदंडों की तुलना में,

भारतीय बैंकों के लिए 9 प्रतिशत की एक सी आर ए आर निर्धारित की। वर्तमान में, आर बी आई द्वारा निर्धारित न्यूनतम सी आर ए आर 9 प्रतिशत जमा 2.5 प्रतिशत कैपिटल कन्जर्वेशन बफर (सी सी बी) है।

**1.5.1.8** भारत में बेसल III मानदंडों को कार्यान्वित करने के लिए आर बी आई ने वित्तीय वर्ष 19 (तालिका 1.3) तक न्यूनतम पूँजी पर्याप्तता को प्राप्त करने के लिए संक्रमणकालीन व्यवस्था की निम्न अनुसूची निर्धारित की है:

**तालिका 1.3: भारत में बेसल III के कार्यान्वयन के लिए संक्रमण अनुसूची**

| | जोखिम भारित आस्तियों का प्रतिशत (31 मार्च को) | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | **2013-14** | **2014-15** | **2015-16** | **2016-17** | **2017-18** | **2018-19** |
| न्यूनतम सामान्य इक्विटी टियर I (सी ई टी I) | 5 | 5.50 | 5.50 | 5.50 | 5.50 | 5.50 |
| अतिरिक्त टियर I (ए टी I) | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 |
| न्यूनतम टियर I (सी ई टी I + ए टी I) | 6.50 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| कैपिटल कंजर्वेशन बफर | 0 | 0 | 0.63 | 1.25 | 1.88 | 2.50 |
| न्यूनतम टियर I + सी सी बी | 6.50 | 7 | 7.63 | 8.25 | 8.88 | 9.50 |
| न्यूनतम सी ई टी (सी सी बी सहित) | 5 | 5.50 | 6.13 | 6.75 | 7.38 | 8 |
| टियर II | 2.50 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| कुल न्यूनतम पूँजी * | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| कुल न्यूनतम पूँजी + सी सी बी | 9 | 9 | 9.63 | 10.25 | 10.88 | 11.50 |
| सी ई टी I # से सभी कटौतियों का चरण | 40 | 60 | 80 | 100 | 100 | 100 |

** 9 प्रतिशत की कुल न्यूनतम पूँजी आवश्यकता तथा टियर I आवश्यकता के अंतर को टियर II व पूँजी के उच्च रूपों से पूरा किया जा सकता है।*

*# अतिरिक्त टियर I एवं टियर II की पूँजी से कटौती के लिए वही संक्रमणकालीन दृष्टिकोण लागू होगा।*

***(स्रोत : 24 नवम्बर, 2014 का सी सी ई ए के लिए नोट, 10 दिसम्बर, 2014 को अनुमोदित किया गया)***

**1.5.1.9** बेसल III मानदंडों का कार्यान्वयन भारतीय बाजारों में नियंत्रित आर्थिक विकास के अनुरूप है जैसा कि निम्न तालिका में दर्शाया गया है:

**तालिका 1.4: भारतीय आर्थिक विकास**

| **वित्तीय वर्ष** | **2012-13** | **2013-14** | **2014-15** | **2015-16** | **2016-17 (पी ई)** |
|---|---|---|---|---|---|
| स्थिर कीमतों (2011–12 श्रृंखला) पर जी डी पी विकास दर (प्रतिशत) | 5.5 | 6.4 | 7.5 | 8.0 | 7.1 |

***(स्रोत: सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्यवन मंत्रालय, भारत सरकार)***

बेसल III मानदंडों का कार्यान्वयन भारतीय बैंकों के लिए बढ़ी हुई एन पी ए संबंधित हानियों के भी अनुरूप है, जिसके कारण उच्च प्रावधान एवं अपलेखन करना पड़ा तथा कम वसूली की दर रखनी पड़ी जिसके कारण बैंकों की उपलब्ध पूँजी का तेजी से क्षरण हुआ।

## 1.5.2 क्रेडिट वृद्धि

जैसे–जैसे अर्थव्यवस्थाएँ बढ़ती हैं, क्रेडिट की आवश्यकताएँ बढ़ जाती हैं। बैंकों की व्यावसायिक विस्तार योजनाओं के साथ, आर्थिक विकास की गति पर निर्भर होते हुए ताजा पूँजी प्रवाह आवश्यक है ताकि, बैंक विवेकपूर्ण विनियामक मानदंडों को पूरा करने के लिए पर्याप्त पूँजी बनाए रखें।

अध्ययन (2008–16) की अवधि के दौरान, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के अग्रिम ₹ 22,59,212 करोड़ से बढ़कर ₹ 55,93,577 करोड़ तक दोगुने से अधिक हो गए थे, यद्यपि हाल के वर्षों (वर्ष 2009–10 में 19.56 प्रतिशत की दर की तुलना में 2015–16 में वृद्धि की दर 2.14 प्रतिशत रही) में अग्रिम वृद्धि की दर में गिरावट आई है। सभी पी एस बी बनाम सभी एस सी बी द्वारा अग्रिम की वर्ष–वार मात्रा तथा अग्रिम की वृद्धि दर का सार निम्न चार्ट में दिया गया है :

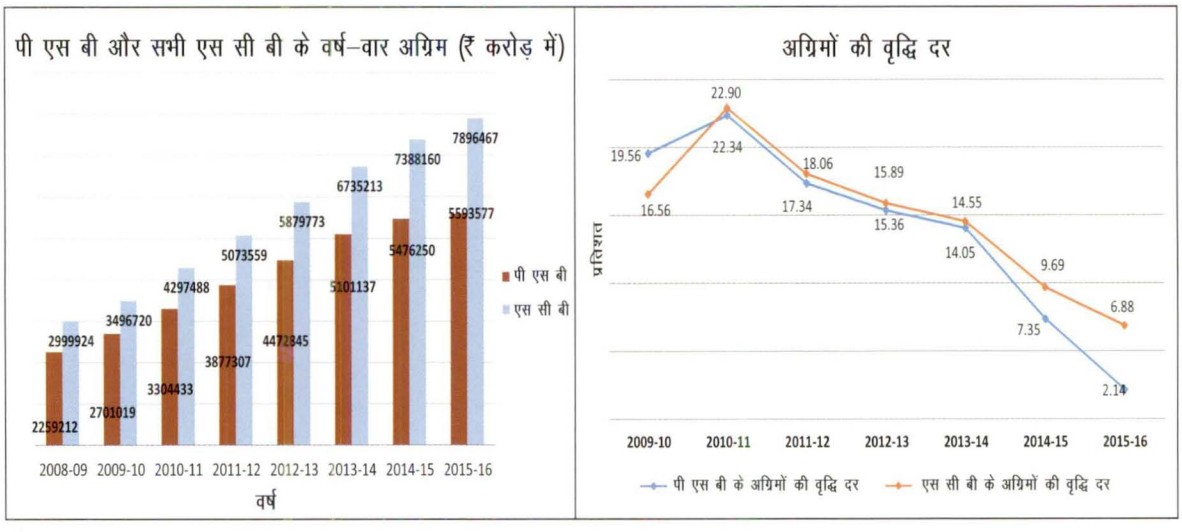


*(स्रोतः आर बी आई डाटाबेसः भारत में बैंकों से संबंधित सांख्यिकी तालिका)*

जैसा कि ऊपर दिए गए चार्ट से देखा जा सकता है, पी एस बी अर्थव्यवस्था में अधिकांश क्रेडिट के लिए उत्तरदायी है। अग्रिम की बैंक–वार स्थिति **अनुलग्नक–II** में है। पी एस बी द्वारा अग्रिम को प्राथमिकता एवं गैर–प्राथमिकता वाले क्षेत्रों के अग्रिम में विभाजित किया गया है। 2012–16 के दौरान, प्राथमिकता वाले क्षेत्र के अग्रिम कुल अग्रिम, के 31.96 प्रतिशत से 35.72 प्रतिशत के बीच हैं। 2012–16 के दौरान पी एस बी द्वारा दिए गए अग्रिम के संयोजन को अगले पृष्ठ पर दिए गए चार्ट में दर्शाया गया है:

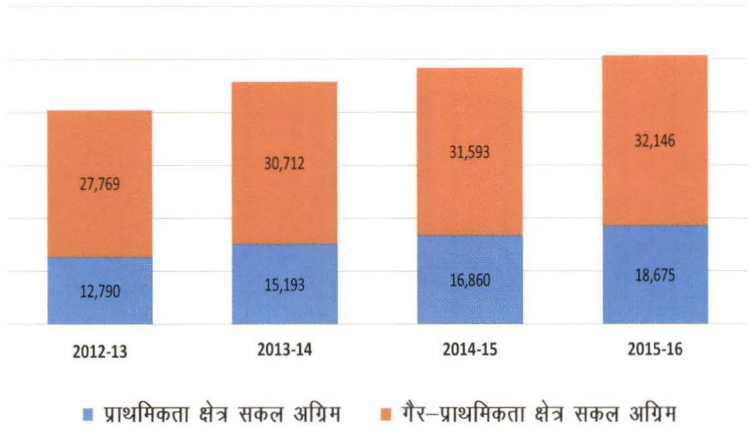


प्राथमिकता क्षेत्र में मुख्य रूप से सम्मिलित है:

(i) कृषि

(ii) सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम

(iii) निर्यात क्रेडिट

(iv) शिक्षा

(v) आवास

(vi) सामाजिक आधारभूत संरचना

(vii) अक्षय ऊर्जा

*(स्रोतः आर बी आई डाटाबेसः भारत में बैंक से संबंधित सांख्यिकी तालिकाः घरेलू संचालन)*

## 1.5.3 पी एस बी का संचालनात्मक निष्पादन और पूँजी आवश्यकताओं पर उनका प्रभाव

**1.5.3.1** बैंक का निष्पादन मुख्य रूप से आस्तियों पर आय (आर ओ ए) एवं इक्विटी पर आय (आर ओ ई) में परिलक्षित होता है।

- आर ओ ए दर्शाता है कि एक बैंक उसकी कुल आस्तियों की तुलना में कितना लाभ में है। आर ओ ए लाभ उत्पन्न करने के लिए बैंक की आस्तियों के उपयोग करने की दक्षता को मापता है। औसत कुल आस्तियों द्वारा शुद्ध आय को विभाजित करके इसे तैयार किया जाता है। एक उच्च आर ओ ए एक बेहतर प्रबंधित बैंक को दर्शाता है। पूँजी में लाभ के अलावा, यह अतिरिक्त निधियों हेतु बाजार तक पहुँचने के लिए बैंक की क्षमता में सुधार भी करता है।

- आर ओ ई बैंक के शेयरधारकों की निधियों के उपयोग करने की दक्षता को दर्शाता है। इक्विटी पर उच्च आय भी आरक्षित निधियों एवं अधिशेषों के माध्यम से बैंक की पूँजी में वृद्धि करेगी। एक उच्च अनुपात शेयरधारक की पूँजी के बेहतर प्रबंधन को दर्शाता है। कम अथवा नकारात्मक आर ओ ई बैंक द्वारा अपनी विनियामक पूँजी आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु अतिरिक्त निधियाँ जुटाने के लिए पूँजी बाजारों के दोहन की क्षमता को कम कर देती है।

**1.5.3.2** 2010–11 से 2015–16 के दौरान, पी एस बी के आर ओ ए एवं आर ओ ई को सभी एस सी बी सहित अगले पृष्ठ पर दिए गए चार्ट में दर्शाया गया है:

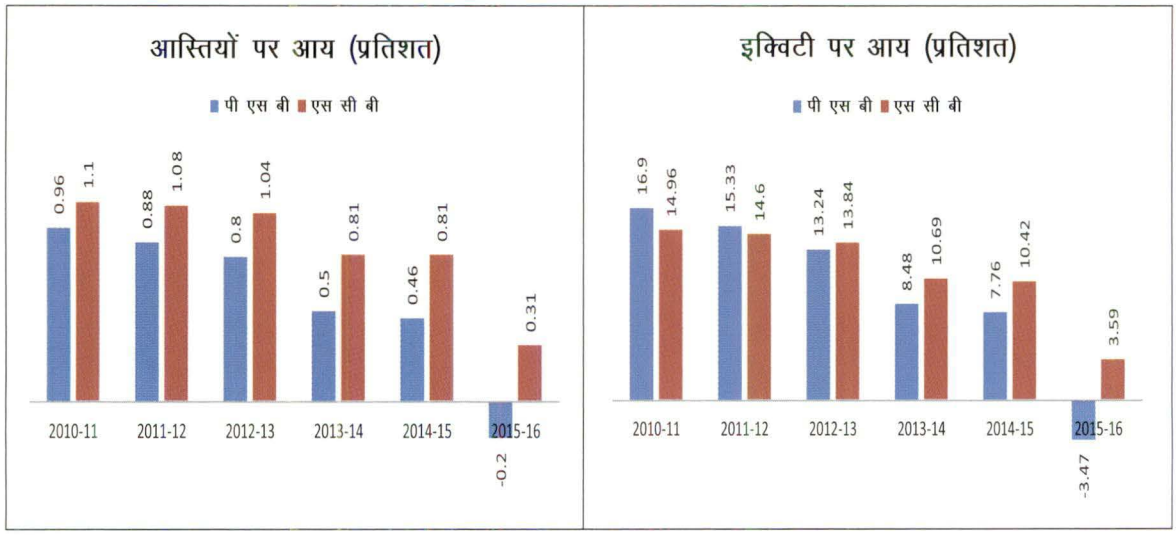


*(स्रोतः आर बी आई डाटाबेसः भारत में बैंकों से संबंधित सांख्यिकी तालिका)*

जैसा कि ग्राफ से देखा जा सकता है, सभी एस सी बी की तुलना में पी एस बी का आर ओ ए लगातार कम रहा है, जबकि पी एस बी का आर ओ ई 2012–13 से कम है। 2015–16 में, पी एस बी हेतु आर ओ ए एवं आर ओ ई नकारात्मक रहे जो बैंक को हुई हानि को दर्शाता है। हालाँकि, इसकी तुलना में सभी एस सी बी का समग्र परिणाम सकारात्मक रहा है जो निजी क्षेत्र एवं विदेशी बैंकों की तुलना में पी एस बी के निष्पादन में अंतर को दर्शाता है।

**1.5.3.3** बैंक की आस्ति की गुणवत्ता भी बैंक के निष्पादन का एक महत्वपूर्ण सूचक है। बैंक की बिगड़ती हुई आस्ति गुणवत्ता से (वृहत्तर चूक, कर्जदारों की निम्न श्रेणी इत्यादि) प्रावधान व अपलेखन के साथ–साथ उच्च जोखिम भारित आस्तियों के कारण उपलब्ध पूँजी का तेजी से क्षरण होगा। निम्न आस्ति गुणवत्ता वाले बैंक को पूँजी पर्याप्तता की विनियामक आवश्यकता को बनाए रखने के लिए उच्च वृद्धिशील पूँजी जुटाने की आवश्यकता होगी। साधारणतः एस सी बी तथा विशेषकर पी एस बी की अनर्जक आस्तियों की स्थिति निम्न तालिका 1.5 में दर्शायी गई है।

> बैंक की अनर्जक आस्तियाँ (एन पी ए) वह आस्तियाँ (लीज्ड आस्तियों सहित) है जिन्होंने बैंक के लिए आय को उत्पन्न करना बंद कर दिया है।

**तालिका 1.5 : बैंकिंग समूह के अनुसार भारतीय बैंकों का सकल एन पी ए**

*(₹ करोड़ में)*

| एस सी बी के सकल एन पी ए | 2011-12 | 2012-13 | 2013-14 | 2014-15 | 2015-16 |
|---|---|---|---|---|---|
| एस बी आई एवं सहयोगी | 48,214 | 62,779 | 79,817 | 73,509 | 121,969 |
| अन्य राष्ट्रीयकृत बैंक | 69,048 | 101,683 | 147,447 | 204,960 | 417,988 |
| निजी बैंक | 18,768 | 21,071 | 24,542 | 34,106 | 56,186 |
| विदेशी बैंक | 6,297 | 7,977 | 11,565 | 10,761 | 15,805 |
| **कुल सकल एन पी ए** | **142,327** | **193,510** | **263,371** | **323,336** | **611,948** |
| **कुल सकल एन पी ए में पी एस बी (प्रतिशत) का हिस्सा** | **82** | **85** | **86** | **86** | **88** |

*(स्रोतः आर बी आई डाटाबेसः भारत में बैंक से संबंधित सांख्यिकी तालिका)*

जैसा कि उपरोक्त तालिका से देखा जा सकता है, पी एस बी बैंकिंग क्षेत्र में एन पी ए के सबसे बड़े हिस्से के लिए उत्तरदायी है जो पिछले पाँच वर्षों से लगातार बढ़ रहा है। बैंक के उपार्जन पर पी एस बी की तेजी से बिगड़ती हुई आस्ति गुणवत्ता का परिणाम दोहरा है। पहला, एन पी ए के स्तर में वृद्धि होने से बैंक की ब्याज की आय पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा, क्योंकि संभवतः एन पी ए खाते ब्याज का शोधन नहीं कर रहे थे। दूसरा, बैंक को (अपनी कम आय में से) अधिक प्रावधान बनाए रखना होगा, इस कारण से उसके शुद्ध लाभ प्रतिकूल रूप से प्रभावित होंगे और यह नकारात्मक भी हो सकते हैं जिससे बैंक की उपलब्ध पूँजी का तेजी से क्षरण होगा।

## 1.6 पी एस बी के पुनर्पूंजीकरण के संभावित तरीके

**1.6.1** 2008–09 एवं 2015–16 के दौरान, पी एस बी द्वारा विस्तारित किये गए अग्रिम में दोहरी से अधिक वृद्धि के साथ बेसल III मानदंडों के परिणामस्वरूप आर बी आई द्वारा लागू की गई सख्त पूँजी पर्याप्तता आवश्यकताओं तथा पी एस बी के खराब प्रदर्शन से पूँजी की महत्वपूर्ण आवश्यकता हुई। पी एस बी के पुनर्पूंजीकरण की आवश्यकताओं को या तो शेयरधारकों (मुख्य रूप से भारत सरकार) द्वारा पूँजी के प्रवाह अथवा पी एस बी द्वारा बाजार से अपेक्षित निधियों को प्राप्त करने के माध्यम से पूरा किया जा सकता है।

**1.6.2** पी एस बी के पुनर्पूंजीकरण का प्राथमिक उत्तरदायित्व प्रायः सरकार पर होता है, जो इन बैंकों में प्रमुख शेयरधारक है। सरकार पी एस बी के संचालन में वितरणशील विकास एवं इक्विटी के व्यापक उद्देश्यों को संबोधित करने के लिए भी पूँजी का प्रवाह कर सकती है। इसके अलावा, यह सुनिश्चित करने के लिए कि बैंक का पी एस बी स्वरूप अपरिवर्तित रहे, भारत सरकार की शेयरधारिता को एक निश्चित बेंचमार्क से कम करना (58 प्रतिशत को बाद में दिसम्बर 2014 में 52 प्रतिशत तक कम कर दिया गया) संभव नहीं हो सकता। हालाँकि, जैसा कि पैराग्राफ 1.3.2 में चार्ट से देखा जा सकता है कि वर्तमान में पी एस बी के पास जी ओ आई की उच्च शेयरधारिता है जो 52 प्रतिशत के अनिवार्य बेंचमार्क से काफी अधिक हैं।

**1.6.3** बाजार से निधियों को प्राप्त कर पाने में पी एस बी के समर्थ न होने का एक कारण उनका खराब प्रदर्शन है, विशेष रूप से उन मामलों में जहाँ अधिक एन पी ए से उत्पन्न होने वाली पूँजी के क्षरण तथा हानियों के प्रतिसंतुलन के लिए पुनर्पूंजीकरण आवश्यक है। 31 मार्च 2017 को पी एस बी शेयरों के बाजार मूल्य एवं बही मूल्य की तुलना को निम्न चार्ट में दर्शाया गया है (13 पी एस बी के लिए जहाँ सूचना 25 मई 2017 को उपलब्ध थी)

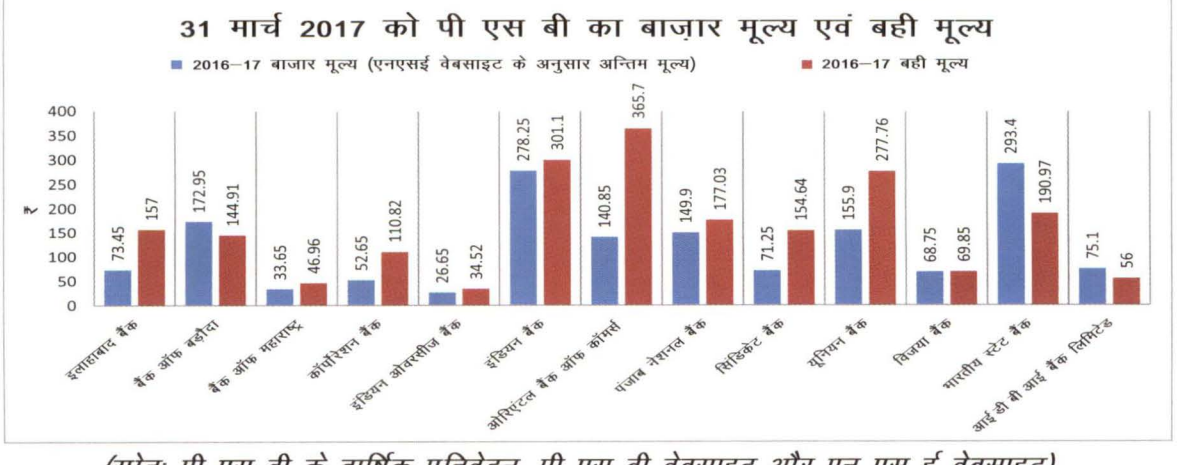


*(स्रोतः पी एस बी के वार्षिक प्रतिवेदन, पी एस बी वेबसाइट और एन एस ई वेबसाइट)*

पी एस बी के शेयर के बही मूल्य एवं बाजार मूल्य के बीच एक महत्वपूर्ण अंतर है जिसमें अधिकतर पी एस बी के बाजार मूल्य उनके बही मूल्यों की तुलना में कम हैं। पी एस बी शेयर का निम्न बाजार मूल्य निर्धारण अतिरिक्त पूँजी निधियों हेतु बैंक को बाजार तक पहुँचने में विघ्न डालेगा। इसके अलावा, निम्न शेयर मूल्यों का तात्पर्य यह होगा कि बाजार से जुटायी जा सकने वाली निधियों की मात्रा कम होगी तथा पी एस बी के पुनर्पूंजीकरण की आवश्यकताओं को पूरा नहीं किया जा सकेगा जबकि सरकार का हिस्सा उसमें से कम होता जाएगा।

**1.6.4** 2008–09 से 2016–17 के दौरान, भारत सरकार पी एस बी में आवश्यकता आधारित पूँजी प्रवाहित करती रही है ताकि वे क्रेडिट वृद्धि अपेक्षाओं को पूरा करते हुए टियर–I की पूँजी पर्याप्तता बनाए रखें। पूँजी प्रवाह आमतौर पर भारत सरकार को प्राप्तकर्ता बैंक द्वारा इक्विटी शेयरों के अधिमान्य आवंटन के माध्यम से किया गया है। पी एस बी, अनुवर्ती सार्वजनिक प्रस्ताव (एफ पी ओ) राईट्स इशू, अर्हताप्राप्त संस्थागत स्थानन (क्यू आई पी), एक्सचेंज ट्रेडेड फंड तथा निवेशकों (अर्थात, एल आई सी, जी आई सी व अन्य निजी निवेशकों) को अधिमान्य आवंटन द्वारा घरेलू बाजारों से भी पूँजी एकत्र कर सकते हैं। पी एस बी के लिए पूँजीकरण के संसाधनों को एकत्रित करने हेतु संभावित विकल्पों को आँकने के लिए वित्तीय संस्थानों की पूँजी आवश्यकता पर एक उच्चस्तरीय समिति (एच एल सी) गठित[9] (सितंबर 2011)की गई थी। समिति ने अन्य बातों के साथ पी एस बी के लिए एक नियंत्रक कंपनी बनाने की अनुशंसा की जो कि तब आवश्यक अतिरिक्त बजटीय संसाधनों (ई बी आर) को एकत्रित कर सके।

## 1.7 2008–09 से 2016–17 के दौरान पी एस बी का पुनर्पूंजीकरण

समग्र बैंकिंग क्षेत्र में उनके बड़े हिस्से को देखते हुए भारतीय पी एस बी की स्थिरता एवं संपन्नता अति महत्त्वपूर्ण है। पी एस बी की पूँजी पर्याप्तता को सशक्त बनाने के लिए भारत सरकार ने प्रमुख शेयरधारक के रूप में पी एस बी में 2008–09 से 2016–17 तक ₹ 1,18,724 करोड़ लगाये।

निम्न तालिका सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के पुनर्पूंजीकरण के कारण बजट आकलन (बी ई), संशोधित आकलन (आर ई) तथा वास्तविक व्यय को दर्शाती है।

**तालिका 1.6: पी एस बी का पुनर्पूंजीकरण बी ई, आर ई एवं वास्तविक**

*(₹ करोड़ में)*

| वित्तीय वर्ष | बजट आकलन | संशोधित आकलन | वास्तविक व्यय |
|---|---|---|---|
| 2008-09 | *उपलब्ध नहीं* | *उपलब्ध नहीं* | 1900 |
| 2009-10 | *उपलब्ध नहीं* | 1200 | 1200 |
| 2010-11 | 16500 | 20157 | 20117 |
| 2011-12 | 6000 | 12000 | 12000 |
| 2012-13 | 14588 | 12517 | 12517 |
| 2013-14 | 14000 | 14000 | 14000 |
| 2014-15 | 11200 | 6990 | 6990 |
| 2015-16 | 7940 | 25000 | 25000 |
| 2016-17 | 25000 | 25000 | 25000 |
| **कुल** | - | - | **118724** |

***[स्रोत: अनुदान के लिए विस्तृत मांग (2009–10 से 2016–17 तथा डी एफ एस के रिकॉर्ड)]***

[9] संरचना: अध्यक्ष के रूप में वित्त सचिव साथ में सदस्यों के रूप में सचिव, व्यय विभाग, सचिव, आर्थिक मामलों के विभाग, सचिव, वित्तीय सेवाओं का विभाग और मुख्य आर्थिक सलाहकार

2008–09 से 2016–17 की अवधि के दौरान, भारत सरकार ने पी एस बी में ₹1,18,724 करोड़ की पूँजी प्रवाहित की। निम्न चार्ट 2008–09 से 2015–16 की अवधि के दौरान भारत सरकार को पी एस बी द्वारा चुकाए गए लाभांश की तुलना में पी एस बी में भारत सरकार द्वारा प्रवाहित की गई बैंक–वार पूँजी को दर्शाता है।

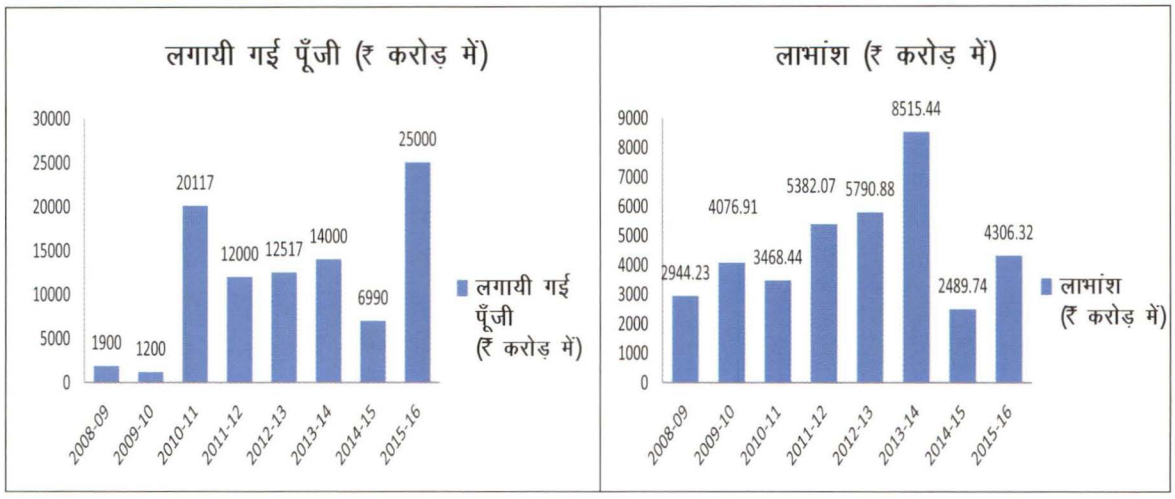


*(स्रोतः डी एफ एस के रिकॉर्ड और पी ए ओ, बैंकिंग, वित्त मंत्रालय द्वारा उपलब्ध करवाए गए आँकड़े)*

भारत सरकार से प्राप्त पूँजी प्रवाह तथा चुकाए गए लाभांशों की बैंक–वार स्थिति को निम्न चार्ट में दर्शाया गया है:

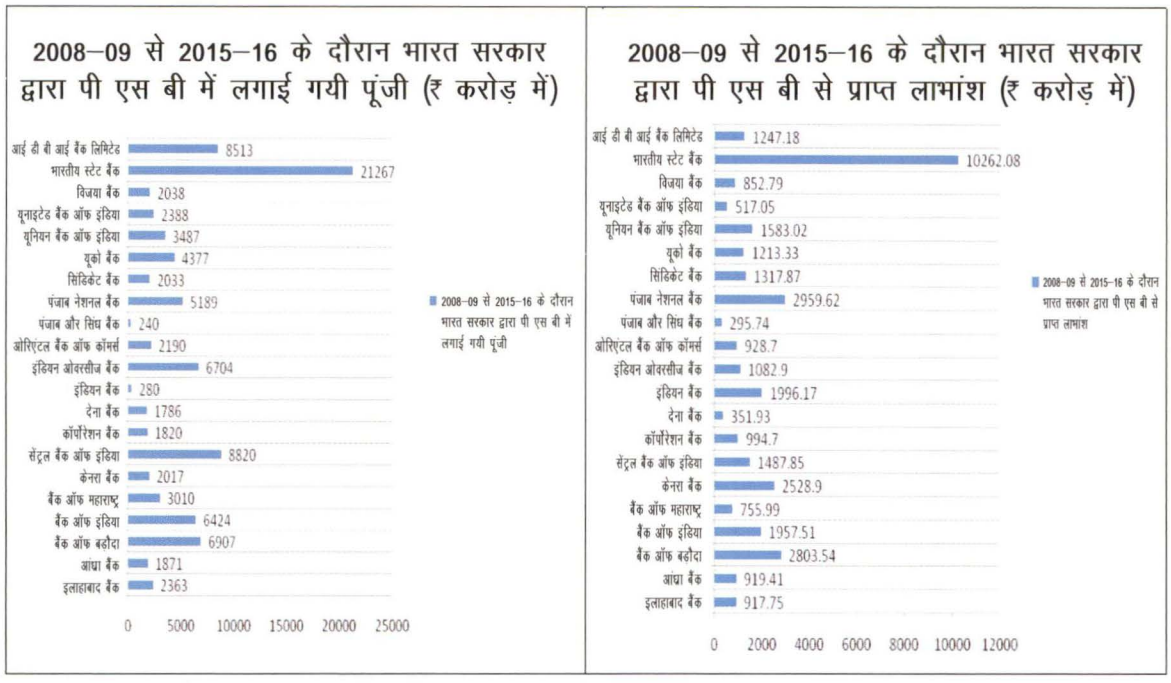


*(स्रोतः डी एफ एस के रिकॉर्ड और पी ए ओ, बैंकिंग, वित्त मंत्रालय द्वारा उपलब्ध करवाए गए आँकड़े)*

## 1.8 हाल ही के विकास

**1.8.1** वित्त सचिव की अध्यक्षता में वित्तीय संस्थानों की पूँजी आवश्यकता पर एक उच्चस्तरीय समिति (एच एल सी) का गठन (सितंबर 2011) किया गया था। एच एल सी के अधिदेश में निम्न का आकलन सम्मिलित है:

- अगले 10 वर्षों के लिए डी एफ एस के अंतर्गत बैंक सहित विभिन्न वित्तीय संस्थानों की आवश्यकता
- इन वित्तीय संस्थानों के पूँजीकरण हेतु संसाधनों को बढ़ाने के लिए विभिन्न संभावित विकल्प
- विभिन्न सरकारों के वैश्विक अनुभव तथा विशेषकर विकासशील देशों में ऐसी पूँजीकरण की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए
- पूँजीकरण हेतु प्रस्तावित वरीयता प्रणाली

एच एल सी ने एक नियंत्रक कंपनी को बनाने की अनुशंसा की जिसमें भारत सरकार द्वारा सभी इक्विटी होल्डिंग को हस्तांतरित किया जाएगा तथा जिसे प्रत्येक वर्ष कुछ बजटीय सहायता भी दी जाएगी ताकि वह घरेलू एवं अंतर्राष्ट्रीय बाजार के माध्यम से प्राप्त कर सके और तत्पश्चात पी एस बी का पूँजीकरण करे। इसके बाद, डी एफ एस द्वारा एक वित्तीय नियंत्रक कंपनी (सितंबर 2016) बनाने के प्रस्ताव पर आगे न बढ़ने का निर्णय लिया गया।

**1.8.2** भारत में बैंकों के बोर्ड संचालन की समीक्षा करने के लिए जनवरी 2014 में आर बी आई द्वारा श्री पी. जे. नायक की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई थी। समिति ने मई 2014 में अपना प्रतिवेदन दिया तथा अन्य बातों के साथ अनुशंसा की कि:

- सरकार को पी एस बी में इक्विटी हिस्सेदारी रखने के लिए एक बैंक निवेश कंपनी (बी आई सी) स्थापित करनी चाहिए, जिसमें बी आई सी को भारत सरकार की होल्डिंग के हस्तांतरण के साथ, चरण–I, II एवं III में कार्यान्वित करने की आवश्यकता है।
- चरण 1 के दौरान सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के शीर्ष प्रबंधक वर्ग का चयन एक नव गठित बैंक बोर्ड ब्यूरो (बी बी बी) को सौंपा जाए
- बैंक अध्यक्षों के लिए एक न्यूनतम पांच–वर्ष का कार्यकाल तथा कार्यकारी निदेशकों के लिए न्यूनतम तीन–वर्ष का कार्यकाल

उसके बाद, पी एस बी एवं वित्तीय संस्थानों का एक सम्मेलन, 'ज्ञान संगम' जनवरी 2015 में आयोजित किया गया था। जिसमें नायक समिति के प्रतिवेदन को अपनाना, पेशेवरों एवं प्रतिष्ठित बैंकर सहित बी बी बी की स्थापना, बैंक बोर्ड का सशक्तिकरण, बैंक निवेश समिति की स्थापना तथा जानबूझ कर चूक करने वालों से वसूली के लिए विधिक ढ़ाँचे का सुदृढ़ीकरण सम्मिलित है। मार्च 2016 में, पी. जे. नायक समिति एवं ज्ञान संगम की अनुशंसाओं के अनुरूप पी एस बी के लिए एक अच्छी प्रबंधकीय नीति को विकसित करने के लिए भारत सरकार द्वारा बैंक बोर्ड ब्यूरो स्थापित किया

गया था। व्यापार कार्यनीतियों के विकास एवं पूँजी वृद्धि योजना में पी एस बी की सहायता करना बैंक बोर्ड ब्यूरो के निर्दिष्ट उत्तरदायित्वों में से एक था।

# अध्याय II
## लेखापरीक्षा पद्धति

### 2.1 लेखापरीक्षा के उद्देश्य

लेखापरीक्षा निम्नलिखित उद्देश्यों के साथ की गई:

i. यह आकलन कि क्या पी एस बी के पुनर्पूंजीकरण के लिए उद्देश्यपूर्ण मापदंड अपनाए गए थे तथा सभी पी एस बी में उनके उपयोग की निरंतरता की जाँच करने के लिए।

ii. यह आकलन करने के लिए कि क्या पूँजीगत निधियों को जारी करने की निगरानी की गई थी तथा यह जाँच करने के लिए कि क्या पुनर्पूंजीकरण से जुड़ी शर्तों का अनुपालन किया गया था तथा पुनर्पूंजीकरण के उद्देश्यों को हासिल किया गया था।

### 2.2 लेखापरीक्षा मानदंड

लेखापरीक्षा मानदंड के स्रोत निम्न हैं:

- आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति द्वारा स्वीकृति/नीति घोषणाएँ
- डी एफ एस द्वारा जारी परिपत्र/निर्देश
- आर बी आई द्वारा जारी परिपत्र/दिशानिर्देश
- डी एफ एस और पी एस बी के बीच समझौता ज्ञापन (एम ओ यू)
- डी एफ एस और पी एस बी के बीच निश्चित किए गए स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट (एम ओ आई) मापदंड
- पी एस बी को निधि जारी करने के स्वीकृति पत्र
- वित्तमंत्री/सचिव, वित्तीय सेवाओं का विभाग (डी एफ एस) की अध्यक्षता वाली तिमाही समीक्षा बैठकों के कार्यवृत्त
- वित्तीय संस्थाओं के एन पी ए पर वित्त संबंधी स्थायी संसदीय समिति की रिपोर्ट

### 2.3 लेखापरीक्षा कार्यक्षेत्र तथा कार्यक्षेत्र सीमा

**2.3.1** लेखापरीक्षा ने 2008–09 से 2016–17 तक के दौरान डी एफ एस के माध्यम से सरकार द्वारा पी एस बी के पुनर्पूंजीकरण पर ध्यान केंद्रित किया। इस प्रयोजन के लिए, लेखापरीक्षा ने डी एफ एस में उपलब्ध अभिलेखों की जाँच की। डी एफ एस ने लेखापीक्षा को सलाह दी थी कि इससे जुड़े कानूनी पक्ष के कारण बैंक विशेष के आंतरिक अभिलेखों की मांग करना उचित नहीं होगा। लेखापरीक्षा ने कुछ बैंक दस्तावेजों यथा–आंतरिक पूँजी पर्याप्तता आकलन प्रक्रिया (आई सी ए ए

पी)[10] रिपोर्ट तथा वार्षिक वित्तीय निरीक्षण (ए एफ आई)[11] की रिपोर्टों का मांगपत्र दिया। डी एफ एस इन दस्तावेजों को उपलब्ध नहीं करा पाया तथा स्पष्ट किया कि उनकी पी एस बी के अभिलेखों तक पहुँच नहीं थी, क्योंकि व्यावसायिक निर्णय बैंकों द्वारा स्वयं लिये जाते थे। लेखापरीक्षा की बैंक विशेष के दस्तावेजों तक पहुँच नहीं थी। इसलिए, लेखापरीक्षा डी एफ एस के अभिलेख तक सीमित था।

**2.3.2** लेखापरीक्षा ने नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ बैंक मैनेजमेंट, पुणे को लेखापरीक्षा में सहायता हेतु एक सलाहकार के रूप में नियुक्त किया।

## 2.4 लेखापरीक्षा प्रक्रिया

लेखापरीक्षा 31 अक्टूबर 2016 को एक एन्ट्री कान्फ्रेंस के साथ शुरू हुई। लेखापरीक्षा ने लेखापरीक्षा हेतु डी एफ एस में रिपोर्टों एवं दस्तावेजों की समीक्षा पर भरोसा किया। लेखापरीक्षा पूरी होने के पश्चात, डी एफ एस को मसौदा लेखापरीक्षा रिपोर्ट 17 मई 2017 को जारी की गई। डी एफ एस का जवाब 09 जून 2017 को प्राप्त हुआ तथा इसे उपयुक्त रूप से शामिल किया गया है। 14 जून 2017 को एक एक्जिट कान्फ्रेंस की गयी।

## 2.5 आभार

लेखापरीक्षा, लेखापरीक्षा प्रक्रिया के दौरान वित्त मंत्रालय, वित्तीय सेवाओं के विभाग से प्राप्त सहयोग हेतु आभार व्यक्त करता है। आवश्यक बैंक–वार डेटा प्रस्तुत करने के लिए लेखापरीक्षा भारतीय रिजर्व बैंक का आभारी है। नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ बैंक मैनेजमेंट द्वारा प्रदान की गई सहायता के लिए लेखापरीक्षा प्रशंसा दर्ज करता है।

---

[10] *आई सी ए ए पी: बेसल ।। के दिशानिर्देशों के अनुसार, बैंकों को आंतरिक पूंजी पर्याप्तता मूल्यांकन प्रक्रिया (आई सी ए ए पी) पर बोर्ड–स्वीकृत नीति रखने की आवश्यकता है। आई सी ए ए पी गुणात्मक एवं गुणवत्ता मूल्यांकित जोखिम को स्पष्ट रूप से सीमांकित करता है और इसमें तनाव परीक्षण एवं परिदृश्य का विश्लेषण भी शामिल है, जिसे समय अंतराल पर किया जाना है, खासकर बैंक के महत्वपूर्ण/वस्तुगत जोखिम के संबंध में, जिससे कि बैंक की संभावित कमजोरियों, जो कुछ अप्रत्याशित लेकिन उचित घटनाओं अथवा बाजार की गतिविधियों जो कि बैंक की पूंजी पर विपरीत असर डाल सकती है, का मूल्यांकन किया जा सके।*

[11] *ए एफ आई: ए एफ आई निम्नलिखित मापदंडों पर बैंकों के प्रदर्शन का मूल्यांकन करती है :*
*(i) आस्ति गुणवत्ता, ऋणशोधन क्षमता एवं पूंजी पर्याप्तता, आय प्रदर्शन एवं तरलता को दर्शाती हुई बैंकों की 'वित्तीय स्थिति एवं प्रदर्शन'।*
*(ii) जोखिम प्रबंधन रणनीतियों सहित 'प्रबंधन (बोर्ड एवं वरिष्ठ प्रबंधन), प्रणालियों तथा आंतरिक नियंत्रण पर केन्द्रित प्रबंधन एवं परिचालन स्थितियाँ।*
*(iii) रिपोर्टिंग की विश्वसनीयता और दिशानिर्देशों का अनुपालन सहित विनियमों का अनुपालन।*

# अध्याय III
## पी एस बी में भारत सरकार द्वारा पूंजीगत निधियों का प्रवाह

### 3.1 पी एस बी के पुनर्पूंजीकरण की प्रक्रिया

पी एस बी को, लेखापरीक्षा में समीक्षित 2008–09 से 2016–17 की अवधि के दौरान, वार्षिक रूप से पुनर्पूंजीकृत किया गया है। पी एस बी के पुनर्पूंजीकरण की प्रक्रिया को डी एफ एस के द्वारा दी गई व्याख्या (अप्रैल 2017) के अनुसार नीचे संक्षेपित किया गया है।

- प्रत्येक वर्ष पी एस बी, डी एफ एस को अपनी पूँजीगत आवश्यकताओं को प्रस्तुत करते हैं। पी एस बी बैंक की जोखिम भारित आस्तियों को प्रस्तुत करने के लिए आस्तियों की क्रेडिट वृद्धि एवं जोखिम प्रोफाइल को ध्यान में रखते हैं। बैंक के आंतरिक संचय एवं पूँजी निर्माण के अन्य स्रोतों के मूल्यांकन तथा अपेक्षित पूँजी शेष की माँग भी की जाती है।

- डी एफ एस, पी एस बी के द्वारा प्रस्तुत किये गये आँकड़ों की पुष्टि करता है एवं अतिरिक्त पूँजी के लिए इनकी वास्तविक आवश्यकता को प्राप्त करने के लिए प्रत्येक पी एस बी का मूल्यांकन करता है।

- तब इन आकलनों के अंतर को समझने एवं गणना को परिशोधित करने के लिए पी एस बी के वरिष्ठ प्रबंधन के साथ चर्चा की जाती है।

- चर्चा के बाद, डी एफ एस बैंकों को 'आवश्यकता आधारित' दृष्टिकोण पर पूँजी के आवंटन का निर्णय लेता है। डी एफ एस ने कहा (अप्रैल 2017) कि आवश्यकता आधारित दृष्टिकोण को व्यापक परिप्रेक्ष्य में समझा जाना चाहिए जैसे कि विनियामक ढाँचे के अनुसार न्यूनतम पूँजी आवश्यकताओं को प्राप्त करने में पी एस बी की सहायता करना, कुछ बफर रखना, भविष्य के विकास के लिए योजना एवं कार्यनीति बनाना एवं इसके लिए पूँजीगत आवश्यकताओं को प्राप्त करना।

### 3.2 पी एस बी में भारत सरकार के द्वारा पूँजी प्रवाह

भारत सरकार ने 2008–09 से 2016–17 की अवधि के दौरान पी एस बी में ₹ 1,18,724 करोड़ लगाये। 2008–09 से 2014–15 की अवधि के लिए भारत सरकार के द्वारा एक वर्ष में लगाई जाने वाली राशि का निर्णय वार्षिक बजटीय प्रक्रिया के द्वारा किया गया था। अगस्त 2015 में, इन्द्रधनुष योजना की घोषणा की गई जिसमें पी एस बी में 2015–16 से 2018–19 के लिए ₹ 70,000 करोड़ के भारत सरकार के पूँजी प्रवाह का प्रावधान किया गया। पी एस बी के बीच पूँजी का परस्पर वितरण डी एफ एस के द्वारा ऊपर पैरा 3.1 में वर्णित प्रक्रिया के अनुसार किया जाता है। अगले पृष्ठ पर तालिका वित्त वर्ष 2008–09 से 2016–17 के दौरान, भारत सरकार द्वारा लगाई गई पूँजी की मात्रा को पी एस बी – वार प्रदर्शित करती है।

## तालिका 3.1: वर्ष–वार एवं बैंक–वार पूँजी प्रवाह

*(₹ करोड़ में)*

| पी.एस बी का नाम | 2008-09 | 2009-10 | 2010-11 | 2011-12 | 2012-13 | 2013-14 | 2014-15 | 2015-16 | 2016-17 | कुल |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| इलाहाबाद बैंक | - | - | 670 | - | - | 400 | 320 | 973 | 451 | **2814** |
| आन्ध्रा बैंक | - | - | 1173 | - | - | 200 | 120 | 378 | 1100 | **2971** |
| बैंक ऑफ बड़ौदा | - | - | 2461 | - | 850 | 550 | 1260 | 1786 | - | **6907** |
| बैंक ऑफ इंडिया | - | - | 1010 | - | 809 | 1000 | - | 3605 | 2838 | **9262** |
| बैंक ऑफ महाराष्ट्र | - | - | 940 | 470 | 406 | 800 | - | 394 | 300 | **3310** |
| केनरा बैंक | - | - | - | - | - | 500 | 570 | 947 | 748 | **2765** |
| सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया | 700 | 450 | 2253 | 676 | 2406 | 1800 | - | 535 | 1397 | **10217** |
| कारपोरेशन बैंक | - | - | 309 | - | 204 | 450 | - | 857 | 508 | **2328** |
| देना बैंक | - | - | 539 | - | - | 700 | 140 | 407 | 1046 | **2832** |
| इंडियन ओवरसीज बैंक | - | - | 1054 | 1441 | 1000 | 1200 | - | 2009 | 2651 | **9355** |
| इंडियन बैंक | - | - | - | - | - | - | 280 | - | - | **280** |
| ओरियंटल बैंक ऑफ कॉमर्स | - | - | 1740 | - | - | 150 | - | 300 | - | **2190** |
| पंजाब नेशनल बैंक | - | - | 184 | 655 | 1248 | 500 | 870 | 1732 | 2112 | **7301** |
| पंजाब एण्ड सिंध बैंक | - | - | - | - | 140 | 100 | - | - | - | **240** |
| सिंडीकेट बैंक | - | - | 633 | - | - | 200 | 460 | 740 | 776 | **2809** |
| यूको बैंक | 450 | 450 | 1613 | 48 | 681 | 200 | - | 935 | 1925 | **6302** |
| यूनियन बैंक ऑफ इंडिया | - | - | 793 | - | 1114 | 500 | - | 1080 | 541 | **4028** |
| यूनाईटेड बैंक ऑफ इंडिया | 250 | 300 | 558 | - | 100 | 700 | - | 480 | 1026 | **3414** |
| विजया बैंक | 500 | - | 1068 | - | - | 250 | - | 220 | - | **2038** |
| भारतीय स्टेट बैंक[12] | - | - | - | 7900 | 3004 | 2000 | 2970 | 5393 | 5681 | **26948** |
| आई डी बी आई बैंक लिमिटेड | - | - | 3119 | 810 | 555 | 1800 | - | 2229 | 1900 | **10413** |
| **कुल** | **1900** | **1200** | **20117** | **12000** | **12517** | **14000** | **6990** | **25000** | **25000** | **118724** |

*(स्रोतः वित्तीय सेवाओं का विभाग)*

[12] एस बी आई एसोसिएट्स शामिल हैं

तालिका से यह प्रतीत होता है कि

- भारतीय स्टेट बैंक को ₹ 26,948 करोड़ का अधिकतम पूँजी प्रवाह प्राप्त हुआ यानी कुल पूँजी प्रवाह का लगभग 22.7 प्रतिशत। आई डी बी आई बैंक, सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन ओवरसीज बैंक एवं बैंक ऑफ इंडिया भी ₹ 1,18,724 करोड़ के कुल पूँजी प्रवाह के क्रमशः 8.77 प्रतिशत, 8.61 प्रतिशत, 7.88 प्रतिशत तथा 7.80 प्रतिशत के साथ महत्वपूर्ण लाभार्थी थे।

- पंजाब और सिंध बैंक तथा इंडियन बैंक को कुल प्रवाह की गई कुल निधियों के 0.20 प्रतिशत और 0.24 प्रतिशत के साथ सब से कम पूँजी प्रवाह हुआ।

- इंडियन बैंक को केवल एक ही बार वित्त वर्ष 2014–15 में पूँजी प्राप्त हुई। सेन्ट्रल बैंक एवं यूको बैंक को लेखापरीक्षा संवीक्षा के नौ वर्षों में से आठ में पूँजी प्रदान की गई।

## 3.3 डी एफ एस के द्वारा पूँजी प्रवाह

पी एस बी में पूँजी प्रवाह पर निर्णय की प्रक्रिया में डी एफ एस के द्वारा स्वतंत्र मूल्यांकन आवश्यक था। लेखापरीक्षा ने हालांकि एक वर्ष अर्थात 2010–11 (लेखापरीक्षा द्वारा समीक्षा किये गये 9 वर्षों में से) में यह देखा कि डी एफ एस के द्वारा प्रवाह पर निर्णय बिना किसी स्वतंत्र जाँच के, केवल पी एस बी से प्राप्त सूचनाओं तथा उनके खुद के मूल्यांकन के आधार पर किया गया था। ₹ 20,117 करोड़ की पूँजी को वित्त वर्ष 2010–11 में तीन चरणों में लगाया गया (₹ 7,694 करोड़ पहले चरण में, ₹ 6,423 करोड़ दूसरे चरण में तथा ₹ 6,000 करोड़ तीसरे चरण में)। वित्त वर्ष 2010–11 में निधि प्रवाह के दूसरे चरण के लिए पी एस बी ने 1 जनवरी 2011 तक के आंकड़े टियर I पूँजी में कमी के आकलनों (31 मार्च 2011 तक 8 प्रतिशत में सी आर ए आर के लक्ष्यों की तुलना में) के साथ प्रस्तुत किये। इसके अनुसार डी एफ एस के द्वारा दूसरे चरण के लिए निकाली गई पूँजी की आवश्यकता, ₹ 6,423 करोड़ आँकी गई जिसे लगाया गया।

इसके अतिरिक्त, लेखापरीक्षा यह सत्यापित नहीं कर पाई कि पी एस बी में पूँजी आवश्यकता से संबंधित डी एफ एस द्वारा किये गये मूल्यांकन, बैंकों के आई सी ए ए पी एवं ए एफ आई रिपोर्ट के अनुसार थे या नहीं, क्योंकि लेखापरीक्षा को आई सी ए ए पी एवं ए एफ आई रिपोर्ट तक पहुँच की अनुमति नहीं थी।

डी एफ एस ने उत्तर दिया (जून 2017) कि जबकि पूँजी प्रवाह के तरीके एवं मात्रा को तय करने के लिए प्रत्येक बैंक से राय ली गई थी, उन्होंने पूँजी आवंटन को अंतिम रूप देने के लिए प्रत्येक बैंक के आई सी ए ए पी को संज्ञान में लिया था। डी एफ एस ने यह भी उत्तर दिया कि आई सी ए ए पी के तहत दिखाई गई आवश्यकताएं हालांकि जाँच के अधीन होंगी, जिन्हें वर्तमान में अप्रत्यक्ष रूप से सरकार द्वारा नामित निदेशकों (जी एन डी) द्वारा किया जा रहा था एवं जो बैंकों के साथ चर्चा के बाद उन्हें अधिक यथार्थवादी बनाने के लिए बदले जा सकते थे।

डी एफ एस के उत्तर को डी एफ एस के कार्यों के संदर्भ में देखा जाना चाहिए जिसमें बैंकिंग नियमन अधिनियम, 1949 की धारा 35 के तहत आर बी आई द्वारा पी एस बी की वार्षिक वित्तीय समीक्षा की जांच एवं अनुवर्ती कार्यवाही शामिल है।

## 3.4 पूँजी प्रवाह के लिए आधार

### 3.4.1 पी एस बी में पूँजी प्रवाह का आधार

**3.4.1.1** पी एस बी में पूँजी प्रवाह 2008–09 से 2014–15[13] की अवधि के लिए निम्नलिखित विचारों के आधार पर अनुमोदित किये गये थे

- पूँजी पर्याप्तता– टियर I सी आर ए आर को छः प्रतिशत (वित्त वर्ष 2008–09 एवं वित्त वर्ष 2009–10), आठ प्रतिशत (2010–11 एवं 2011–12) एवं सुविधाजनक स्तर पर रखने के लिए (2012–13) 2013–14 से 2018–19 के लिये बेसल III के तहत पूँजी पर्याप्तता के मानदंडों की अनुपालना सुनिश्चित करने का उद्देश्य था।

- अर्थव्यवस्था की क्रेडिट आवश्यकताएँ

- पी एस बी में भारत सरकार की हिस्सेदारी – को 58 प्रतिशत (दिसम्बर 2010 में निर्णय किया गया) पर रखना। बाद में, इसे दिसम्बर 2014 में 52 प्रतिशत पर संशोधित किया गया, जब पी एस बी को बाजार से एफ पी ओ अथवा क्यु आई पी के माध्यम से भारत सरकार की हिस्सेदारी को कम करके पूँजी बनाने की अनुमति देने का निर्णय लिया गया।

**3.4.1.2** पी एस बी के विशिष्ट पूँजी पर्याप्तता अनुपात को बनाए रखने के लिए (विनियामक आवश्यकता) आवश्यक पूँजी प्रवाह पर पहुँचने के लिए डी एफ एस बैंकों की जोखिम भारित आस्तियों की वृद्धि का आकलन करती है। जैसे क्रेडिट का विस्तार होता है, जोखिम भारित आस्तियां भी बैंकों के लिए पूँजी पर्याप्तता को बनाए रखने (बेसल नियमों/ आर बी आई के द्वारा निर्दिष्ट) के लिए अतिरिक्त पूँजी की जरूरत दिखाते हुए बढ़ती हैं। यदि आर डब्ल्यू ए उच्च दर पर बढ़ती रहेंगी, तो सी आर ए आर मानदंडों को पूरा करने के लिए अधिकाधिक पूँजी की आवश्यकता होगी। आर डब्ल्यू ए की वृद्धि को जैसा कि डी एफ एस के द्वारा सी सी ई ए द्वारा अनुमोदित (दिसम्बर 2014) टिप्पणी में आकलित (16 प्रतिशत) किया गया था, पी एस बी में 2014–16 की अवधि तक आर डब्ल्यू ए की वास्तविक वृद्धि के साथ तुलना करते हुए अगले पृष्ठ पर चार्ट में दर्शाया गया है :

$$\text{टियर I सी आर ए आर} = \frac{\text{टियर I पूँजी}}{\text{जोखिम भारित आस्तियाँ}}$$

[13] फरवरी/मार्च 2009, अप्रैल 2010, दिसम्बर 2010, जनवरी 2013 एवं दिसम्बर 2014 में पुनर्पूंजीकरण प्रस्तावों को आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति का अनुमोदन

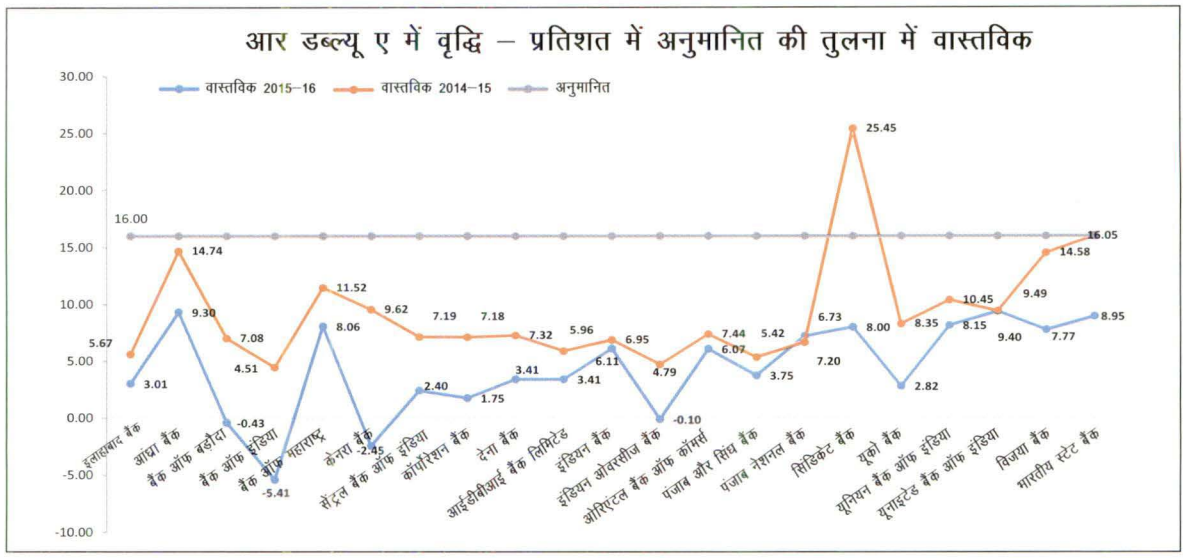


*[स्रोतः सी सी ई ए के द्वारा अनुमोदित टिप्पणी (दिसम्बर 2014) एवं आर बी आई से आंकड़े]*

चार्ट यह दर्शाता है कि ज्यादातर पी एस बी में आकलित एवं वास्तविक आर डब्ल्यू ए वृद्धि के बीच काफी अंतर था। वास्तविक आर डब्ल्यू ए वृद्धि काफी कम थी।

**3.4.1.3** इन्द्रधनुष योजना अगस्त 2015 में लाई गई थी जिसने सभी बैंकों को पर्याप्त रूप से पूँजीकृत करने और बेसल III के न्यूनतम मानदंडों के ऊपर तथा अधिक सुरक्षित बफर रखने के लिए पी एस बी में भारत सरकार के द्वारा ₹ 70,000 करोड़ के पूँजी प्रवाह की परिकल्पना की। इसने अनुमान लगाया कि इस दौरान क्रेडिट वृद्धि 12 से 15 प्रतिशत के क्रम में होगी। वर्ष–वार अनुमानित पूँजी प्रवाह निम्न है:–

**तालिका 3.2 वर्ष–वार अनुमानित पूँजी प्रवाह**

| वित्त वर्ष | राशि (₹ करोड़ में) |
|---|---|
| 2015-16 | 25,000 |
| 2016-17 | 25,000 |
| 2017-18 | 10,000 |
| 2018-19 | 10,000 |

*(स्रोतः– इन्द्रधनुष योजना दस्तावेज)*

इस अवधि (2015–19) के दौरान पी एस बी के लिए प्राक्कलित आवश्यकता ₹ 1,80,000 करोड़ निकाली गई। योजना में अनुमान लगाया गया कि पी एस बी का बाजार – मूल्य निर्धारण दूरगामी प्रशासन सुधारों, कठोर एन पी ए प्रबंधन एवं जोखिम नियंत्रण, महत्वपूर्ण सशक्त परिचालन सुधारों, तथा भारत सरकार से पूँजी आवंटन के कारण महत्वपूर्ण ढंग से बेहतर होगा। संशोधित मूल्यांकन गैर मूल आस्तियों से अनलॉकिंग मूल्यों के साथ–साथ पूँजी उत्पादकता में सुधार पी एस बी को बाजार से शेष ₹ 1,10,000 करोड जुटाने में सक्षम बनायेंगे।

### 3.4.2 एम ओ यू एवं पूँजी प्रवाह के आधार के बीच विसंगति

पी एस बी ने डी एफ एस के साथ फरवरी/मार्च 2012 में एम ओ यू हस्ताक्षरित किये जिन्हें 2011–12 से 2014–15 के दौरान पी एस बी में पूँजी प्रवाह के लिए आधार बनाया जाना था। एम

ओ यू ने प्रदर्शन मापदंडों की उपलब्धियों के सापेक्ष लक्ष्य निर्धारित किये जिनको पूँजी प्रवाह को गति देनी थी।

मापदंडों में चालू खाता, बचत खाता (सी ए एस ए) प्रतिशत, आस्तियों पर आय (आर ओ ए) प्रतिशत, प्रति कर्मचारी निवल लाभ, कर्मचारी लागत आय अनुपात (प्रतिशत में), अन्य लागत–आय अनुपात (प्रतिशत), बाजार शेयर – जमा (प्रतिशत), आर बी आई रेटिंग, शाखाओं में कर्मचारियों और कुल कर्मचारियों का अनुपात एवं कुल एन पी ए के प्रतिशत के रूप में दो वर्ष तक के बकाया एन पी ए शामिल थे।

लेखापरीक्षा ने देखा कि पूँजी प्रवाह के लिए आधार एम ओ यू लक्ष्यों के सापेक्ष प्रदर्शन होने की बजाय, वास्तविक आधार पूँजी–पर्याप्तता एवं क्रेडिट वृद्धि के आकलनों से संबंधित विनियामक आवश्यकताएँ थी जैसा कि उपरोक्त पैरा 3.4.1.1 एवं 3.4.1.2 में सूचीबद्ध किया गया है। कुछ प्रदर्शन मापदण्ड पूँजी प्रवाह के लिए आधार केवल 2014–15 के दौरान ही बने। डी एफ एस ने उत्तर दिया (जून 2017) कि आवश्यकता आधारित पूँजी प्रवाह के लिये सी सी ई ए का अनुमोदन पूर्व के निर्णय को रद्द करता था तथा इसलिए एम ओ यू की आवश्यकता नहीं थी। एम ओ यू का लक्ष्य कुछ मापदंडो के आधार पर पूँजी आवंटन करना था पर सी सी ई ए अनुमोदन के पश्चात वे उद्देश्य ही खत्म हो गये जिनके लिए एम ओ यू की आवश्यकता थी।

डी एफ एस के उत्तर को पी एस बी में पूँजी प्रवाह के लिए प्रदर्शन को आधार के रूप में अपनाने के दृष्टिकोण के सापेक्ष देखा जाना चाहिए। हालाँकि डी एफ एस ने अपने उत्तर में इस बात पर बल दिया था कि एम ओ यू की आवश्यकता नहीं थी, 2014–15 में पूँजी प्रवाह मुख्य रूप से आस्तियों पर आय (आर ओ ए), बेहतर प्रदर्शन कर रहे बैंकों को पुरस्कृत करने के लिए एम ओ यू के तहत एक प्रदर्शन मापदंड के आधार पर किया गया था। डी एफ एस ने 2015–16 एवं 2016–17 में पी एस बी के प्रदर्शन के आधार पर निर्धारित पूँजी के क्रमश : 20 प्रतिशत और 25 प्रतिशत पूँजी के प्रवाह का प्रस्ताव भी रखा था। इसके अतिरिक्त लेखापरीक्षा ने देखा कि डी एफ एस ने विनिर्दिष्ट किया (मार्च 2017) कि केवल एम ओ यू हस्ताक्षर करने तथा तिमाही मानकों को प्राप्त करने पर ही पी एस बी पूँजी प्रवाह के लिए योग्य समझे जायेंगे' एवं मार्च 2017 में पी एस बी के साथ एम ओ यू अनुबंधित किया।

### 3.4.3 पूँजी प्रवाह के लिए आवश्यकता के आकलन के लिए अपनाये गये भिन्न आधार

2008–09 से 2016–17 तक ₹ 1,18,724 करोड़ की पूँजी पी एस बी में पूँजी पर्याप्तता की जरूरतों (सी आर ए आर, टियर I पूँजी, सी ई टी I) को पूरा करने या प्रदर्शन पर आधारित आस्तियों पर आय (आर ओ ए) के मुख्य उद्देश्य के लिए डाली गई थी। इन मापदंडों को तय करने के लिए आधार वर्ष–दर–वर्ष तथा प्रायः उसी वर्ष (2010–11, 2015–16 तथा 2016–17) के कई हिस्से के भीतर ही बदलते रहे, जैसा कि अगले पृष्ठ पर दी गई तालिका से प्रतीत होता है।

तालिका 3.3 पूँजी प्रवाह के लिए जरूरत का आकलन करने हेतु अपनाये गये आधार

| वित्तीय वर्ष | पूँजी प्रवाह (₹ करोड़ में) | आधार | |
|---|---|---|---|
| | | संदर्भ तिथि | वास्तविक / आकलित |
| 2010-11 | 7694[14] | 31 मार्च 2010 | वास्तविक टियर I सी आर ए आर |
| | 6423 | 31 मार्च 2011 | आकलित टियर I सी आर ए आर |
| | 6000 | 31 मार्च 2011 | भारत सरकार की हिस्सेदारी को 58 प्रतिशत तक बढ़ाना |
| 2011-12 | 12000 | 31 दिसम्बर 2011 | वास्तविक टियर I सी आर ए आर |
| 2012-13 | 12517 | 31 मार्च 2013 | आकलित टियर I सी आर ए आर |
| 2013-14 | 14000 | 31 मार्च 2014 | आकलित टियर I सी आर ए आर एवं भारत सरकार की हिस्सेदारी को 58 प्रतिशत तक बढ़ाना |
| 2014-15 | 6990 | बीते तीन वर्षो की औसत आय | वास्तविक आर ओ ए |
| 2015-16 | 9932 | 31 मार्च 2016 | आकलित सी ई टी–I |
| | 10018 | 31 मार्च 2016 | आकलित आर डब्ल्यू ए |
| | 5050 | 31 मार्च 2016 | आकलित न्यूनतम विनियामक पूँजी |
| 2016-17 | 16414 | 31 मार्च 2017 | आकलित टियर–I |
| | | 31 मार्च 2017 | आकलित आर डब्ल्यू ए |
| | 7750 | 31 मार्च 2017 | आकलित सी ई टी–I |
| | 836 | 31 मार्च 2018 | आकलित सी ई टी–I |

*(स्रोतः डी एफ एस के अभिलेख)*

डी एफ एस ने (मई 2017) पी एस बी की पूँजी आवश्यकताओं को तय करने में निरंतरता के अभाव को यह कहते हुए स्पष्ट किया कि यह सुनिश्चित करने का दृष्टिकोण कि बैंक न्यूनतम विनियामक पूँजी आवश्यकताओं को प्राप्त करें, भविष्य के आकलनों पर किया गया लेकिन शेष भाग में जहाँ दृष्टिकोण उन बैंकों को पुरस्कृत करने पर आधारित था, जिन्होंने पूँजी का विवेकपूर्ण प्रयोग किया था को वास्तविक आँकड़ों के आधार पर ही सुनिश्चित किया जा सकता था।

यद्यपि डी एफ एस का उत्तर वित्त वर्ष 2014–15 के लिए वास्तविक आर ओ ए के उपयोग को स्पष्ट करता है, यह 2010–11 एवं 2011–12 में वास्तविक टियर I सी आर ए आर पर विचार को संबोधित नहीं करता है। वास्तव में 2010–11 में पूँजी प्रवाह दो अलग–अलग हिस्सों में भिन्न आधार

[14] इनमें 2009–10 में पूँजी के लिए सी सी ई ए के अनुमोदन (फरवरी/मार्च 2009) के आधार पर यूनाइटेड बैंक, यूको बैंक, विजया बैंक एवं सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया में डाले गये ₹ 250 करोड़, ₹ 300 करोड़ ₹ 700 करोड़ एव ₹ 250 करोड़ शामिल है।

पर की गई थी। जबकि 31 मार्च 2010 तक वास्तविक टियर I सी आर ए आर पर प्रथम चरण में विचार किया गया, 31 मार्च 2011 तक आकलित टियर का विचार द्वितीय चरण में किया गया। लेखापरीक्षा ने देखा कि नीचे सारणीबद्ध किये गये पी एस बी के संबंध में, 2010–11 में दोनों चरणों में 31 मार्च 2010 के अनुसार वास्तविक टियर I सी आर ए आर तथा 31 मार्च 2010 तक के अनुमानित टियर I सी आर ए आर के आधार पर पूँजी का प्रवाह किया गया था।

**तालिका 3.4 दो बैंकों में दो अलग–अलग चरणों में भिन्न–भिन्न आधार अपनाते हुए पूँजी का प्रवाह**

| बैंक | पूँजी का प्रवाह | (₹ करोड़ में) |
|---|---|---|
| बैंक ऑफ महाराष्ट्र | 588 | 352 |
| यूको बैंक | 373 | 940 |

*(स्रोत : डी एफ एस के अभिलेख)*

### 3.4.4 निष्पादन के आधार पर पूँजी प्रवाह

**3.4.4.1** डी एफ एस ने वित्त वर्ष 2014–15 के लिए लाभार्थी बैंकों एवं लगाई जाने वाली इक्विटी पूँजी की राशि की पहचान (जनवरी 2015) मुख्यतः आस्तियों पर आय (आर ओ ए)[15] के आधार पर की थी। इसने आवश्यकता आधारित पूँजी प्रवाह की ओर बदलाव का संकेत दिया। यह देखा गया कि 2014–15 में पूँजी के प्रवाह के लिए सी सी ई ए अनुमोदन (जनवरी 2013) ने आवश्यकता आधारित पूँजी प्रवाह को बेसल III नियमों की अनुपालना के साथ परिकल्पित किया था।

अपने उत्तर में (जून 2017) में डी एफ एस ने कहा कि यद्यपि 2014–15 के दौरान पूँजी प्रवाह की आवश्यकता नहीं थी, बैंकों में आने वाले समय के लिए बफर रखने के लिए पूँजी का प्रवाह किया गया और साथ ही यह सुनिश्चित किया गया कि बेहतर प्रदर्शन कर रहे बैंक पुरस्कृत किये जायें एवं मापदण्ड आयजनित था। ऐसा यह सुनिश्चित करने के लिये था कि बैंकों के द्वारा पूँजी का उपयोग विवेकपूर्ण तरीके से किया गया है और वे ऐसा करना जारी रखेंगे।

डी एफ एस के उत्तर को पी एस बी के एम ओ यू (अक्तूबर 2014) पर डी एफ एस के उस अवलोकन के सापेक्ष देखे जाने की जरूरत है कि सभी बैंकों (उन बैंकों सहित जिनमें पूँजी डाली गई थी) की उपलब्धियां मानक स्तर से नीचे रही थीं एवं सभी पी एस बी को आंतरिक प्रक्रियाओं को सशक्त बनाने एवं निकट–से–मध्यम अवधि में अतिरिक्त पूँजी बचत के उत्पादन के लिए निर्देश दिया गया। डी एफ एस ने इस पर भी बल दिया कि प्रत्येक बैंक को निर्धारित क्षेत्रों[16] (जिसमें आर ओ ए शामिल नहीं था) में अपने अवसर का संपूर्ण मूल्यांकन करना चाहिए जिस पर डी एफ एस के द्वारा आगे पूँजी प्रवाह के लिए निगरानी रखी जाएगी। लेखापरीक्षा ने देखा कि 2014–15 के लिए जनवरी 2015 में निधि प्रवाह की प्रक्रिया करते समय डी एफ एस ने उन क्षेत्रों में प्रगति की ओर ध्यान नहीं दिया जिसे उन्होंने बैंकों को अक्तूबर 2014 में मुख्य रूप से दर्शाया था तथा आर ओ ए को पूँजी प्रवाह का मूल मापदण्ड बनाया।

---

[15] आर ओ ए–एक लाभप्रदता अनुपात है जिसे कुल आस्तियों में से निवल लाभ को विभाजित करने के द्वारा निकाला जाता है

[16] पाँच क्षेत्र–(क) आर डब्ल्यू ए को घटाने के माध्यम से निर्गत पूंजी (ख) सभी नए उद्गम हेतु अधिक कठोर जोखिम आधारित मूल्य परिनियोजित करना तथा इसे सक्षम बनाने के लिए बेहतर स्कोरिंग मॉडल कार्यान्वित करना (ग) निष्पादन प्रबंधन का सशक्तिकरण (घ) जोखिम आधारित कीमत पर मुख्य बैंक स्टाफ हेतु क्षमता निर्माण तथा उनके निर्णयों पर पूंजी निहितार्थ को समझना (ड) बैंक के लिए सभी अनुषंगी/जे वी की समीक्षा

**3.4.4.2** इन्द्रधनुष योजना के अनुसार वित्त वर्ष 2015–16 के लिए, निर्धारित पूँजी प्रवाह के 20 प्रतिशत को पी एस बी को 2015–16 में तीन तिमाहियों के दौरान उनके प्रदर्शन के आधार पर आवंटित किया जाना था, जो किसी प्रकार के प्रदर्शन पर आधारित था। लेखापरीक्षा ने देखा कि ऐसा नहीं किया गया एवं संपूर्ण निधियों को आर बी आई के द्वारा की गई आस्ति गुणवत्ता समीक्षा के बाद आवश्यकता के आधार पर जारी किया गया था। वित्त वर्ष 2016–17 के दौरान भी, डी एफ एस ने निधि के प्रवाह का 25 प्रतिशत प्रदर्शन के आधार पर निर्धारित किया (जुलाई 2016)। हालांकि, ज्यादातर बैंक तय किये गये लक्ष्य से पीछे रह गये, प्रदर्शन को वर्ष के दौरान किये गये पूँजी प्रवाह का आधार नहीं माना गया।

**3.4.4.3** डी एफ एस ने निर्णय किया (मार्च 2016) कि 2016–17 में लगाई जाने वाली पूँजी का 25 प्रतिशत पहले ही वितरित कर दिया जाएगा तथा शेष का 75 प्रतिशत पी एस बी के द्वारा वर्ष (2016–17) के अंत तक मात्रात्मक लक्ष्यों की प्राप्ति के आधार पर वितरित किया जाएगा। यह विशेष रूप से कहा गया कि वे बैंक जो लक्ष्यों को प्राप्त नहीं करेंगे उन्हें आगे निधि आवंटित नहीं की जाएगी। जुलाई 2016 में हालाँकि डी एफ एस ने इस को यह तय करते हुए सुधारा कि 75 प्रतिशत आवंटन पहले ही एवं शेष 25 प्रतिशत निर्धारित मानदंडों के आधार पर किया जाए। संशोधन इस तरह का था कि पी एस बी के पास ऋण देने और उन्हें बाजार से धन जुटाने हेतु सक्षम बनाने के लिए पर्याप्त तरलता हो। पूर्व में प्रायोजित 25 प्रतिशत के अग्रिम वितरण के 75 प्रतिशत में बदलाव ने डी एफ एस के पूँजी के कुशल और इष्टतम उपयोग के लिए जिम्मेदारी सुनिश्चित करने के लक्ष्य को प्रभावित किया।

डी एफ एस ने उत्तर दिया (जून 2017) कि बैंकों से चर्चा के बाद अनुपात 25:75 की जगह 75:25 में बदला गया था, जो एक सामान्य प्रक्रिया थी तथा जिसे टिप्पणी में संदर्भित नहीं किया जा सका होगा। डी एफ एस ने यह भी जवाब दिया कि चूँकि बैंकों को सी ए आर को त्रैमासिक आधार पर दर्शाना जरूरी था उन्होंने यह तर्क दिया कि निर्णय में बैंकरों के साथ विचार–विमर्श से प्रभावित बदलाव के साथ उच्च पूँजी प्रवाह अग्रिम ने उन्हें कुछ बफर प्रदान किया।

डी एफ एस का उत्तर इस तथ्य के सापेक्ष देखे जाने की जरूरत है कि 2016–17 में, संपूर्ण पूँजी पी एस बी को उनके किसी भी उपलब्धि मानदंड पर विचार किये बिना ही जारी कर दी गई थी जो डी एफ एस के दृष्टिकोण में बदलाव को दर्शाता है।

## 3.5 पी एस बी में पूँजी का वितरण

2008–09 से 2016–17 तक पी एस बी को नियमित (वार्षिक) रूप से पूँजी दी गई थी, ताकि वे बेसल मानदंडों/आर बी आई मानदंडों में अनिवार्य बनायी गयी विनियामक पूँजी आवश्यकताओं को प्राप्त कर पायें, आर्थिक विकास से प्रेरित क्रेडिट माँगों पर ध्यान दे सकें तथा पी एस बी में भारत सरकार की हिस्सेदारी को बेंचमार्क स्तर (दिसम्बर 2010 से 58 प्रतिशत पर तय किया गया, बाद में दिसम्बर 2014 में 52 प्रतिशत तक कम किया गया) पर बनाये रखें।

**3.5.1** वित्त वर्ष 2011–12 में पी एस बी में पूँजी लगाने का उद्देश्य था कि वे 8 प्रतिशत के टियर I सी आर ए आर (अप्रैल 2010 का सी सी इ ए अनुमोदन) को प्राप्त करें। लेखापरीक्षा ने देखा कि एस बी आई को आठ प्रतिशत के टियर I सी आर ए आर लक्ष्य प्राप्त करवाने के लिए उसकी

आवश्यकता से ज्यादा अतिरिक्त पूँजी प्रदान की गई। जबकि 2011–12 में एस बी आई के लिए विनियामक आवश्यकता ₹ 5,874 करोड़ थी, डी एफ एस ने उनकी पूँजी की माँग के अनुरूप ₹ 7,900 करोड़ की पूँजी लगाई। जबकि 2011–12 में एस बी आई के लिए विनियामक आवश्यकता ₹ 5,874 करोड़ थी, डी एफ एस ने उनकी पूँजी की माँग के अनुरूप वर्ष के दौरान एस बी आई में ₹ 7,900 करोड़ की पूँजी यह कहते हुए लगाई कि आसन्न बेसल III मानदंडों का अनुसरण करते हुए एस बी आई को लगभग 11 प्रतिशत पर टियर I सी आर ए आर बनाए रखे। वास्तव में, सातों[17] पी एस बी, जिनको 2011–12 के दौरान पूँजी प्रदान की गई थी, में केवल एस बी आई ही था जिसको उसके द्वारा अनुरोध की गई पूरी राशि प्राप्त हुई थी।

डी एफ एस ने जवाब (जून 2017) दिया कि एस बी आई में पूँजी आठ प्रतिशत के टियर I अनुपात को बनाए रखने में मदद के लिए लगाई गई थी जो कि पूँजीकरण के लिए भारत सरकार की नीतियों के अनुरूप था, साथ ही यह जोड़ा कि उस वर्ष आवश्यकता से थोड़ी अधिक राशि को लगाने का निर्णय मुख्य रूप से भविष्य की आवश्यकताओं के मद्देनजर लिया गया था। डी एफ एस ने ये जोड़ा कि एस बी आई के लिए आवश्यकता काफी अधिक थी तथा लगभग 25 प्रतिशत के बाजार शेयर (सहयोगी बैंकों सहित) के साथ यह सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक व्यापार के लगभग एक तिहाई के लिए उत्तरदायी था।

डी एफ एस का उत्तर निम्न के परिप्रेक्ष्य में स्वीकार्य नहीं है

(i) सी सी ई ए का अनुमोदन आठ प्रतिशत के टियर I सी आर ए आर लक्ष्य को बनाए रखने के लिए था।

(ii) भावी वर्षों में एस बी आई हेतु टियर I सी आर ए आर के लिए 11 प्रतिशत के लक्ष्य को एक समान रूप से बनाए नही रखा गया।

**3.5.2** वित्त वर्ष 2013–14 में, पी एस बी में पूँजी प्रवाह के लिए आधार (दिसम्बर 2010, जनवरी 2013 के सी सी ई ए निर्णयों के अनुरूप) निम्न थे:

- 31 मार्च 2014 तक टियर I सी आर ए आर को 8 प्रतिशत के स्तर के ऊपर बनाए रखना
- भारत सरकार के शेयर हिस्सेदारी को 58 प्रतिशत के जितना नजदीक हो सके बनाए रखना
- लेखापरीक्षा ने वर्ष के दौरान पी एस बी में वास्तविक पूँजी प्रवाह के संबंध में निम्न को पाया
- 20 पी एस बी जिनका मूल्यांकन किया जा चुका गया था, में से चार[18] पी एस बी दिये गये मानदंडों (जैसे कि आठ प्रतिशत से अधिक का टियर I सी आर ए आर तथा भारत सरकार की शेयर हिस्सेदारी 58 प्रतिशत से उपर रखना) के आधार पर योग्य नहीं थे तथा अन्य

---

[17] पी एस बी बैंक ऑफ महाराष्ट्र (₹ 470 करोड़), सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया (₹ 676 करोड़), आई डी बी आई बैंक (₹ 810 करोड़), इंडियन ओवरसीज बैंक (₹ 1,441 करोड़), पंजाब नेशनल बैंक (₹ 655 करोड़) भारतीय स्टेट बैंक (₹ 7,900 करोड़) तथा यूको बैंक (₹ 48 करोड़)

[18] एस बी आई, कैनरा बैंक, सिंडिकेट बैंक, यूको बैंक

तीन[19] ने सी आर ए आर लक्ष्य तो पूरा किया पर उनमें भारत सरकार की शेयर हिस्सेदारी कम थी। वर्ष के दौरान 20 बैंकों (इन चार बैंकों सहित जो दिये गये मानदंडों के अनुसार योग्य नहीं थे) में पूँजी लगाई गई।

- डी एफ एस ने 2013–14 में पी एस बी के लिए टियर I सी आर ए आर को पूरा करने के लिए ₹ 14,000 करोड़ के उपलब्ध बजट के सापेक्ष ₹ 15,703 करोड़ की आवश्यकता का आकलन किया था। पी एस बी में सी आर ए आर लक्ष्यों को पूरा करने के लिए केवल ₹ 9,550 करोड़ लगाये गये थे शेष ₹ 4,450 करोड़ को बाकी के सात बैंकों में लगाया गया (जिनमें से ₹ 2,900 करोड़ उन चार बैंकों में लगाये गये थे जो मानदंडों को पूरा नहीं करते थे।

- ₹ 9,550 करोड़ की पूँजी को उन 13 पी एस बी जो 8 प्रतिशत के टियर I बेंचमार्क को पूरा नहीं करते थे के बीच वितरित करने के लिए कोई एक समान नियम रिकार्ड में नहीं थे। यह देखा गया डी एफ एस के द्वारा इन बैंकों के लिए आकलित आवश्यकताओं के 50.10 से 108.17 प्रतिशत तक की पूँजी लगाई गई। वास्तव में, कारपोरेशन बैंक के मामले में लगाई गई पूँजी ₹ 450 करोड़ (₹ 416 करोड़ की आकलित आवश्यकता से अधिक) थी तथा इलाहाबाद बैंक के मामले में लगाई गई पूँजी ₹ 400 करोड़ (आकलित आवश्यकताओं के बराबर) थी।

डी एफ एस ने उत्तर (अप्रैल 2017) दिया कि लगाई जाने वाली राशि को पाये गये अंतर के लिए कारण बताए बिना ही राउंड ऑफ कर दिया गया। यह बताया गया कि वित्त वर्ष 2014 के दौरान पूँजी का आवंटन पहले यह सुनिश्चित करने के लिए किया गया था कि सभी पी एस बी न्यूनतम 8 प्रतिशत के टियर I अनुपात को पूरा कर लें। उसके बाद पूँजी उन पी एस बी को आवंटित की गई जिनमें भारत सरकार की हिस्सेदारी 58 प्रतिशत से कम थी। बैंक जिनमें भारत सरकार की शेयरधारिता 58 प्रतिशत से अधिक थी, वहाँ भारत सरकार (60 प्रतिशत) तथा पी एस बी (40 प्रतिशत) द्वारा क्यू आई पी के पक्ष में बेहतर आवंटन का एक संयोजन यह सुनिश्चित करने के लिए विचारित था कि पी एस बी में भारत सरकार की शेयरधारिता न्यूनतम रूप से कम हो तथा बाजार से भविष्य की पूँजी जुटाने के लिए हेडरूम तैयार करें। उपरोक्त प्रक्रिया के बाद अवितरित राशि को शेष बैंकों में आने वाले वर्षों में न्यूनतम पूँजी आवश्यकताओं के लिए पर्याप्त हेडरूम सुनिश्चित करने के लिए प्रदान की गई। एस बी आई, केनरा बैंक, सिंडीकेट बैंक, एवं यूको बैक को पूँजी उसी प्रकार दी गई।

डी एफ एस का उत्तर यह दर्शाता है कि सभी पी एस बी की सी आर ए आर आवश्कताएं अन्य बैंकों मे पूँजी लगाये जाने पहले ही पूरी कर ली गई थी (बिना किसी विशिष्ट सी आर ए आर की जरूरत के)। यह हालांकि पूर्ण रूप से इस तथ्य को नहीं दर्शाता कि 11 पी एस बी की संपूर्ण आवश्यकताएँ, जैसा कि डी एफ एस के द्वारा आकलित किया गया था, वर्ष 2013–14 के दौरान पूरी नहीं हो पाई , जबकि सभी अन्य बैकों को पूँजीकृत किया जा चुका था।

---

[19] बैंक ऑफ बड़ौदा, पंजाब नेशनल बैंक, यूनियन बैक इंडियन

## 3.6 पी एस बी के द्वारा बाजार से पूँजी जुटाना

इन्द्रधनुष योजना (2015–19) में यह विचारित किया गया था कि पी एस बी ₹ 1,80,000 करोड़ की अनुमानित पूँजी की आवश्यकता को पूरा करने के लिए उसी अवधि में भारत सरकार के द्वारा ₹ 70,000 करोड़ के पूँजीगत प्रवाह के साथ बाजार से 2015–19 तक ₹ 1,10,000 करोड़ जुटायेंगी।

लेखापरीक्षा ने पाया कि अभी तक (जनवरी 2015 – मार्च 2017) पी एस बी बाजार से मात्र ₹ 7,726 करोड़ ही जुटा पायी थी जो 2019 तक बाजार से एक लाख करोड़ से अधिक की शेष राशि को जुटा पाने की संभावना पर संदेह पैदा करता है।

डी एफ एस ने उत्तर दिया (जून 2017) कि बाजार परिदृश्य विशेष रूप से बैंकिंग स्टॉक उत्साहजनक था और यह भी कहा कि मजबूत और बड़ी पी एस बी अपने 52 सप्ताह के उच्च स्तर के करीब थी और पिछले कुछ वर्षों में अपने उच्चतम स्तर पर थी। जबकि बैंकेक्स नीचे जा चुका था, कुछ बड़े पी एस बी अच्छा प्रदर्शन कर रहे थे और उनके शेयर की कीमत 52 सप्ताह के उच्च स्तर के करीब थी। डी एफ एस ने यह भी उत्तर दिया कि बड़े बैंक, जिन्हें पूँजी की आवश्यकता का लगभग 60–70 प्रतिशत की आवश्यकता होती, अगले दो वर्षों में बाजारों से इक्विटी जुटाने की स्थिति में होंगे।

# अध्याय IV
# पी एस बी में पूँजी प्रवाह की निगरानी

पिछले दशक में डी एफ एस द्वारा पी एस बी में उल्लेखनीय पूँजी का निवेश किया गया है (2008–17 के दौरान ₹ 1,18,724 करोड़ की राशि)। इसी अवधि में लेखापरीक्षा ने पी एस बी में पूँजी प्रवाह के प्रभाव की निगरानी के लिये डी एफ एस के पास उपलब्ध प्रणाली की समीक्षा की। यह देखा गया कि डी एफ एस ने मुख्यतः माँगपत्र के विवरण (एस ओ आई) और समझौता ज्ञापन (एम ओ यू) के माध्यम से पी एस बी को लक्ष्य बताये। लेखापरीक्षा ने इन दस्तावेजों (जो लेखापरीक्षा को उपलब्ध कराये गये थे [20]) की तथा पी एस बी में पूँजी प्रवाह की निगरानी के लिये डी एफ एस में प्रणालियों की समीक्षा की।

## 4.1 माँग पत्र का विवरण

पी एस बी के प्रदर्शन की निगरानी के लिये वार्षिक लक्ष्यों पर एस ओ आई की विधि को वित्त मंत्रालय के निर्देशों (जून 2005) पर प्रारम्भ किया गया था। निष्पादन मापदण्डों का एक सेट परिभाषित किया गया था और इन मापदण्डों के सापेक्ष पी एस बी के लिये लक्ष्य निर्धारित किये गये थे। एस ओ आई मापदण्डों पर पुनः विचार किया गया तथा 23 अप्रैल 2010, 21 अक्टूबर 2011, एवं 20 मई 2012 को किये गये संशोधनों के साथ समय–समय पर परिवर्तित किया गया। मई 2012 में संशोधन के बाद 44 एस ओ आई मापदण्ड थे जिनकी निगरानी डी एफ एस द्वारा की जानी थी। पी एस बी के निष्पादन की निगरानी के लिये एक उपकरण होने के अलावा एस ओ आई का प्रयोग पी एस बी के शीर्ष प्रबन्धन को प्रोत्साहित करने के लिये भी किया जाता है जब एस ओ आई लक्ष्यों को प्राप्त कर लिया जाता है।

### 4.1.1 अतिरिक्त पूँजी की स्वीकृति के लिये निर्धारित किये गये लक्ष्यों के सापेक्ष एस ओ आई लक्ष्यों में विसंगतियाँ

लेखापरीक्षा ने पाया कि समीक्षा किये गये नौ वर्षो (2008–17) में से एक वर्ष (2010–11) में पी एस बी में पूँजी लगाने के लिये जारी किये गये स्वीकृति पत्र में शर्तें निर्धारित की गई थीं। ऐसी कोई शर्त अन्य वर्षों के लिये अभिलेखों में उपलब्ध नहीं थी। उपलब्ध कराये गये दस्तावेजों के आधार पर लेखापरीक्षा ने पाया कि पाँच पी एस बी के मामले में 2010–11 में पूँजी की स्वीकृति के समय विशिष्ट मापदण्डों क सापेक्ष निर्धारित लक्ष्य एस ओ आई में समान मापदण्डों के लिये निर्धारित किये गये लक्ष्यों से काफी अलग थे। इन पी एस बी में लक्ष्यों के दोनों सेटों और वास्तविक प्राप्तियों में विसंगति को अगले पृष्ठ पर तालिका में दर्शाया गया है:

---

[20] 2011–12, 2012–13, 2013–14 तथा 2014–15 के एस ओ आई दस्तावेज लेखापरीक्षा को उपलब्ध कराये गये थे। फरवरी/मार्च 2012 में हस्ताक्षरित एम ओ यू भी उपलब्ध कराये गये थे।

तालिका 4.1 लक्ष्यों के दो सेटों और इन पी एस बी में वास्तविक प्राप्तियों में विसंगति

| मापदण्ड | 2010–11 | | | 2011–12 | | | 2012–13 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | स्वीकृति के साथ लक्ष्य (प्रतिशत) | एस ओ आई लक्ष्य (प्रति–शत) | प्राप्ति (प्रतिशत) | स्वीकृ–ति के साथ लक्ष्य (प्रति–शत) | एस ओ आई लक्ष्य (प्रतिशत) | प्राप्ति (प्रतिशत) | स्वीकृति के साथ लक्ष्य (प्रतिशत) | एस ओ आई लक्ष्य (प्रतिशत) | प्राप्ति (प्रतिशत) |
| **बैंक ऑफ महाराष्ट्र** | | | | | | | | | |
| आर ओ ए | 0.80 | 0.70 | 0.47 | 1.00 | 0.55 | 0.55 | | 0.70 | 0.74 |
| प्रत्यक्ष कृषि अग्रिम | 11 | 10.50 | 9.93 | 12.5 | 10.27 | 10.43 | 13.50 | 11.00 | 11.22 |
| कमजोर वर्गों को अग्रिम | 7.50 | 7.00 | 6.49 | 9.00 | 6.72 | 6.72 | 10.00 | 8.00 | 8.31 |
| सकल एन पी ए (प्रतिशत) | 2.40 | 2.60 | 2.47 | 2.00 | 2.36 | 2.28 | | 2.48 | 1.49 |
| निवल एन पी ए (प्रतिशत) | 1.30 | 1.50 | 1.32 | 1.00 | 1.30 | 0.84 | | 1.22 | 0.52 |
| निवल लाभ (₹ करोड़ में) | प्रति वर्ष 20 प्रतिशत की न्यूनतम वृद्धि | 485 | 330 | | 400 | 430.83 | | 650 | 759.52 |
| लागत आय अनुपात | 200 बी पी एस प्रतिवर्ष का सुधार 40 प्रतिशत तक | 56 | 65.79 | | 59 | 52.02 | | 52 | 45.54 |
| **यूको बैंक** | | | | | | | | | |
| सी ए एस ए जमा | 5 प्रतिशत प्रति वर्ष सुधार 30 प्रतिशत तक | उपलब्ध नहीं | 23.20 | | 30 | 23.85 | | 24.50 | 34.96 |
| निवल एन पी ए (प्रतिशत) | 1.00 | 0.80 | 1.84 | | 1.6 | 1.96 | | 1.69 | 3.17 |
| आर ओ ए | 1.00 | 0.85 | 0.66 | | 0.74 | 0.69 | | 0.75 | 0.33 |
| लागत आय अनुपात | 2 प्रतिशत प्रति वर्ष कम करना 40 प्रतिशत तक | 46 | 43.51 | | 43 | 42.24 | | 41.00 | 39.33 |
| **यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया** | | | | | | | | | |
| कमजोर वर्गों को अग्रिम | 10 | 10 | 10.12 | | 10 | 6.59 | | 7.46 | 9.18 |
| सकल एन पी ए (प्रतिशत) | 2 से कम | 2.4 | 2.37 | | 2.65 | 3.01 | | 2.95 | 2.98 |
| लागत आय अनुपात | 40 | 43 | 47.85 | | 47 | 43.15 | | 44 | 44.70 |
| **आई डी बी आई बैंक** | | | | | | | | | |
| सी ए एस ए जमा | 5 प्रतिशत प्रति वर्ष का सुधार 30 प्रतिशत तक | | 21 | | 24 | 24.10 | | 27.50 | 25.12 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| प्राथमिक क्षेत्र को अग्रिम | 40 | 40 | 30.44 | | 33 | 31.51 | | 37 | 22.30 |
| प्रत्यक्ष कृषि अग्रिम | 13.5 | 13.55 | 5.70 | | 9.00 | 4.99 | | 10 | 2.80 |
| कमजोर वर्गों को अग्रिम | 2 प्रतिशत प्रति वर्ष का सुधार 10 प्रतिशत तक | 10.01 | 2.64 | | 4 | 3.26 | | 4 | 3.12 |
| आर ओ ए | कम से कम 0.20 प्रतिशत का सुधार 1 प्रतिशत तक | 0.70 | 0.73 | | 0.80 | 0.81 | | 0.9 | 0.69 |
| **सेंट्रल बैंक ऑफ इण्डिया** | | | | | | | | | |
| आर ओ ए | 0.8 | 0.8 | 0.70 | 1 | 0.55 | 0.26 | | 0.55 | 0.44 |
| सकल एन पी ए (प्रतिशत) | 2 से कम | 2 | 1.82 | | 3.34 | 4.83 | | 3.70 | 4.80 |
| लागत आय अनुपात | प्रति वर्ष 2 प्रतिशत कम करना 40 प्रतिशत तक | 49 | 60.68 | | 54.64 | 57.11 | | 53 | 57.16 |

***(स्रोतः डी एफ एस के अभिलेख)***

तालिका इंगित करती है कि एस ओ आई लक्ष्य स्वीकृति आदेश से जुड़े लक्ष्यों से कम सख्त थे। तालिका यह भी इंगित करती है कि एस ओ आई लक्ष्यों की तुलना में वास्तविक प्राप्तियाँ खराब थीं। इस प्रकार 2010–11 के स्वीकृति आदेश में निर्धारित लक्ष्य भी वास्तव में प्राप्त नहीं किये जा सके।

लेखापरीक्षा को इस बात का साक्ष्य नहीं मिला कि स्वीकृति आदेशों में निर्धारित शर्तों को शामिल किये जाने की निगरानी वास्तव में डी एफ एस द्वारा की जा रही थी। हालाँकि, एस ओ आई की नियमित समीक्षा स्वयं बैंकों तथा डी एफ एस द्वारा की जाती है और ऐसे में एस ओ आई लक्ष्यों को अतिरिक्त पूँजी निवेश से जुड़े लक्ष्यों के अनुरूप निर्धारित किया जाना चाहिये।

डी एफ एस ने अपने उत्तर (अप्रैल 2017) में स्वीकृति पत्र की शर्तों तथा एस ओ आई लक्ष्यों में विसंगति के लिये कोई तर्क नहीं दिया।

## 4.2 समझौता ज्ञापन

फरवरी/मार्च 2012 में डी एफ एस ने पी एस बी के साथ समझौता ज्ञापन (एम ओ यू) की प्रक्रिया प्रारम्भ की जिससे कि यह सुनिश्चित हो कि वे दीर्घकालिक व्यावसायिक विकास और निष्पादन वृद्धि के लिये एक मजबूत योजना तैयार करें और इसे अपनी पूँजी की आवश्यकता से जोड़ें। पी एस बी और डी एफ एस द्वारा हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन में उन मान्य लक्ष्यों का एक सेट होता है जिसे पी एस बी प्राप्त कर सकती है और जो भारत सरकार द्वारा भविष्य में पूँजीगत प्रवाह के लिये आधार बनेगा। समझौता ज्ञापन का उद्देश्य दुर्लभ पूँजी निधियों का इष्टतम प्रयोग प्राप्त करना था जिसके साथ साथ पी एस बी पूँजी के प्रवाह से अपनी दक्षता में सुधार लाने पर ध्यान केंद्रित कर सकें।

लेखापरीक्षा ने एम ओ यू की तैयारी, अंतिम रूप और निगरानी में कमियाँ पाई। यह भी पाया गया कि 2011–17 के दौरान पी एस बी में भारत सरकार द्वारा पूँजी लगाने का आधार एम ओ यू नहीं थे।

### 4.2.1 पी एस बी के लिये निर्धारित लक्ष्य एवं दक्षता

लेखापरीक्षा ने पाया कि साल–दर–साल इन मापदण्डों में से कुछ मापदण्डों के लिये निर्धारित लक्ष्य कम हो रहे हैं जो दक्षता में कमी को इंगित करता है, जैसा कि निम्न तालिका में दिया गया है:

**तालिका 4.2: पी एस बी के लिये निर्धारित लक्ष्य एवं दक्षता**

| मापदण्ड | लक्ष्य की तुलना में उपलब्धियाँ |
|---|---|
| सी ए एस ए | स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया के लिये वास्तविक सी ए एस ए 2010–11 में 48.66 प्रतिशत था जबकि वार्षिक लक्ष्य वर्ष 2011–12 से 2014–15 तक सभी वर्षों के लिये 45 प्रतिशत की कम दर पर निर्धारित किया गया था। युनाइटेड बैंक ऑफ इण्डिया के लिये सी ए एस ए लक्ष्य प्रत्येक वर्ष धीरे धीरे कम होकर 2011–12 में 39 प्रतिशत से घटकर 2014–15 में 37 प्रतिशत पर आ गया। |
| लागत आय अनुपात | आई डी बी आई बैंक लिमिटेड के लिये जबकि 2010–11 के लिये वास्तविक लागत आय–का अनुपात 35.15 प्रतिशत था, 2011–12 के लिये लक्ष्य 39.4 प्रतिशत रखा गया जो यह इंगित करता है कि भविष्य के लिये निर्धारित लक्ष्य वर्तमान प्राप्ति से कम था। पी एन बी के मामले में 2011–12 से 2014–15 तक लक्षित लागत आय अनुपात को धीरे धीरे उच्च दर पर निर्धारित किया गया था। |

*(स्रोत:डी एफ एस के अभिलेख)*

डी एफ एस ने अपने उत्तर में (अप्रैल 2017) लगातार वर्षों के लिये कम लक्ष्य निर्धारित करने के कारणों पर टिप्पणी नहीं की।

### 4.2.2 एम ओ यू में कुछ मापदण्डों के लिये कोई विशिष्ट लक्ष्य निर्धारित नहीं किये गये

कुछ पी एस बी (जैसे आँध्रा बैंक और इलाहाबाद बैंक) के लिये आर बी आई के सभी घटकों के लिये विशिष्ट लक्ष्य निर्धारित किये गये थे। अन्य पी एस बी (जैसे बैंक ऑफ महाराष्ट्र, बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इण्डिया और इण्डियन बैंक) के मामले में लक्ष्य विशिष्ट नहीं थे; - "सभी मापदण्डों पर विद्यमान रेटिंग में सुधार करना विशेष रूप से आस्ति गुणवत्ता, प्रबन्धन, प्रणाली एवं नियन्त्रण"।

### 4.2.3 एम ओ यू लक्ष्यों को निर्धारित करने में देरी

डी एफ एस के निर्देशों के अनुसार एम ओ यू को 30 नवम्बर, 2011 तक अन्तिम रूप दिया जाना था। हालाँकि, एम ओ यू पर हस्ताक्षर फरवरी/मार्च 2012 में किये गये थे जो निर्धारित तिथि से लगभग तीन महीने की देरी का संकेत देते हैं। इसके अतिरिक्त हस्ताक्षरित एम ओ यू में 31 मार्च 2012 तक प्राप्त किये जाने वाले लक्ष्य शामिल थे। चूँकि एम ओ यू पर हस्ताक्षर काफी देर से मार्च 2012 में किये गये थे, इसलिये 2011–12 के लक्ष्यों की उपलब्धि की स्थिति एक पूर्व निष्कर्ष थी। वास्तव में 2011–12 के लक्ष्यों को शामिल करते हुये एस बी आई और इसके सहायक बैंकों (स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर, स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर, स्टेट बैंक ऑफ मैसूर, स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद और स्टेट बैंक ऑफ पटियाला) के बीच एम ओ यू अप्रैल 2012 के प्रथम सप्ताह में हस्ताक्षरित किये गये थे।

डी एफ एस ने उत्तर दिया (जून 2017) कि डी एफ एस ने बैंकों को एम ओ यू के मसौदे भेजने के तुरन्त बाद उनसे विचार विमर्श प्रारम्भ कर दिया था और उन्हें संख्या इंगित कर दी गई थी, इसलिये हस्ताक्षर करने में भले देरी हो गई हो लेकिन उन्हें लक्ष्यों की जानकारी थी।

डी एफ एस के उत्तर पर इस तथ्य के प्रकाश में विचार किया जाना चाहिये कि अक्टूबर 2011 में सभी पी एस बी को केवल एम ओ यू के मसौदे भेजे गये थे जो कि हस्ताक्षरित किये गये एम ओ यू से बिल्कुल अलग थे (फरवरी/मार्च 2012)।

### 4.2.4 एम ओ यू की वैधता और निर्धारित लक्ष्य

एम ओ यू की वैधता पाँच वर्ष थी। लेखापरीक्षा ने पाया कि सेंट्रल बैंक के अतिरिक्त (जिसके लिये लक्ष्य 2012–13 से 2016–17 तक तय किये गये थे) अन्य सभी पी एस बी के लिये हस्ताक्षरित एम ओ यू में 31 मार्च 2015 तक प्राप्त किये जाने वाले लक्ष्य ही थे। इसने इंगित किया कि लक्ष्य एम ओ यू वैधता की पूर्ण अवधि के लिये निर्धारित नहीं किये गये थे।

डी एफ एस ने उत्तर दिया (जून 2017) कि प्रारम्भ में डी एफ एस ने तीन वर्ष की अवधि के लिये एम ओ यू किये थे और 2015 तक लक्ष्य निर्धारित किये गये थे और यह भी कहा कि ये सभी लक्ष्य अन्तरिम लक्ष्य के हिस्से थे और 2017 तक अन्तिम लक्ष्यों की प्राप्ति के लिये दिशा प्रदान करने वाले थे।

डी एफ एस का उत्तर निम्नलिखित आधार पर स्वीकार्य नहीं था:

(i) डी एफ एस से अलग–अलग पी एस बी को भेजे गये हस्ताक्षरित एम ओ यू के साथ संलग्न अग्रेषण पत्रों में उल्लेख था कि पी एस बी ने उन एम ओ यू पर हस्ताक्षर किये जिनमें बैंक द्वारा 31 मार्च 2015 तक कुछ दीर्घकालिक लक्ष्यों को प्राप्त किया जाना था और जिसमें मार्च 2017 का कोई संदर्भ नहीं था।

(ii) हस्ताक्षरित एम ओ यू के अनुलग्नक के अन्तिम कॉलम में वित्तीय वर्ष 2014–15 तक प्राप्त किये जाने वाले लक्ष्य ही शामिल थे। इन लक्ष्यों को हस्ताक्षरित एम ओ यू में 'अंतरिम लक्ष्य' के रूप में निर्दिष्ट नहीं किया गया था।

### 4.2.5 एम ओ यू और एस ओ आई लक्ष्यों में विसंगति

वर्ष 2011–12 से 2014–15 के लिये लक्ष्य उन एम ओ यू में निर्धारित किये गये थे जिन पर फरवरी/मार्च 2012 में हस्ताक्षर किये गये थे, जबकि एस ओ आई लक्ष्यों को वार्षिक आधार पर निर्धारित किया जाता है। एस ओ आई के तहत 44 मापदण्डों में से पाँच मापदण्ड ऐसे थे जो एम ओ यू के मापदण्डों से [सी ए एस ए, आर ओ ए, लागत आय अनुपात, प्रति कर्मचारी निवल लाभ (₹ लाख में) और शाखाओं में कर्मचारियों का कुल कर्मचारियों से अनुपात] मेल खाते थे। **अनुलग्नक III से VI** में पाँच समान मापदण्डों में एस ओ आई और एम ओ यू के लक्ष्यों के बीच तुलना की गई है। लेखापरीक्षा ने पाया कि समान मापदण्ड के लिये एस ओ आई और एम ओ यू के लक्ष्यों में काफी भिन्नता है जिसमें अधिकतम भिन्नता निम्नलिखित है:

**तालिका 4.3: एम ओ यू और एस ओ आई लक्ष्यों में विसंगति**

| मापदण्ड | अधिकतम अन्तर |
|---|---|
| सी ए एस ए (प्रतिशत) | 18 |
| आर ओ ए (प्रतिशत) | 1.37 |
| लागत आय अनुपात (प्रतिशत) | 21.3 |
| प्रति कर्मचारी निवल लाभ (₹ लाख में) | 10.15 |
| शाखाओं में कर्मचारियों और कुल कर्मचारियों का अनुपात (प्रतिशत) | 10.23 |

*(स्रोत: डी एफ एस के अभिलेख)*

डी एफ एस ने स्वीकार किया (अप्रैल 2017) कि सामान्यतः एम ओ यू और एस ओ आई के लिये लक्ष्य समान होने चाहिये थे, लेकिन बदलते पूर्वानुमानों के कारण लक्ष्यों को सुसंगत नहीं किया गया जिसका ध्यान रखा जाना चाहिये था।

### 4.2.6 एम ओ यू की प्रगति रिपोर्ट की निगरानी नहीं की गई

डी एफ एस ने पी एस बी को हस्ताक्षरित एम ओ यू की प्रति अग्रेषित की थी जिसमें कहा गया था कि बैंक उक्त एम ओ यू में वर्णित मापदण्डों के निष्पादन पर प्रत्येक तिमाही प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा। 21 पी एस बी से 273 प्रगति रिपोर्ट आनी थीं (2011–12 के चौथी तिमाही के लिये प्रत्येक पी एस बी से एक, 2012–13 से 2014–15 तक प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिये प्रत्येक पी एस बी में से चार)। हालाँकि, 21 (सिर्फ 2011–12 की चौथी तिमाही के लिये) प्रगति रिपोर्टें पी एस बी से प्राप्त की गयी जो प्रगति रिपोर्टों के माध्यम से सहमत लक्ष्यों के सापेक्ष पी एस बी के निष्पादन की अपर्याप्त निगरानी का संकेत देता है।

डी एफ एस ने अपने उत्तर (जून 2017) में कहा कि पी एस बी के निष्पादन की निगरानी नियमित आधार पर की गई थी और डी एफ एस के वरिष्ठ अधिकारियों ने खराब प्रदर्शन के लिये स्पष्टीकरण के साथ पी एस बी के प्रदर्शन का मूल्यांकन करने के लिये बैंकों के वरिष्ठ प्रबन्धन के साथ नियमित बैठकें भी कीं तथा तिमाही आधार पर सभी पी एस बी के लिये विस्तृत संरचित अध्ययन किया गया। डी एफ एस ने यह भी कहा कि वित्त मंत्री ने भी त्रैमासिक आधार पर समीक्षा की थी तथा जी ओ आई प्रतिनिधियों के रूप में जी एन डी ने बोर्ड में सक्रिय भागीदारी की और पी एस बी के वरिष्ठ

प्रबंधन के साथ इसकी चर्चा भी की। डी एफ एस ने आगे कहा कि उन्होंने प्रगति रिपोर्ट के लिये जानकारी नहीं ली क्योंकि वे उपरोक्त विधि के माध्यम से निष्पादन की निगरानी करने में सक्षम थे।

तथ्य यह है कि त्रैमासिक प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत करने के सम्बन्ध में पी एस बी द्वारा सही से अनुपालन नहीं किया गया था। इसके अतिरिक्त ऐसा कोई साक्ष्य नहीं था जो यह दर्शाए कि डी एफ एस ने हस्ताक्षरित एम ओ यू में लक्ष्यों के सापेक्ष उपलब्धि/अनुपलब्धि का विश्लेषण किया था और इसे पूँजीगत प्रवाह से जोड़ा था।

### 4.2.7 एम ओ यू लक्ष्यों की प्राप्ति न होना

उपलब्ध कराये गये अभिलेखों से लेखापरीक्षा ने पाया कि वित्त वर्ष 2011–12 से 2013–14 के लिये पाँच मापदण्डों [सी ए सी ए, आर ओ ए, लागत आय अनुपात, प्रति कर्मचारी निवल लाभ (₹ लाख में) तथा शाखाओं में कर्मचारियों और कुल कर्मचारियों का अनुपात] के सम्बन्ध में लक्ष्यों को पूर्णतः प्राप्त नहीं किया गया जैसा कि **अनुलग्नक VII से XI** में दर्शाया गया है। नीचे दिये गये चार्ट 2011–12 से 2013–14 के दौरान लक्ष्यों की अपूर्ण प्राप्ति को दर्शाते हैं जिन्हें पी एस बी के लिये चार मापदण्डों [सी ए एस ए, आर ओ ए, लागत आय अनुपात, प्रति कर्मचारी निवल लाभ (₹ लाख में)] के औसत मूल्य पर मापा गया है:

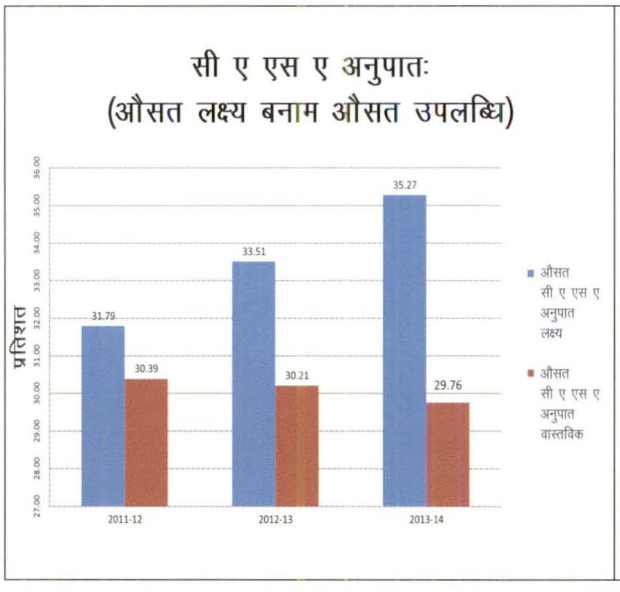


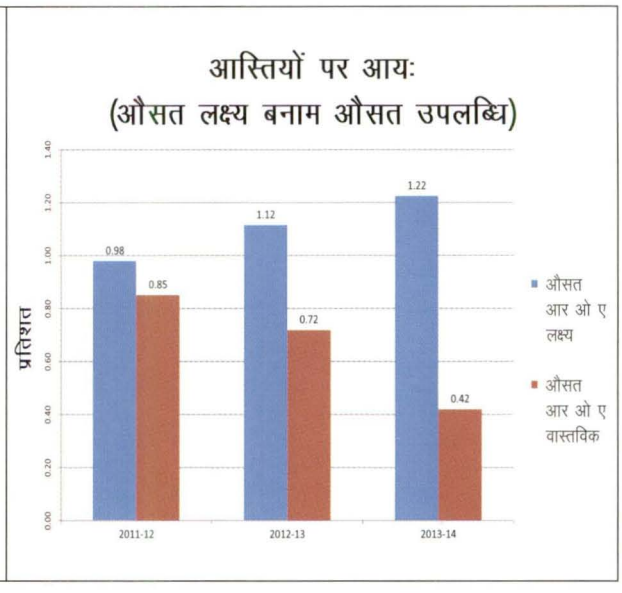


*(स्रोतः डी एफ एस के अभिलेख)*

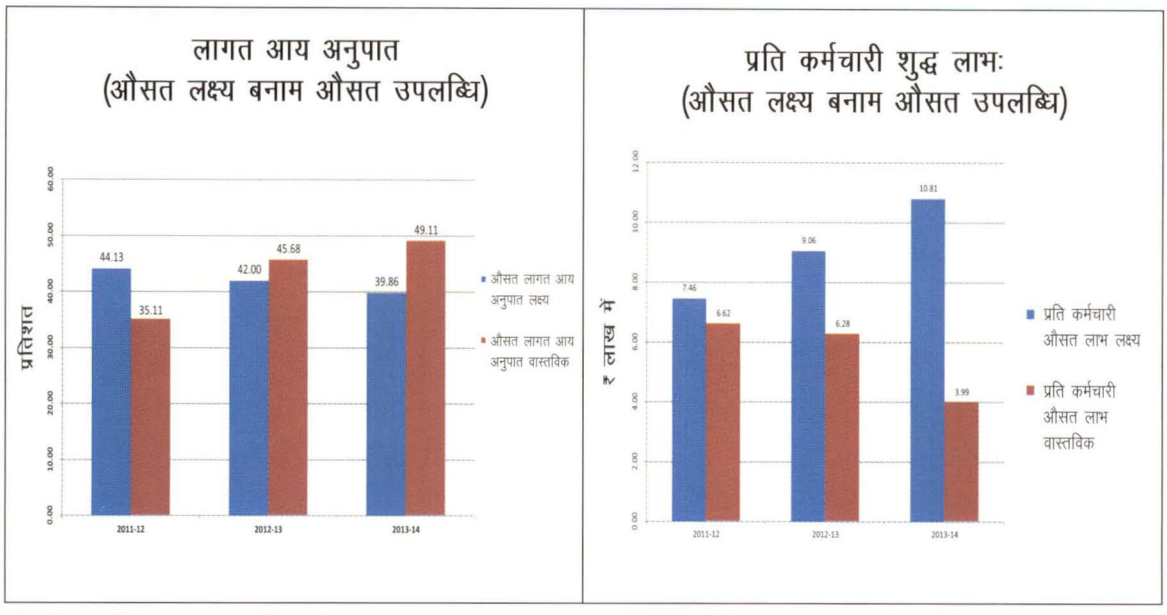


*(स्रोतः डी एफ एस के अभिलेख)*

प्रत्येक बीतते वर्ष में एम ओ यू के लक्ष्यों और प्राप्तियों के बीच बढ़ता हुआ अन्तर यह संकेत देता है कि पी एस बी का निष्पादन लक्ष्यों के अनुरूप नहीं था।

डी एफ एस ने अपने उत्तर (अप्रैल 2017) में कहा कि सभी पी एस बी के निष्पादन का विश्लेषण, एम ओ यू के मापदण्डों को शामिल करते हुये विभिन्न मापदण्डों पर त्रैमासिक आधार पर किया गया था और उच्चतम स्तर पर अलग–अलग बैंकों के साथ चर्चा की गई थी।

तथ्य यह है कि हस्ताक्षरित एम ओ यू में निर्धारित लक्ष्य हासिल नहीं किये गये थे।

# अध्याय V

# पी एस बी के पुनर्पूंजीकरण का विश्लेषण

## 5.1 पी एस बी के पूँजीकरण के लिए तर्क

भारत सरकार ने 2008–09 तथा 2016–17 की अवधि के दौरान इस उम्मीद से पी एस बी में पूँजी प्रवाह किया कि पी एस बी के पास क्रेडिट बढ़ाने के लिए बेहतर क्षमता होगी, साथ ही बेसल/आर बी आई के मानदंडों के अनुसार विनियामक पूँजी आवश्यकताएँ बनी रहेगी। जी ओ आई शेयरधारिता के पूर्व निर्धारित बेंचमार्क स्तर (दिसंबर 2010 में 58 प्रतिशत और दिसंबर 2014 में 52 प्रतिशत) को बनाए रखने को भी परिकल्पित किया गया था, ताकि अतिरिक्त पूँजी आवश्यकताओं के लिए बाजारों को टैप करने में सक्षम हो। वर्ष 2014–15 के लिए, पी एस बी के प्रदर्शन को पुरस्कृत करने के लिए पूँजी प्रवाह किया गया।

## 5.2 पी एस बी का दो श्रेणियों में पृथक्करण

2008–16 के दौरान जी ओ आई के पूँजी प्रवाह के आधार पर उनकी नेटवर्थ के प्रतिशत के रूप में पी एस बी को तीन श्रेणियों में विभक्त करके, डी एफ एस ने पी एस बी को पूँजी प्रवाह की तुलना में प्रभावोत्पादकता निश्चित करने हेतु उनके प्रदर्शन की समीक्षा (जुलाई 2016) की। श्रेणी I में वे पी एस बी है जिन्होंने 2008–16 के दौरान अपनी नेटवर्थ की 25 प्रतिशत से कम पूँजी प्राप्त की थी; श्रेणी II में वे पी एस बी है, जिन्होंने अपनी वर्तमान नेटवर्थ की 25 से 50 प्रतिशत तक पूँजी प्राप्त की थी तथा श्रेणी III में वे पी एस बी है जिन्होंने अपनी नेटवर्थ की 50 प्रतिशत से अधिक की पूँजी प्राप्त की थी।

लेखापरीक्षा ने पी एस बी के श्रेणी विभेदीकरण के लिए श्रेणी II तथा III को विलय कर पी एस बी की निम्न दो श्रेणियों को अपनाया है:

- **श्रेणी I**: वे पी एस बी जिन्होंने 2008–16 के दौरान अपनी नेटवर्थ (31 मार्च 2016 को) के 25 प्रतिशत से कम का पूँजी प्रवाह प्राप्त किया। बारह पी एस बी – इलाहाबाद बैंक, आंध्रा बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, केनरा बैंक, कॉर्पोरेशन बैंक, इंडियन बैंक, ऑरियंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, पंजाब एण्ड सिंध बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, भारतीय स्टेट बैंक, सिंडिकेट बैंक तथा यूनियन बैंक ऑफ इंडिया इस श्रेणी में आते हैं।
- **श्रेणी II**: वे पी एस बी जिन्होंने 2008–16 के दौरान अपनी नेटवर्थ (31 मार्च, 2016 को) के 25 प्रतिशत अथवा अधिक का पूँजी प्रवाह प्राप्त किया था। नौ पी एस बी – बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, देना बैंक, आई डी बी आई बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक, यूको बैंक, यूनाईटेड बैंक ऑफ इंडिया तथा विजया बैंक इस श्रेणी में आते हैं।

नीचे दिए गए चार्ट से प्रत्येक वर्ष के विश्लेषण से पता चलता है कि 2014–15 के अपवाद के साथ (जब पी एस बी की लाभप्रदता के आधार पर पूँजी प्रवाह किया गया था), श्रेणी II पी एस बी की तुलना में श्रेणी I पी एस बी को पूँजी का कम हिस्सा मिला।

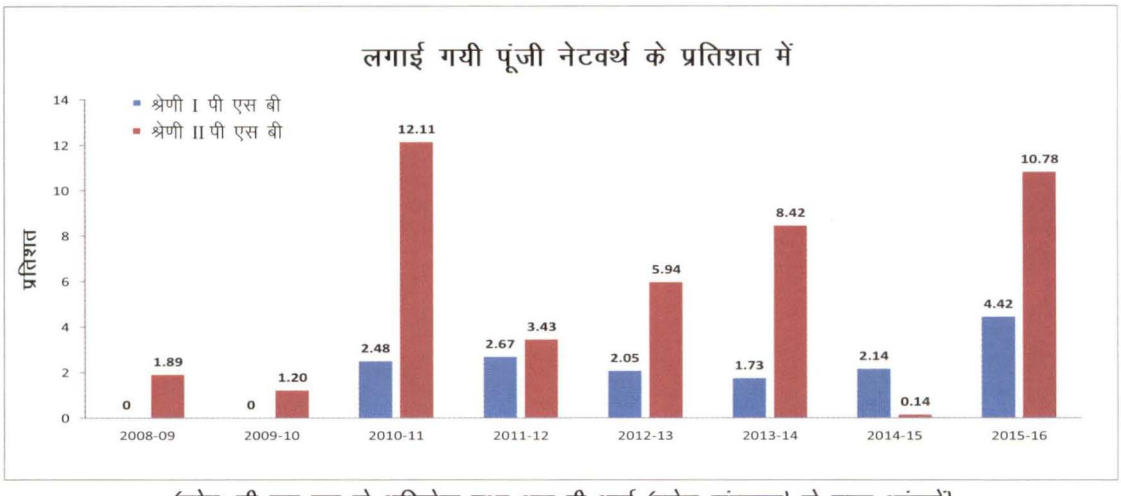


*(स्रोतः डी एफ एस के अभिलेख तथा आर बी आई (घरेलू संचालन) से प्राप्त आंकड़ें)*

## 5.3 पूँजीगत प्रवाह और क्रेडिट वृद्धि

जैसा कि पिछले अध्याय I में पहले ही चर्चा हुई है, 2008–09 से 2015–16 तक की अवधि में सभी पी एस बी में क्रेडिट वृद्धि (अग्रिम की वृद्धि) में गिरावट आई थी, जबकि उनमें जी ओ आई द्वारा पूँजीगत प्रवाह किया गया था। लेखापरीक्षा ने दो श्रेणियों में पी एस बी की क्रेडिट वृद्धि दर की तुलना की (श्रेणी I जिसमें भारत सरकार का पूँजी प्रवाह 25 प्रतिशत से कम था तथा श्रेणी II बैंक जिसमें भारत सरकार पूँजी प्रवाह 25 प्रतिशत अथवा 25 प्रतिशत से ज्यादा था)। यह देखा गया कि अग्रिमों के विकास की दर, सामान्यतः श्रेणी II पी एस बी के मामले में वर्ग I पी एस बी की तुलना में कम रही है (दो वर्षों 2009–10 तथा 2011–12 को छोड़कर) जैसा कि नीचे दिए गए चार्ट में देखा जा सकता है:

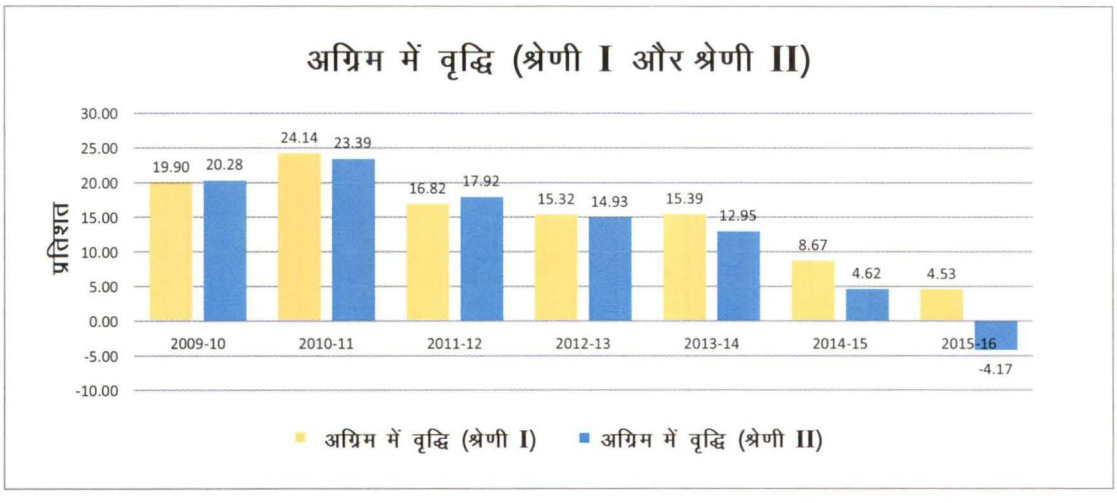


*(स्रोतः आर बी आई के आंकड़ें: भारत में बैंकों से संबंधित सांख्यिकी सारणी)*

क्रेडिट वृद्धि में 2014–15 और 2015–16 में तेजी से कमी आई थी जो श्रेणी II पी एस बी के लिए 2015–16 में ऋणात्मक हो गई।

## 5.4 पूँजी प्रवाह तथा पी एस बी का प्रदर्शन

**5.4.1** लाभप्रदता बैंक के प्रदर्शन का एक माप है। किसी बैंक की लाभप्रदता को मापने के लिए सामान्यतया उपयोग में लिए जाने वाले दो मापदण्ड, आस्तियों पर आय (आर ओ ए) तथा इक्विटी पर आय (आर ओ ई) हैं।

- एक पी एस बी का आर ओ ए एक वित्तीय अनुपात है जो बैंक की औसत कुल आस्तियों के प्रतिशत के रूप में निवल आय को मापता है। यह इंगित करता है कि बैंक प्रबंधन, लाभ अर्जित करने हेतु अपनी आस्तियों को नियोजित करने में कितना सक्षम है।

- पी एस बी का आर ओ ई बैंक के निवल लाभ से नेटवर्थ का अनुपात है। यह अनुपात बाजार द्वारा जांचा जाता है क्योंकि, बैंक के शेयरधारक आर ओ ई का पता लगाते हैं जो बैंक की कार्यक्षमता को सूचित करता है।

यदि बैंक कमतर प्रदर्शन करता है, उसकी आर ओ ए और आर ओ ई घट जाती है। एक बैंक की कम या नकारात्मक आर ओ ए/आर ओ ई उसकी आंतरिक रूप से लाभ पैदा करने की घटती हुई क्षमता को दर्शाता था। जैसे कि लाभ का एक हिस्सा बैंक आरक्षित निधि एवं इस प्रकार पूँजी को बढ़ाने (लाभांश की अदायगी पश्चात्) में चला जाता है, इसका तात्पर्य है आरक्षित निधि/पूँजी का निम्नतर/अवर्धन होना। इसके अतिरिक्त, एक कम होता हुआ आर ओ ए/आर ओ ई बाजार के विश्वास को कम करता है और बैंक के लिए बाजार से पूँजी जुटाना और अधिक कठिन कर देता है।

**5.4.2** जैसा कि पहले ही अध्याय I में उल्लेख किया गया है, आर ओ ए एवं आर ओ ई के आयाम सभी पी एस बी के लिए 2008–09 से 2015–16 की अवधि में घट गए। निम्न चार्ट दिखाता है कि पी एस बी जिन्होंने जी ओ आई के पूँजी प्रवाह का अपेक्षाकृत अधिक शेयर प्राप्त किया (वर्ग II पी एस बी) ने वास्तव में वर्ग I पी एस बी से खराब प्रदर्शन किया :

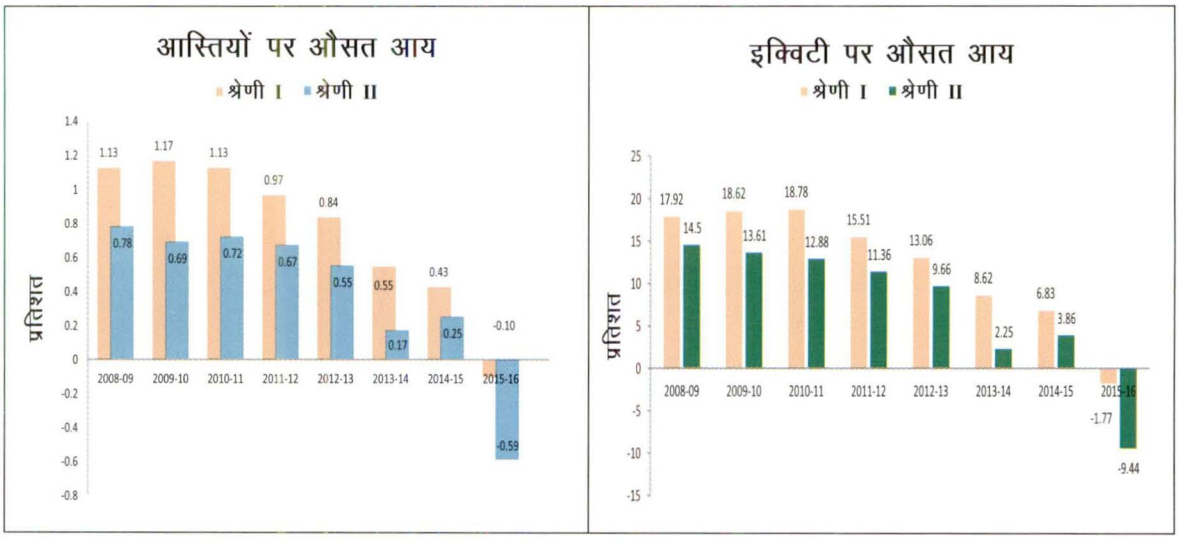


*(स्रोतः पी एस बी की वार्षिक रिपोर्ट/प्रजेन्टेशन)*

यद्यपि, दोनों श्रेणियों के आर ओ ए एवं आर ओ ई में धीरे–धीरे कमी आई लेकिन श्रेणी II के बैंक की औसत आर ओ ए एवं आर ओ ई श्रेणी I से कम थी;–वित्तीय वर्ष 2016 में श्रेणी I बैंकों की–0.10 प्रतिशत की तुलना में श्रेणी II बैंकों की औसत आर ओ ए–0.59 प्रतिशत थी, जबकि उसी वर्ष में श्रेणी I बैंकों की–1.77 प्रतिशत की तुलना में श्रेणी II बैंकों की औसत आर ओ ई–9.44 प्रतिशत थी। इसलिए, पूँजी प्रवाह (बैंक की नेटवर्थ की तुलना में) का एक उच्च अनुपात बैंक की बेहतर लाभप्रदता में परिवर्तित नहीं हुआ।

## 5.5 पूँजी प्रवाह एवं भारत सरकार की शेयरधारिता

जैसा कि अध्याय I के पैरा 1.3.2 में दिए गए चार्ट से देखा जा सकता है, सभी पी एस बी में भारत सरकार की शेयरधारिता लगातार बेंचमार्क (दिसंबर 2014 में 52 प्रतिशत निश्चित की गई) से अधिक थी। 31 मार्च 2017 को, भारत सरकार के पास यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया की 85.23 प्रतिशत की अधिकतम शेयरधारिता थी, जबकि ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स की 58.38 प्रतिशत की न्यूनतम प्रतिशतता की शेयरधारिता थी। निम्न तालिका पी एस बी को उनमें भारत सरकार के हिस्से के आधार पर वर्गीकृत करती है :

**तालिका 5.1: भारत सरकार की शेयरधारिता की सीमा द्वारा पी एस बी का वर्गीकरण**

| भारत सरकार की शेयरधारिता की सीमा (प्रतिशत में) | पी एस बी |
|---|---|
| **<58** | कोई नहीं |
| **>58 एवं <65** | आंध्रा बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, भारतीय स्टेट बैंक, यूनियन बैंक |
| **>65 एवं <75** | इलाहाबाद बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, कैनरा बैंक, कार्पोरेशन बैंक, देना बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, सिंडिकेट बैंक, विजया बैंक, आई डी बी आई बैंक लि. |
| **>75 एवं <85** | बैंक ऑफ महाराष्ट्र, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन ओवरसीज बैंक, इंडियन बैंक, पंजाब एंड सिंध बैंक, यूको बैंक |
| **>85** | यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया |

*(स्रोतः बी एस ई एवं एन एस ई वेबसाइट)*

## 5.6 पी एस बी की पूँजी पर्याप्तता

विनियामक आवश्यकताओं (बेसल मानदंडों/आर बी आई मानदंडों) के अनुसार पूँजी पर्याप्तता को बनाए रखना, पी एस बी में भारत सरकार के पूँजी प्रवाह के मुख्य उद्देश्यों में से एक था। लेखापरीक्षा ने दोनों श्रेणियों के पी एस बी की पूँजी जोखिम भारित आस्ति अनुपात (सी आर ए आर) अथवा पूँजी पर्याप्तता अनुपात (सी ए आर) से पूँजी की तुलना की जैसा अगले पृष्ठ पर दिए गए चार्ट में दर्शाया गया है:

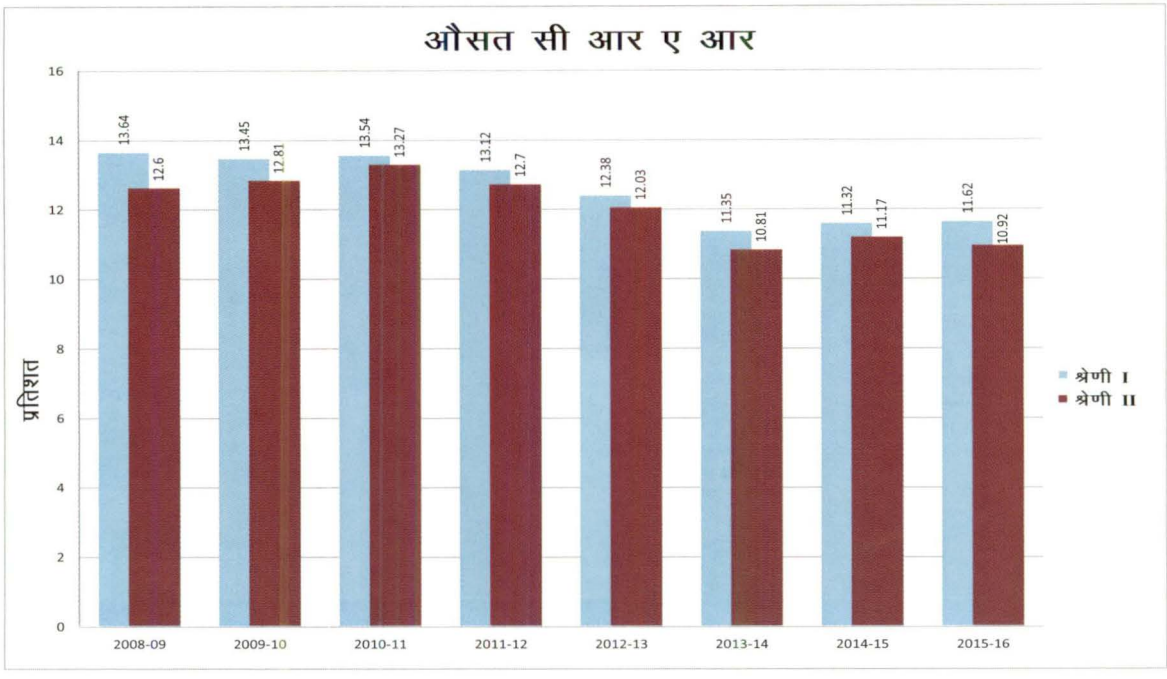


*(स्रोतः भारत में बैंकों से संबंधित पी एस बी और सांख्यिकी सारणी की वार्षिक रिपोर्ट (आर बी आई डाटाबेस)*

चार्ट इंगित करता है कि श्रेणी II के बैंकों का औसत सी आर ए आर, अपेक्षाकृत अधिक सरकारी पूँजी का अंश लगाने के बाद भी श्रेणी I के बैंकों की तुलना में लगातार कम था। यह देखा गया कि श्रेणी II बैंकों की विनियामक पूँजी पर्याप्तता की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए भारत सरकार को लगातार पूँजी निवेश की आवश्यकता होती है। वर्ग II के 9 बैंकों में से छः बैंकों में, नौ वर्षों में से छः साल या उससे अधिक वर्षों में पूँजी निवेश किया गया, जिसकी लेखापरीक्षा द्वारा समीक्षा की गई थी, जैसा कि नीचे दी गई तालिका में दिखाया गया है :

**तालिका 5.2: श्रेणी II पी एस बी और फंड प्रभाव की आवृत्ति**

| श्रेणी II पी एल बी | फंड प्रभाव की आवृत्ति | पी एस बी की संख्या |
|---|---|---|
| सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, यूको बैंक | समीक्षित 9 वर्षों में से 8 | 2 |
| यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया | समीक्षित 9 वर्षों में से 7 | 1 |
| बैंक ऑफ महाराष्ट्र, आई डी बी आई, आई ओ बी | समीक्षित 9 वर्षों में से 6 | 3 |

*(स्रोतः डी एफ एस रिकार्ड्स)*

यह, इन बैंकों के लिए भारत सरकार के पूँजीगत निवेश पर निर्भरता दर्शाता है।

# अध्याय VI

# पी एस बी की आस्ति गुणवत्ता स्थिति

## 6.1 बैंकों में आस्तियों का वर्गीकरण

1985 में, अंतिम लेखा पर घोष समिति की सिफारिशों पर भारतीय बैंकिंग प्रणाली में वर्गीकृत आस्तियों की एक प्रणाली शुरू की गई थी। प्रणाली, (स्वास्थ्य कोड प्रणाली) में बैंकों के अग्रिमों को वर्गीकृत करने वाली आठ श्रेणियों में से एक (संतोषजनक) से आठ (खराब और संदिग्ध ऋण) शामिल हैं। 1991 में, वित्तीय प्रणाली पर नरसिंह्मन समिति ने बैंक की परिसंपत्तियों के वर्गीकरण को अंतर्राष्ट्रीय मानकों तक संरेखित किया और चार व्यापक आस्ति समूहों को शुरू किया जैसे–(i) मानक आस्ति, (ii) घटिया आस्ति, (iii) संदिग्ध आस्ति, (iv) नुकसान आस्ति। इसके बाद, 1992 में आय मान्यता, आस्ति वर्गीकरण और प्रावधान से संबंधित विवेकपूर्ण मानदंडों को प्रारंभ किया गया। 1998 में, बैंकिंग क्षेत्र सुधारों पर नरसिंह्मन समिति ने, प्रचलित मानदंडों को मजबूत करने और उन्हें विकसित होते सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय प्रचलन के समकक्ष लाने के लिए, विवेकपूर्ण मानदंडों को और अधिक कसने की सिफारिश की। इसके बाद, 2001 में, अनर्जक आस्तियां (एन पी ए) दिशानिर्देश एन पी ए के वर्गीकरण के लिए 90 दिन के आदर्श के साथ अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप लाए गए। एन पी ए[21] को मोटे तौर पर सकल एन पी ए[22] एवं निवल एन पी ए में वर्गीकृत किया जा सकता है।

> एक परिसंपत्ति जिसमें पट्टेदार आस्ति शामिल है, बैंक के लिए आय उत्पन्न करने के लिए समाप्त होने पर अनर्जक हो जाती है।
>
> एक **एन पी ए** एक ऋण या अग्रिम है जहाँ;
>
> i. एक अवधि के ऋण के संदर्भ में ब्याज और/या मूल की किस्त 90 से अधिक दिनों की अवधि के लिए अतिदेय रहती है।
> ii. ओवर ड्राफ्ट/कैश क्रेडिट (ओ जी/सी सी) के संबंध में खाता आउट ऑफ आर्डर है।
> iii. खरीदी और रियायती बिलों के मामले में बिल 90 दिनों से अधिक की अवधि के लिए अतिदेय रहता है।
> iv. छोटी अवधि की फसलों के लिए दो फसलों के मौसमों के लिए मूलधन या ब्याज की किस्त अतिदेय रहती है।
> v. लंबी अवधि की फसलों के लिए एक ऋतु फसल के लिए मूलधन या ब्याज की किस्त अतिदेय रहती है,
> vi. 01 फरवरी, 2006 की प्रतिभूतिकरण पर दिशानिर्देशों के संबंध में किए गए प्रतिभूतिकरण लेन–देन के संबंध में, 90 दिन से अधिक के लिए तरलता सुविधा की राशि बकाया बनी हुई है।
> vii. व्युत्पन्न लेन–देन के संबंध में, व्युत्पन्न संविदा के सकारात्मक मार्क–टू–मार्केट मूल्य का प्रतिनिधित्व करने वाली अतिदेय प्राप्तियों, यदि ये भुगतान के लिए निर्दिष्ट नियत तारीख से 90 दिनों की अवधि के लिए भुगतान नहीं की जाती है।

---

[21] **सकल एन पी एः सकल एन पी ए, कुल ऋण आस्तियों की कुल राशि है जो कि बैलेंस शीट की तारीख के अनुसार रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार एन पी ए के रूप में वर्गीकृत हैं। यह बैंकों द्वारा किए गए ऋण की गुणवत्ता को दर्शाता है।**

[22] **निवल एन पी एः निवल एन पी ए सकल एन पी ए में से प्रावधान घटाकर है। यह प्रावधानों में कटौती के बाद बैंकों के वास्तविक बोझ को दर्शाता है।**

## 6.2 एन पी ए के प्रभाव

बैंकों में एन पी ए के उच्च स्तर अर्थव्यवस्था को प्रभावित करते हैं क्योंकि, बैंक क्रेडिट आर्थिक विकास के लिए उत्प्रेरक है। जब ऋण का भुगतान नहीं किया जाता है, निधियां वित्तीय प्रणाली से बाहर हो जाती हैं एवं देनदारी–पुनर्भुगतान–लेनदारी का चक्र प्रभावित होता है। बैंकों पर अपने जमाकर्ताओं एवं बैंक के अन्य देनदारों को पुनर्भुगतान करने का दायित्व होता है। ऋण पुनर्भुगतान के अभाव में, बैंकों को जमाकर्ताओं और लेनदारों को चुकाने के लिए अतिरिक्त धनराशि उधार लेनी होती है। इससे ऐसी परिस्थिति होती है जहाँ बैंक नई परियोजनाओं या चालू परियोजनाओं के लिए नए फंड देने के लिए अनिच्छुक होते हैं। एक बार जब अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में क्रेडिट धीमा हो जाता है, तो अर्थव्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। एन पी ए, क्रेडिट जोखिम प्रबंधन, बैंक के कामकाज के अन्य पहलुओं पर प्राथमिकता ले लेता है। एन पी ए के उच्च स्तर वाले बैंक को गैर–आय वाली आस्तियों के रखरखाव की लागतों को वहन करने के लिए बाध्य हो जाता है। अन्य परिणामों में ब्याज आय में कमी, प्रावधानीकरण के उच्च स्तर (उच्च एन पी ए वाले बैंकों को एन पी ए के लिए प्रावधान करने की आवश्यकता पड़ती है, जो उनके निवल लाभ को कम करेगा), लाभप्रदता और पूँजी पर्याप्तता पर जोर, लागत में लगातार वृद्धि को पूरा करने की क्षमता में धीरे–धीरे गिरावट, निवल ब्याज मार्जिन (एन आई एम) पर दबाव बढ़ता है, जिससे प्रतिस्पर्धा कम हो जाती है। पूँजीगत संसाधनों के निरंतर क्षरण और पूँजीगत संसाधनों को बढ़ाने में कठिनाई बढ़ जाती है। सामान्य रूप से भारतीय बैंकों में और विशेष रूप से पी एस बी में एन पी ए बढ़ रहे थे एवं [मार्च 2017 (अनंतिम) तक पी एस बी का कुल एन पी ए] ₹ 6.83 लाख करोड़ हो गये थे, जिसने पी एस बी की लाभप्रदता को प्रतिकूल रूप से प्रभावित किया और अतिरिक्त पूँजी की आवश्यकता में योगदान किया।

## 6.3 पी एस बी में अर्नजक आस्तियाँ

**6.3.1** एस सी बी के लिए, मार्च 2016 में अग्रिमों से सकल एन पी ए अनुपात 6.60 प्रतिशत पर था। पी एस बी का सकल एन पी ए ₹ 2.27 लाख करोड़ (31 मार्च 2014) से लगभग ₹ 5.40 लाख करोड़ (31 मार्च 2016) तक बढ़ गया, जो 138 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है। वे मार्च 2017 के अंत तक ₹ 6.83 लाख करोड़ तक (अनंतिम) बढ़े। अध्याय I का पैरा 1.5.3.3 दर्शाता है कि बैंकिंग क्षेत्र में जी एन पी ए के सबसे बड़े हिस्सों के लिए पी एस बी जिम्मेदार थे। वास्तव में, पिछले कुछ वर्षों में पी एस बी के सकल एन पी ए अनुपात में तेजी आई है, हालाँकि सामान्य तौर पर, सभी एस सी बी की तुलना में इनका अनुपात अधिक रहा है, जैसा कि अगले पृष्ठ पर दिए गए चार्ट में दर्शाया गया है :

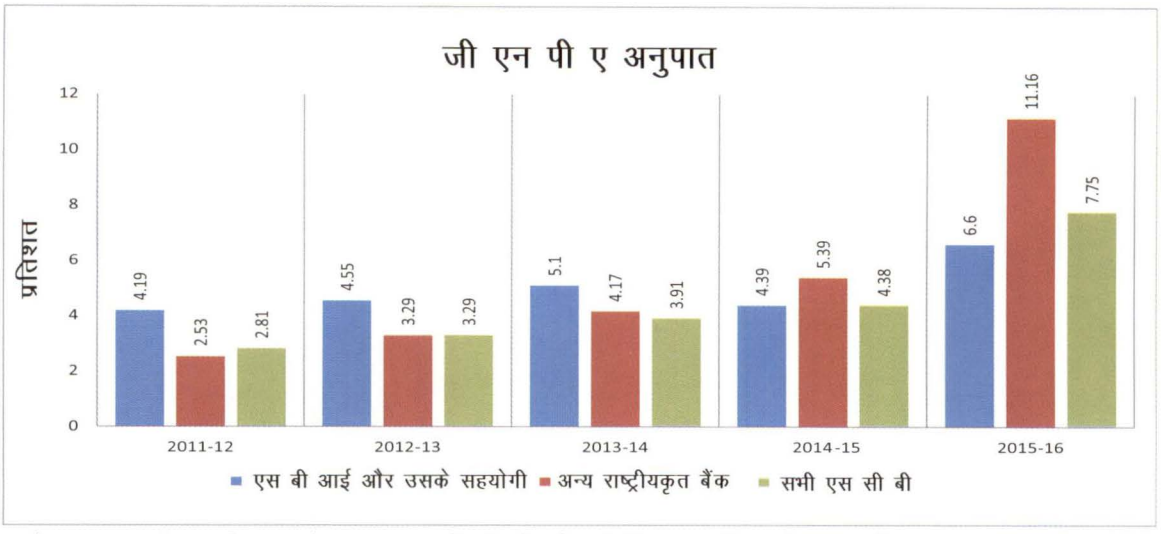


*(स्रोतः आर बी आई डाटाबेसः भारत में बैंकों से संबंधित सांख्यिकी सारणी)*

**6.3.2** उपरोक्त चार्ट भारतीय रिजर्व बैंक के डेटाबेस से तैयार किया गया है। एन पी ए जब चिन्हित हों तो उनके लिए आर बी आई मानकों के अनुसार प्रावधान किए जाते हैं। ऐसे उदाहरण देखे गए है जहाँ बैंकों और आर बी आई द्वारा चिन्हित एन पी ए एवं उनके सापेक्ष हुए प्रावधानों में महत्वपूर्ण अंतर थे। अप्रैल 2017 में, आर बी आई ने निर्देश[23] दिया कि बैंक उपयुक्त प्रकटीकरण करे जहाँ–जहाँ भी हों। (ए) आर बी आई द्वारा निर्धारित अतिरिक्त प्रावधान आवश्यकताएँ संदर्भ अवधि के कर लगाने के पश्चात् प्रकाशित शुद्ध लाभों के 15 प्रतिशत से अधिक हों या (बी) आर बी आई द्वारा पहचाने गए अतिरिक्त सकल एन पी ए प्रकाशित वृद्धिशील सकल एन पी ए के 15 प्रतिशत से अधिक होते हैं या दोनों।

लेखा परीक्षा ने वर्ष 2016–17 के लिए पी एस बी की वार्षिक रिपोर्ट की समीक्षा की और पाया कि कुछ पी एस बी[24] में निचले क्वांटम पर एन पी ए को मान्यता दी गई है। इसके साथ ही इन बैंकों द्वारा प्रावधान में कमी और तदुपरान्त निवल लाभ का अधिक आकलन हुआ जैसा कि अगले पृष्ठ पर दिए गए चार्टों में दर्शाया गया है:

---

[23] आर बी आई निर्देश सं. आर बी आई/2016–17/283 डी बी आर बी पी बी सी सं. 63–21.04.018/2016–17 दिनांक 18 अपैल 2017

[24] पांच पी एस बी के मामले में, आस्तियों के लिए वर्गीकरण एवं प्रावधान में भिन्नता थी जैसा कि पी एस बी की वार्षिक रिपोर्ट में बताया गया है। यद्यपि भिन्नता आर बी आई द्वारा निर्धारित मापदण्डों के अन्तर्गत नहीं आती, यह इन पी एस बी द्वारा नहीं दिखाया गया।

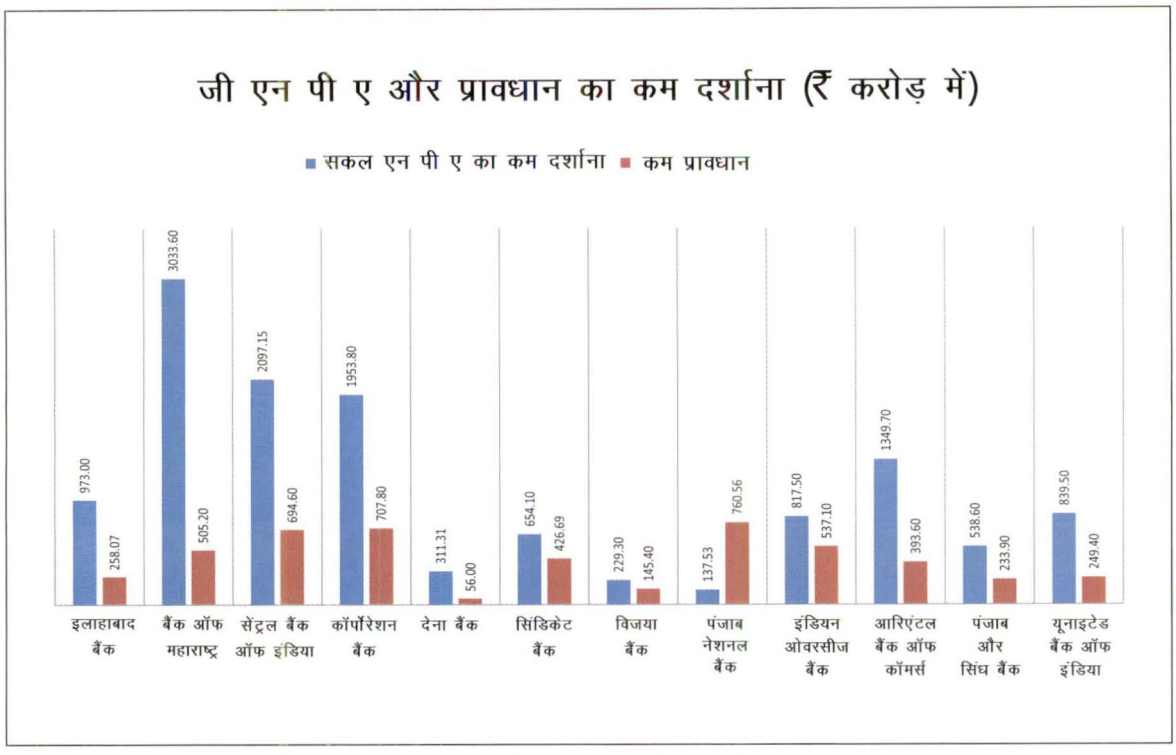


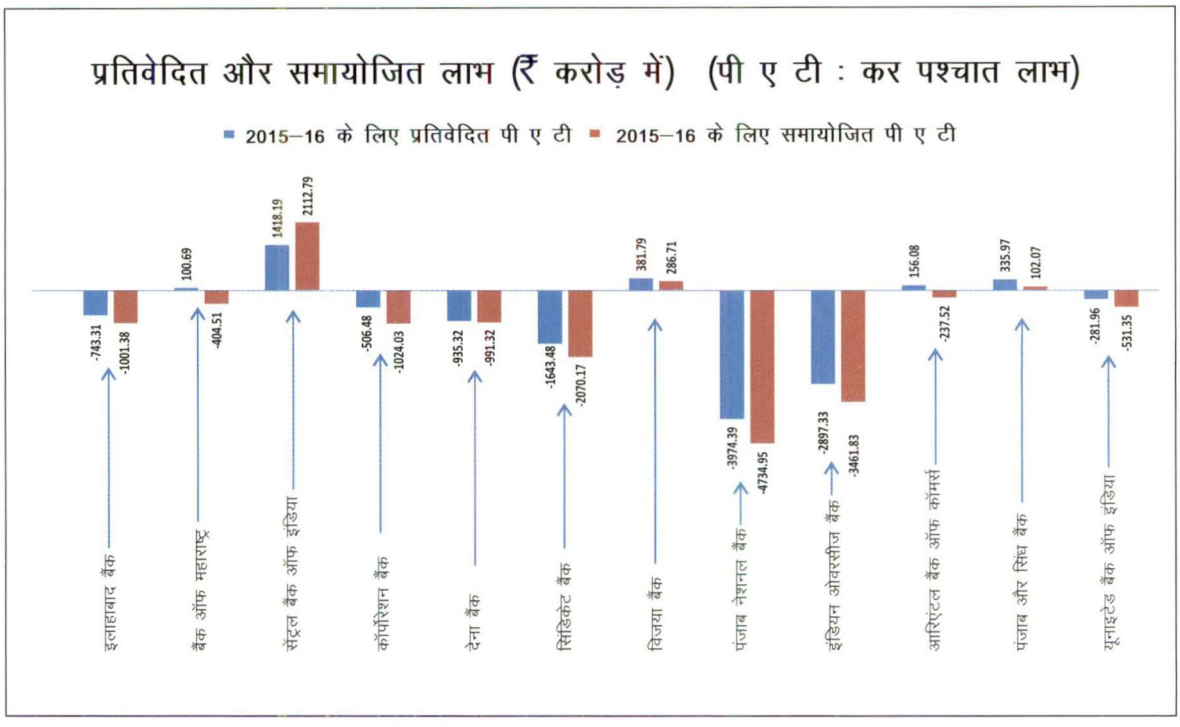


*(स्रोतः 2016–17 के लिए पी एस बी की वार्षिक रिपोर्ट)*

## 6.4 एन पी ए के लिए प्रावधान

**6.4.1** ऋण आस्ति, निवेश या अन्य आस्तियों के मूल्य में किसी भी कमी के लिए पर्याप्त प्रावधान करने की प्राथमिक जिम्मेदारी बैंक प्रबंधन और वैधानिक लेखापरीक्षकों की है। आर बी आई के निरीक्षण करने वाले अधिकारी द्वारा किए गए मूल्यांकन को, बैंक प्रबंधन और विवेकपूर्ण मानदंडों के

संदर्भ में पर्याप्त और आवश्यक प्रावधान करने के संबंध में निर्णय लेने में बैंक प्रबंधन और वैधानिक लेखा परीक्षकों की सहायता के लिए बैंक को प्रस्तुत किया जाता है। विवेकपूर्ण मानदंडों के अनुरूप, निर्धारित श्रेणियों में आस्तियों के वर्गीकरण के आधार पर अनर्जक आस्तियों पर प्रावधान किए जाने चाहिए।

**6.4.2** प्रावधान कवरेज अनुपात (पी सी आर) मूलतः सकल अनर्जक आस्तियों से प्रावधानों का अनुपात है और एन पी ए पर होने वाले नुकसान को कवर करने के लिए बैंक द्वारा अलग रखी गई निधि की मात्रा की ओर इंगित करता है। एन पी ए के लिए प्रावधानों की सीमा आर बी आई द्वारा निर्धारित की जाती है। बैंक की पी सी आर को, बैलेंस शीट के लेखों के नोट्स में प्रकट किया जाना चाहिए।

*(स्रोतः 2011–12 से 2016–17 तक पी एस बी की वार्षिक रिपोर्ट)*

उपरोक्त चार्ट इंगित करता है कि 2014–15 एवं 2016–17 के अपवाद के साथ 2011–12 से 2016–17 के दौरान पी एस बी का औसत पी सी आर क्रमशः कम होता जा रहा है। 31 मार्च 2017 को पी एस बी के लिए पी सी आर अगले पृष्ठ पर दिए गए चार्ट में दर्शाया गया है:

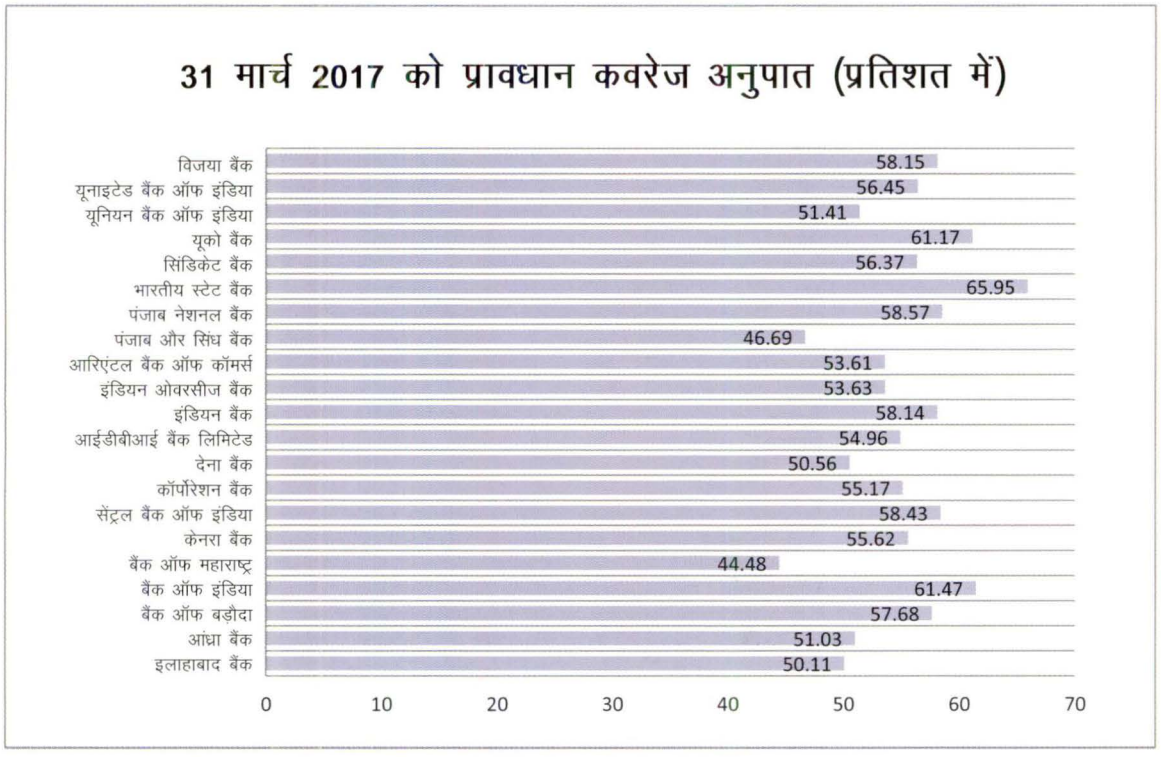


*(स्रोतः 2016–17 के लिए पी एस बी की वार्षिक रिपोर्ट)*

स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का उच्चतम पी सी आर 65.95 प्रतिशत था, जबकि बैंक ऑफ महाराष्ट्र 44. 48 प्रतिशत पर न्यूनतम था।

## 6.5 2008–16 के बीच पी एस बी में आस्ति गुणवत्ता में गिरावट

**6.5.1** सामान्य रूप से वाणिज्यिक बैंकों की और विशेष रूप से पी एस बी की आस्ति गुणवत्ता 2012–13 के बाद से काफी खराब हो रही है। पी एस बी में जी एन पी ए अनुपात, 1.99 प्रतिशत (2008–09) से बढ़कर 9.91 प्रतिशत (2015–16) हो गया। यह देखा गया कि पी एस बी का जी एन पी ए अनुपात सभी एस सी बी के मुकाबले कम रहा, जो 2011–12 तक पी एस बी द्वारा बेहतर प्रदर्शन का संकेत देता है, जबकि जी एन पी ए का अनुपात पी एस बी के लिए अधिक रहा और अभी भी ऐसा बना है। पी एस बी के लिए ताजा गिरावट अनुपात[25] की प्रवृत्ति से ताजा गिरावट में वृद्धि का संकेत मिलता है (वर्ष 2008–09 में 1.39 प्रतिशत से 2015–16 में 6.90 प्रतिशत) और पी एस बी में एन पी ए की बढ़ोतरी हुई है। जैसा अगले पृष्ठ पर दिए गए चार्ट में दर्शाया गया है:

[25] ताजा गिरावट अनुपातः एक वित्तीय वर्ष में सकल एन पी ए में बढ़ोतरी और उस वर्ष के अग्रिमों का अनुपात जिसे प्रतिशत के रूप में व्यक्त किया जाता है।

चार्टः एस सी बी एवं पी एस बी की आस्ति गुणवत्ता स्थिति

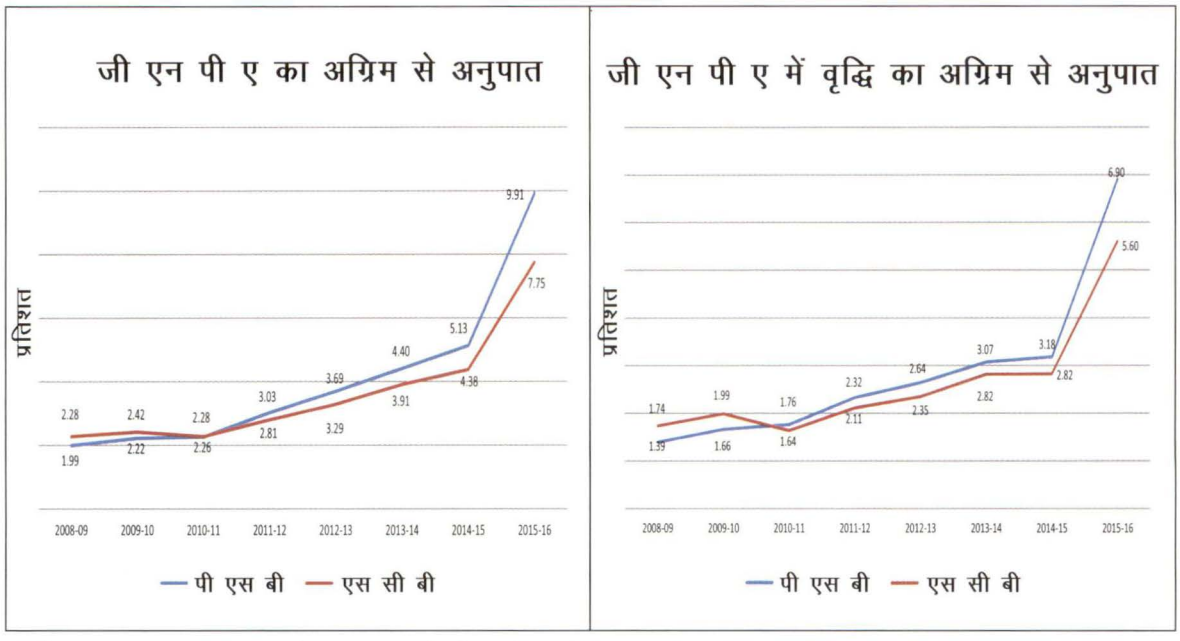


*(स्रोतः आर बी आई डाटाबेसः भारत में बैंक से संबंधित सांख्यिकी सारणी)*

पी एस बी द्वारा एन पी ए को पुनर्प्राप्त करने के प्रयासों को समझने के लिए, लेखा परीक्षा ने 2010–11 से 2014–15 तक सकल एन पी ए की वसूली दर[26] और पी एस बी अपलेखन की दरों[27] की समीक्षा की, जैसा कि नीचे दिए गए चार्ट में देखा जा सकता है।:

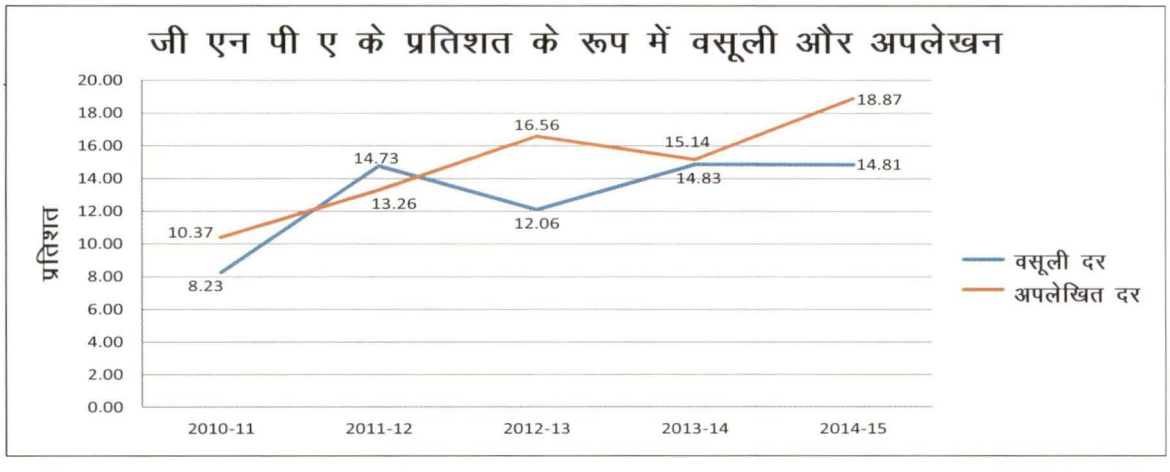


*(स्रोतः आर बी आई डाटाबेसः बैंकों से संबंधित सांख्यिकी सारणी और लोकसभा सचिवालय को डी एफ एस का का. ज्ञा. दिनांक 21 अप्रैल 2016)*

जैसा कि ऊपर दिये गए चार्ट से देखा जा सकता है, जी एन पी ए की वसूली दर सामान्य रूप से, अपलेखन की तुलना में कम है, (2011–12 के अतिरिक्त) जिसका अर्थ है कि सकल एन पी ए का एक बड़ा घटक, नगद वसूली के मुकाबले अपलेखित किया गया।

[26] वसूली दर = वसूली हुई/सकल एन पी ए

[27] अपलेखन दर = अपलेखित किये गये/सकल एन पी ए

## 6.6 दबावग्रस्त क्षेत्रों में आस्तियों की गुणवत्ता

**6.6.1** भारतीय रिजर्व बैंक की वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट (दिसंबर 2016), बड़े ऋण लेने वाले खातों में जी एन पी ए के उच्च संकेन्द्रण को इंगित करती है। रिपोर्ट दर्शाती है कि एस सी बी के करीब 88. 4 प्रतिशत जी एन पी ए बड़े कर्जदारों से संबंधित है। 30 जून 2016 तक, कार्पोरेट क्षेत्र में जी एन पी ए अनुपात (जी एन पी ए को संकल अग्रिमों द्वारा विभाजित किया गया प्रतिशत) 8.78 प्रतिशत था, जबकि यह आधारभूत ढांचा क्षेत्र में[28] 7.70 प्रतिशत और कृषि क्षेत्र में 7.03 प्रतिशत था।

डी एफ एस (मई 2017) सहमत हुआ कि कार्पोरेट ऋण का जी एन पी ए में अधिकतम योगदान रहा।

**6.6.2** पी एस बी के लिए, जी एन पी ए का एक महत्वपूर्ण घटक आधारभूत ढांचा, लोहा इस्पात एवं कपड़ा क्षेत्रों को दिया गया अग्रिम है, जैसा कि नीचे दी गई तालिका में देखा जा सकता है :

**तालिका 6.1: दबाव के तहत क्षेत्र**

| उद्योग | | 31 मार्च 2016 | 31 मार्च 2017 |
|---|---|---|---|
| खनन एवं उत्खनन | सकल अग्रिमों में शेयर | 0.59 | 0.54 |
| | दबावग्रस्त अग्रिम अनुपात | 16.52 | 23.45 |
| कोयला | सकल अग्रिमों में शेयर | 0.08 | 0.06 |
| | दबावग्रस्त अग्रिम अनुपात | 40.13 | 43.14 |
| मूल धातु और धातु उत्पादनों –लोहा एवं इस्पात | सकल अग्रिमों में शेयर | 5.12 | 5.42 |
| | दबावग्रस्त अग्रिम अनुपात | 53.19 | 60.03 |
| कपड़ा | सकल अग्रिमों में शेयर | 2.92 | 3.18 |
| | दबावग्रस्त अग्रिम अनुपात | 25.39 | 33.16 |
| आधारभूत ढांचा | सकल अग्रिमों में शेयर | 15.5 | 14.61 |
| | दबावग्रस्त अग्रिम अनुपात | 18.91 | 21.17 |
| ऊर्जा | सकल अग्रिमों में शेयर | 9.06 | 8.98 |
| | दबावग्रस्त अग्रिम अनुपात | 17.21 | 18.21 |
| विमानन | सकल अगिमों में शेयर | 0.33 | 0.48 |
| | दबावग्रस्त अग्रिम अनुपात | 16.86 | 5.59 |

***(स्रोतः आर बी आई से आंकड़े) 2016–17 के आंकड़े अनंतिम है***

डी एफ एस ने अपने जवाब (मई 2017) में स्वीकार किया कि लोहा एवं इस्पात, बिजली और कपड़ा सबसे अधिक दबावग्रस्त क्षेत्रों में थे।

[28] आधारभूत ढांचा क्षेत्र में शिक्षा संस्थान, बिजली, सड़कें, अचल संपत्ति, बंदरगाह, नौवाहन आदि शामिल है।

## 6.7 उद्योगवार प्रणालीगत बड़े पी एस बी में आस्ति की गुणवत्ता

31 दिसम्बर 2016 को भारत में प्रणालीगत बड़े पी एस बी की उद्योग–आधारित आस्ति गुणवत्ता और क्रेडिट विकास की स्थिति 18 विशिष्ट उद्योगों के प्रदर्शन पर अंतर्दृष्टि प्रदान करती है। उद्योग पोर्टफोलियो जोखिम संबंधी जानकारी प्रणालीगत बड़ी पी एस बी (एस बी आई, बी ओ बी, बी ओ आई, केनरा बैंक, पी एन बी और यूनियन बैंक आफ इंडिया) के आंकड़ों के आधार पर संकलित की गई है और इसे नीचे दी गई तालिका में रखा गया है।

**तालिका 6.2: प्रणालीगत बड़ी पी एस बी की आस्ति गुणवता और क्रेडिट वृद्धि की स्थिति**

| उद्योग के नाम | कुल क्रेडिट (₹ करोड़ मे) | उद्योग क्रेडिट वृद्धि प्रतिशत में[29] | एक्सपोजर शेयर[30] | अन्तिम जी एन पी ए (₹ करोड़ में) | जी एन पी ए अनुपात (प्रतिशत) |
|---|---|---|---|---|---|
| खनन एवं उत्खनन | 18677.10 | 4.42 | 1.23 | 1699.11 | 9.10 |
| खाद्य प्रसंस्करण | 69731.79 | -21.67 | 4.60 | 10218.92 | 14.65 |
| पेय पदार्थ (चाय और कॉफी को छोड़कर) एवं तंबाकू | 8135.84 | 14.65 | 0.54 | 1260.38 | 15.49 |
| कपड़ा | 113066.14 | -6.03 | 7.46 | 19709.08 | 17.43 |
| चमड़ा एवं चमड़ा उत्पाद | 5798.96 | -3.75 | 0.38 | 232.58 | 4.01 |
| लकड़ी एवं लकड़ी उत्पाद | 4348.33 | -1.26 | 0.29 | 663.85 | 15.27 |
| पेपर एवं पेपर उत्पाद | 14729.48 | -63.77 | 0.97 | 2690.38 | 18.27 |
| पेट्रोलियम, कोयला (गैर–खनन) एवं परमाणु ईंधन | 40949.46 | -10.36 | 2.70 | 3769.15 | 9.20 |
| रसायन और रसायनिक उत्पाद | 82514.23 | -17.35 | 5.45 | 8480.29 | 10.28 |
| रबड़, प्लास्टिक और उनके उत्पाद | 46229.19 | 95.90 | 3.05 | 1700.31 | 3.68 |
| ग्लास एवं ग्लासवेयर | 4927.63 | -13.75 | 0.33 | 1446.25 | 29.35 |
| सीमेंट एवं सीमेंट उत्पाद | 17134.32 | 8.79 | 1.13 | 3363.46 | 19.63 |
| मूल धातु और धातु उत्पाद | 249371.31 | 1.17 | 16.46 | 81417.81 | 32.65 |
| सभी अभियांत्रिकी | 94615.70 | -5.05 | 6.25 | 7967.69 | 8.42 |
| वाहन, वाहन पार्टस और परिवहन उपकरण | 27027.72 | 2.52 | 1.78 | 4850.93 | 17.95 |

[29] अप्रैल से दिसंबर 2016 तक 9 महीनों के लिए उद्योग ऋण वृद्धि

[30] एक्सपोजर शेयर, एक उद्योग विशेष में सिस्टमेटिकली लार्ज पी एस बी के एक्सपोजर का अनुपात इन पी एस बी के संदर्भ में कुल उद्योग क्रेडिट से दर्शाता है।

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| रत्न और आभूषण | 42436.02 | -33.63 | 2.80 | 5089.25 | 11.99 |
| निर्माण | 51511.65 | 2.04 | 3.40 | 6183.08 | 12.00 |
| आधारभूत ढांचा | 494492.10 | 6.09 | 32.64 | 31097.53 | 6.29 |
| अन्य उद्योग | 129230.16 | -12.42 | 8.53 | 20474.17 | 15.84 |
| **कुल** | **1514927.1** | | **100.00** | **212314.22** | **14.01** |

*(स्रोत : आर बी आई डाटा : घरेलू संचालन)*

## 6.8 वसूली एवं अपलेखन

**6.8.1** एन पी ए के प्रबंधन में इसकी नगद वसूली एवं अपलेखन शामिल है। जब उधारकर्त्ता द्वारा ब्याज एवं मूल का भुगतान किया जाता है तो एन पी ए के रूप में वर्गीकृत खातों में भी श्रेणी उन्नयन किया जा सकता है। आगे चार्ट में जी एन पी ए कटौती का वितरण तीन श्रेणियों में दिखाया गया है। (i) श्रेणी उन्नयन (ii) वास्तविक वसूली और (iii) 2010–15 के दौरान (समझौता खातों में अपलेखन सहित) अपलेखन

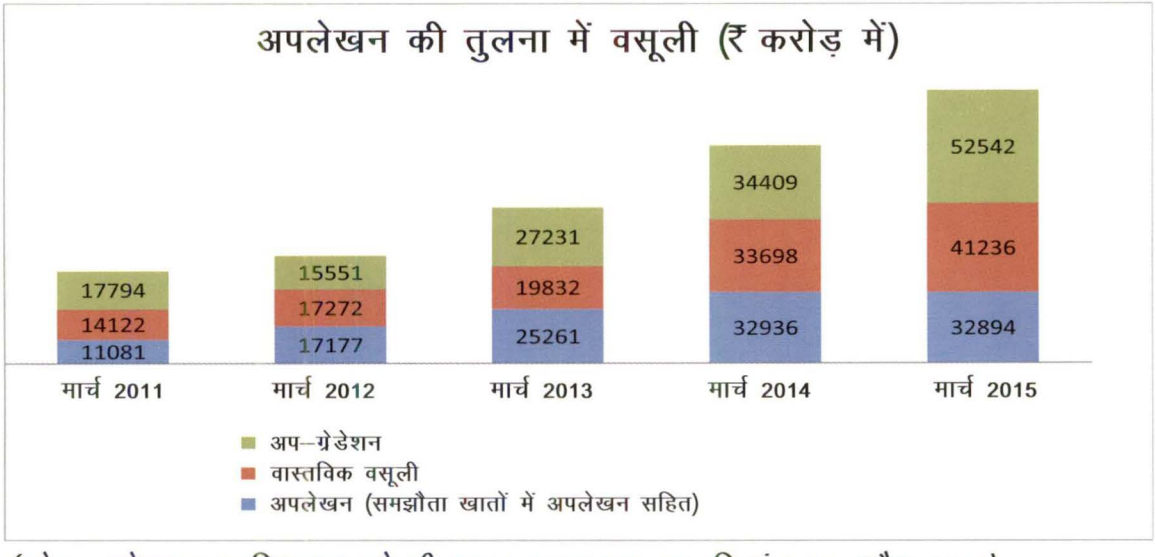


*(स्रोत : लोकसभा सचिवालय को डी एफ एस का का. ज्ञा. दिनांक 21 अप्रैल 2016)*

यह देखा गया है कि वास्तविक वसूली 2011–12 को छोड़कर सभी वर्षों में अपलेखन से कम थी। 2014–15 में अपलेखन की मात्रा वास्तव में ₹ 52,542 करोड़ थी जो ₹ 41,236 करोड़ की वसूली से काफी अधिक है जो डी एफ एस सिद्धांत के खिलाफ है जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि वसूली की मात्रा अपलेखन के बराबर हो।

डी एफ एस ने बताया (मई 2017) कि वे इस सिद्धांत से सहमत थे कि अपलेखन राशि को वसूली के खातों की राशि से मिलना चाहिए, लेकिन विशेष उपाय किए जाने के बावजूद, पिछले कुछ सालों में पी एस बी की दबावग्रस्त आस्तियों की स्थिति गंभीर हो गई थी, इसलिये आस्तियों की गुणवत्ता के मामलों में सामान्य स्थिति बहाल होने में कुछ समय लग सकता है।

## 6.9 एन पी ए की स्थिति सुधारने के लिए भारत सरकार एवं आर बी आई द्वारा उठाये गए कदम

भारत सरकार एवं आर बी आई ने बढ़ती हुई एन पी ए की समस्या को दूर करने के लिए कई पहल की जिसमें से कुछ महत्वपूर्ण उपाय नीचे संक्षेप में दिए गए हैं।

### 6.9.1 ऋण वसूली न्यायाधिकरण (डी आर टी)

बैंकों की एन पी ए को वसूल करने के लिए संसद के अधिनियम (1993) के तहत ऋण वसूली न्यायाधिकरण (डी आर टी) का गठन किया गया था। वर्तमान में, विभिन्न राज्यों में 39 डी आर टी और 5 ऋण वसूली अपीलीय न्यायाधिकरण (डी आर ए टी) काम कर रहे हैं। डी आर टी (समझौता सहित) के माध्यम से वसूल की गई राशि वर्ष 2014–15 एवं 2015–16 में क्रमशः ₹ 3,484 करोड़[31] और ₹ 5,590 करोड़ थी।

### 6.9.2 लोक अदालत

आर बी आई ने लोक अदालतों के मंच के उपयोग बढ़ाने एवं छोटे बैंकिंग विवादों का निपटान करने के लिए दिशानिर्देश जारी किये (मई 2001)। लोक अदालतों के माध्यम से वसूली राशि 2014–15 एवं 2015–16 में क्रमशः ₹ 931 करोड़ एवं ₹ 3,134 करोड़ थी।

### 6.9.3 सरफेसी अधिनियम, 2002

वित्तीय आस्तियों की प्रतिभूति एवं पुनर्निर्माण और प्रतिभूति ब्याज (सरफैसी) अधिनियम 2002 ने बैंकों/वित्तीय संस्थानों को न्यायालय के हस्तक्षेप के बिना अपनी एन पी ए पुनः प्राप्त करने का अधिकार देता है। अधिनियम, न्यायालय के हस्तक्षेप के बिना अनर्जक आस्तियों की वसूलीं के लिए तीन वैकल्पिक विधियों को बताया है जो प्रतिभूतिकरण, संपत्ति पुनर्निर्माण एवं सुरक्षा का प्रवर्तन है। सरफेसी अधिनियम के कार्यान्वयन के माध्यम से वसूल की गई राशि वर्ष 2014–15 एवं 2015–16 में क्रमश : ₹ 23,434 करोड़ और ₹ 11,033 करोड़ थी।

### 6.9.4 पुनर्गठन के लिए योजनाऐं

**कारपोरेट ऋण पुनर्गठन (सी डी आर)** तंत्र भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अगस्त 2001 में पेश किया गया था जो देनदार – ऋणदाताओं के समझौते (डी सी ए) एवं अंतर–ऋण संधि पर आधारित है जिसमें 75 प्रतिशत के अति–बहुमत वाले लेनदारों द्वारा अनुमोदन के सिद्धांत (मूल्य के अनुसार) पर आधारित है और शेष 25 प्रतिशत पर बाध्यकारी है जो बहुमत के फैसले के अनुरूप है। यह एक स्वैच्छिक गैर–सांविधिक व्यवस्था है।

**5/25 योजना की** शुरूआत (जुलाई 2014) के लिए बुनियादी ढांचा और मुख्य उद्योगों में परियोजनाओं के दीर्घकालिक ऋण वित्तपोषण को सक्षम करने के लिए, इन क्षेत्रों में ऋण के लिए अधिक परिशोधन अवधि 25 वर्षों तक दी गई (उपयोगिता काल या रियायती अवधि के आधार पर

---

[31] भारत में बैंकिंग की प्रवृति और प्रगति पर आर बी आई प्रतिवेदन 2015–16 से डी आर टी, लोक अदालतों और सरफेसी द्वारा वसूली के आँकड़े लिए गये हैं।

परियोजना) जिसमें दीर्घकालिक व्यवहार्यता को सुनिश्चित करने के लिए प्रत्येक पाँच वर्षों में आवधिक पुनर्वित्तीयकरण किया जाता है। पुनर्जीवित दबावग्रस्त खातों में प्रवर्तकों की अधिक हिस्सेदारी को सुनिश्चित करने के लिए **रणनीतिक ऋण पुनर्गठन (एस डी आर)** (जून 2015) को शुरू किया गया था जो उन खातों के स्वामित्व में परिवर्तन शुरू करने के लिए बैंकों की क्षमताओं को बढ़ावा प्रदान करने के लिए प्रस्तावित व्यावहारिक लक्ष्यों को हासिल करने में असफल रहे, जबकि आर बी आई निर्देशित (जून 2015), बैंक अपने विवेक से ऋण देय राशि को इक्विटी शेयरों में परिवर्तित करके एक सामरिक ऋण पुनर्गठन (एस डी आर) कर सकते हैं। बड़े दबावग्रस्त खातों के समाधान के लिए एक वैकल्पिक ढांचा के रूप में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा दबावग्रस्त आस्तियों की टिकाऊ संरचना के लिए योजना एस 4 ए तैयार (जून 2016) की गई थी। एस 4 ए में एक दबावग्रस्त उधारकर्त्ता के लिए टिकाऊ ऋण स्तर का निर्धारण, और बकाया ऋण का टिकाऊ कर्ज और इक्विटी/अर्ध–इक्विटी उपकरणों में बँटवारा, जो उधारकर्ताओं के अच्छी स्थिति में होने पर देनदार की अच्छी स्थिति होने पर आधारित है।

### 6.9.5 त्वरित सुधारात्मक कार्यवाही ढांचा

भारतीय रिजर्व बैंक ने 13 अप्रैल, 2017 को बैंकों के लिए संशोधित त्वरित सुधारात्मक कार्य (पी सी ए) रूपरेखा के रूप में एक नीतिगत कार्यवाही दिशा निर्देश जारी किया। संशोधित रूपरेखा में बैंकों की निगरानी के लिए पूँजी, संम्पत्ति की गुणवत्ता एवं लाभ प्रदता प्रमुख क्षेत्र हैं। आर बी आई, सी आर ए आर या सी ई टी 1 अनुपात, नेट एन पी ए अनुपात एवं आस्ति पर आय को ट्रैक करेगा। पी सी ए के हिस्से के रूप में लीवेरेज की अतिरिक्त निगरानी भी की जाएगी। किसी भी निर्धारित जोखिम दहलीज के उल्लंघन के परिणामस्वरूप कुछ अंक निर्दिष्ट किए गए है जो पी सी ए के आवाहक होगें। यह 1 अप्रैल 2017 से प्रभावी हो गया है। भारतीय रिजर्व बैंक ने चार पी एस बी पर जो कि आई डी बी आई बैंक लिमिटेड, यूको बैंक, देना बैंक एवं सेंट्रल बैक ऑफ इंडिया हैं, उनके उच्च शुद्ध एन पी ए और नकारात्मक आर ओ ए को देखते हुए पी सी ए (मई 2017 और जून 2017) प्रारम्भ की है।

### 6.9.6 अध्यादेश

बैंकिग विनियमन (संशोधन) अध्यादेश, 2017 बैंकिग विनियमन 1949 की धारा 35 ए के बाद दो नई धारा (अर्थात 35 ए ए और 35 ए बी) को शामिल (मई 2017) कर दिया गया है, जिससे कि केन्द्र सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक को बैंकिंग कम्पनियों को विशिष्ट दबावग्रस्त आस्तियों को हल करने के लिए दिवालिया संकल्प प्रक्रिया शुरू करने का जहाँ आवश्यक हो, निर्देश कर सके। आर बी आई को दबावग्रस्त आस्तियों में सुधार के लिए अन्य निर्देश जारी करने और नियुक्त प्राधिकारियों या बैंकिंग कम्पनियों की समितियों के लिए नियुक्त या अनुमोदन का अधिकार दिया गया है।

### 6.9.7 अन्य उपाय

एन पी ए विशिष्ट क्षेत्रों, मुख्यतः आधारभूत ढांचा (पावर, सड़कों आदि), स्टील और कपडा उद्योग में विशेष उपाय किए गए है। इस्पात क्षेत्र में, दिसंबर 2016 में विशिस्ट इस्पात उत्पादों के आयात पर न्यूनतम आयात मूल्य (एम आई पी) शुरू किया गया है जबकि कोयला खानों को इस क्षेत्र में निर्माताओ के लिए नीलामी की गई है जिससे घरेलू उत्पादन को बढावा मिलेगा और उस क्षेत्र में

बढते एन पी ए से निपटने में मदद मिल सकती है। ऊर्जा के क्षेत्र में, उज्जवल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना (उदय) शुरू की गई है (सितंबर 2015) जिसके तहत राज्य सरकार 2015–17 से डिस्कॉम् कर्ज का 75 प्रतिशत हिस्सा लेंगे जो कि पी एस बी की पूँजी को अनलॉक करके एन पी ए में सुधार करेगी। मार्च 2015 तक डिस्कॉम्ों का कुल घाटा लगभग ₹ 3.8 लाख करोड़ और कुल बकाया ऋण लगभग ₹ 4.3 लाख करोड़ था।

# अध्याय VII
# निष्कर्ष एवं अनुशंसाएँ

## निष्कर्ष

एक मजबूत एवं प्रतिरोधक्षमतापूर्ण बैंकिंग प्रणाली स्थायी आर्थिक विकास की नींव होती है। कुल ऋण के 70 प्रतिशत लेखांकन हेतु भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक (पी एस बी) बैंकिंग प्रणाली के बड़े हिस्से को समाविष्ट करते हैं। नियामक दृष्टिकोण से पी एस बी को जमाकर्ता के धन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने से पहले भविष्य के सम्भावित नुकसानों को नियंत्रित करने के लिए अपने जोखिम का प्रबन्धन करना चाहिए तथा बड़े नुकसानों को अवशोषित करने हेतु पर्याप्त पूँजीगत निधि रखनी चाहिए। अतः बैंकिग नियम के अनुसार पी एस बी को अभावग्रस्त न्यूनतम पूँजी की जरूरत को पूर्ण करने की आवश्यकता है।

जी ओ आई ने मुख्य शेयरधारक के रूप में पी एस बी की पूँजी पर्याप्तता की आवश्यकता को पूर्ण करने हेतु और उनके प्रदर्शन के आधार पर पी एस बी में 2008–09 से 2016–17 के दौरान ₹ 1,18,724 करोड़ की पूँजी लगाई। लेखापरीक्षा ने पाया कि उन मापदण्डों का आकलन, जिनके आधार पर पूँजी लगाई गई थी, साल दर साल और कई बार उसी वर्ष के विभिन्न चरणों के दौरान बदला गया। आवश्यकता के आधार पर पूँजी लगाने के लिए सी सी ई ए का अनुमोदन लिया गया, जबकि 2014–15 में यह प्रदर्शन/लाभप्रदता के आधार पर पूँजी लगाने के रूप में स्थानांतरित हो गया। लेखापरीक्षा ने यह भी पाया कि कुछ मामलों में जी ओ आई द्वारा पूँजी को विभिन्न पी एस बी के मध्य बांटने का आधार अभिलेखों में नहीं पाया गया। कुछ बैंक जो तय मानदण्ड़ों के अनुसार अतिरिक्त पूँजी के योग्य नहीं थे, उनमें भी पूँजी लगाई गई, एक बैंक में आवश्यकता से भी अधिक पूँजी लगाई गई जबकि दूसरे को उनकी पूँजी पर्याप्तता को पूर्ण करने के लिए आवश्यक पूँजी भी प्राप्त नहीं हुई। 2015–16 और 2016–17 में यह निर्णय लिया गया कि क्रमशः 20 और 25 प्रतिशत पूँजी प्रदर्शन के आधार पर लगाई जाएगी। हालाँकि आर बी आई की सम्पत्ति गुणवत्ता समीक्षा (2015–16) में सामने आई बैंकों की सम्पत्ति की दयनीय दशा और दोनों वर्षों में लगभग सभी पी एस बी के लक्ष्य प्राप्ति में विफल होने के परिणामस्वरूप प्रदर्शन को ध्यान में रखे बिना ही पूँजी प्रदान की गई। मार्च 2017 में डी एफ एस ने निर्णय लिया कि 2017–18 से तिमाही मापदण्डों के सापेक्ष प्राप्त उपलब्धि ही निधि प्राप्त करने का मानदण्ड होगी।

पी एस बी के लिए बाजार से 2018–19 तक ₹ 1,10,000 करोड़ प्राप्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया (अगस्त 2015)। इस लक्ष्य के सापेक्ष जनवरी 2015 व मार्च 2017 के दौरान केवल ₹ 7,726 करोड़ प्राप्त किये गए। सी सी ई ए से की गई वचनबद्धता, कि बाजार में एक ही समय पर जारी किये गए बैंकिंग शेयरों की अधिकता नहीं होगी, को ध्यान में रखते हुए 2019 तक इस लक्ष्य की प्राप्ति सन्देहास्पद प्रतीत हो रही है।

डी एफ एस ने निर्णय लिया था कि प्रत्येक पी एस बी के साथ किये गए एम ओ यू (फरवरी/मार्च 2012 में हस्ताक्षरित) में दर्शाये गये प्रदर्शन मापदण्ड की उपलब्धि भविष्य में लगाई जाने वाली पूँजी का आधार होगी। परन्तु इसका व्यवहारिकता में पालन नहीं किया गया। लेखापरीक्षा ने पाया कि कुछ मापदण्डों हेतु एम ओ यू लक्ष्य साल दर साल कम होते गये जबकि दूसरों के लिए विशिष्ट

लक्ष्य निर्धारित नहीं किये गए। यद्यपि एम ओ यू वित्तीय वर्ष –17 तक वैध थे, केवल मार्च 2015 तक के अंतरिम लक्ष्य निर्धारित किये गये थे। यह देखा गया कि एम ओ यू में निर्धारित किये गए लक्ष्य पी एस बी के एस ओ आई के निर्धारित लक्ष्यों से काफी हद तक भिन्न थे। एम ओ यू पर पी एस बी से 273 प्रगति रिपोर्ट देय थीं वास्तव में केवल 21 ही प्राप्त हुई जोकि प्रगति रिपोर्ट के माध्यम से एम ओ यू की निगरानी में कमी का संकेत देता है। एम ओ यू लक्ष्यों के सापेक्ष उपलब्धियाँ (उन मापदण्डों[32] हेतु जिनके सापेक्ष उपलब्धियाँ लेखापरीक्षा को उपलब्ध कराई गई) भी खराब थी। लेखापरीक्षा ने यह भी पाया कि पी एस बी में पूँजी प्रवाह को मंजूरी देते समय निर्धारित की गई शर्तें (2010–11) उसी अवधि के लिए एस ओ आई में निर्धारित लक्ष्यों से काफी भिन्न थीं।

पी एस बी के पुनर्पूंजीकरण के प्रभाव को समझने के लिए उन्हें दो वर्गों में विभाजित किया गया, वग I जो उनके निवल मूल्य के अनुपात में जी ओ आई की पूँजी का एक कम हिस्सा (25 प्रतिशत से कम) प्राप्त करते हैं। वर्ग II जो उनके नेटवर्थ के अनुपात में जी ओ आई की पूँजी का एक ज्यादा हिस्सा (25 प्रतिशत या 25 प्रतिशत से अधिक) प्राप्त करते हैं। लेखापरीक्षा ने पाया कि वर्ग I पी एस बी की तुलना में वर्ग II पी एस बी में आर ओ ए, आर ओ ई की औसत तथा अग्रिमों के विकास की दर सामान्यतः कम रही। लेखापरीक्षा ने यह भी पाया कि जी ओ आई के पूँजी प्रवाह की अधिकता एवं बारम्बारता के बावजूद वर्ग II पी एस बी का औसतन पूँजी पर्याप्तता का अनुपात वर्ग I पी एस बी की तुलना में लगातार कम रहा।

इसी बीच पी एस बी में आस्तियों की गुणवत्ता में तेजी से गिरावट आई है, विशेषकर हाल के दिनों में। पी एस बी का सकल एन पी ए ₹ 2.27 लाख करोड़ (31 मार्च 2014) से लगभग ₹ 5.40 लाख करोड़ (31 मार्च 2016) तक बढ़ गया है, जोकि 138 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है। इसके अतिरिक्त 31 मार्च 2017 के अंत तक जी एन पी ए ₹ 6.83 लाख करोड़ (अन्तरिम) तक बढ़ गया। लेखापरीक्षा ने पाया कि आर बी आई तथा 12 पी एस बी द्वारा चिन्हित एन पी ए के मध्य काफी भिन्नतायें (15 प्रतिशत से अधिक) थीं जिससे कि प्रावधानों में कमी आई, अतः निवल लाभ अधिक अनुमानित किया गया। यह भी देखा गया कि 2011–12 से 2016–17 तक पी एस बी का औसतन पी सी आर सामान्यतः गिरावट पर रहा। यह देखा गया कि पी एस बी द्वारा किये गये अग्रिमों का सकल एन पी ए अनुपात 2011–12 से एस सी बी से अधिक रहा, तथा सामान्यतः पी एस बी के लिए अपलेखन, वसूली से अधिक रहा। जी ओ आई तथा आर बी आई द्वारा दबावग्रस्त आस्तियों के समाधान के लिए विभिन्न कदम उठाये गए हैं/उठाये जा रहे है और यह उम्मीद की जाती है कि स्थिति में भविष्य में सुधार होगा।

## अनुशंसाएँ

1. *एक बार निधि के प्रवाह के लिए मानंदड के, अंतिम रूप प्राप्त करने के पश्चात, उसे सभी पी एस बी में सुसंगत रूप से लागू किया जाए हालाँकि भिन्नता के मामले में, कारणों को अच्छी तरह से प्रलेखित किया जाना चाहिए।*

---

[32] आर ओ ए, सी ए एस ए, प्रति कर्मचारी निवल लाभ, लागत आय अनुपात और शाखाओं में कर्मचारियों का कुल कर्मचारियों से अनुपात।

2. *वार्षिक रूप से निधि के प्रवाह की मात्रा का आकलन करते समय डी एफ एस द्वारा बैंक विशिष्ट आई सी ए ए पी दस्तावेजों पर विचार किया जाए।*

3. *निधि के प्रवाह का उद्देश्य, जिसके लिए सी सी ई ए अनुमोदन लिया गया है का पालन किया जाए। निधि के प्रवाह के उद्देश्य में यदि परिवर्तन आवश्यक हो तो उसे कार्यान्वित किये जाने से पहले सी सी ई ए द्वारा अनुमोदित किया जाए।*

4. *एक प्रभावशाली निगरानी प्रणाली होनी चाहिए तथा इस प्रणाली को निधि के प्रवाह के अभीष्ट उद्देश्यों की पूर्ति को सुनिश्चित करना चाहिए।*

5. *वित्तीय सेवा विभाग द्वारा यह सुनिश्चित करने के लिए प्रयास किए जाएँ कि पी एस बी अपलेखन की तुलना में वसूली की मात्रा को बढ़ाए।*

मनीष कुमार

दिनांक: 03 जुलाई 2017
स्थानः नई दिल्ली

(मनीष कुमार)
महानिदेशक लेखापरीक्षा
(आर्थिक एवं सेवा मंत्रालय)

प्रतिहस्ताक्षरित

शशि कान्त शर्मा

दिनांकः 03 जुलाई 2017
स्थानः नई दिल्ली

(शशि कान्त शर्मा)
भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक

# अनुलग्नक

## अनुलग्नक -I
## 31 मार्च को पी एस बी में भारत सरकार और एल आई सी की अंशधारिता
(पैराग्राफ संख्या 1.3.2 के संदर्भ में)

(आंकड़े प्रतिशत में)

| पी एस बी का नाम | 2016–17 | | 2015–16 | | 2014–15 | | 2013–14 | | 2012–13 | | 2011–12 | | 2010–11 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | भारत सरकार | एल आई सी | भारत सरकार | एल आई सी | भारत सरकार | एल आई सी | भारत सरकार | एल आई सी | भारत सरकार | एल आई सी | भारत सरकार | एल आई सी | भारत सरकार | एल आई सी |
| इलाहाबाद बैंक | 65.92 | 14.17 | 61.38 | 14.50 | 60.83 | 11.46 | 58.90 | 8.26 | 55.24 | 10.61 | 55.24 | 12.93 | 58 | 7.61 |
| आंध्रा बैंक | 61.26 | 11.58 | 61.26 | 11.58 | 61.02 | 6.51 | 60.14 | 7.28 | 58 | 8.07 | 58 | 8.65 | 58 | 8.47 |
| बैंक ऑफ बड़ौदा | 59.24 | 10.03 | 59.24 | 11.89 | 56.26 | 9.95 | 56.26 | 10.79 | 55.41 | 11.16 | 54.31 | 12.10 | 57.03 | 6.44 |
| बैंक ऑफ इंडिया | 73.72 | 12.83 | 68.01 | 14.61 | 64.43 | 14.93 | 66.70 | 11.82 | 64.11 | 12.82 | 62.72 | 13.52 | 65.86 | 8.31 |
| बैंक ऑफ महाराष्ट्र | 81.61 | 12.72 | 81.61 | 12.72 | 79.80 | 13.80 | 85.21 | 5.31 | 81.24 | 7.82 | 78.95 | 8.94 | 79.24 | 6.57 |
| केनरा बैंक | 66.30 | 13.62 | 66.30 | 13.75 | 69.91 | 7.29 | 69 | 5.35 | 67.72 | 4.97 | 67.72 | 4.97 | 67.72 | 4.71 |
| सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया | 81.28 | 13.83 | 79.94 | 14.50 | 81.46 | 13.41 | 88.63 | 5.44 | 85.31 | 7.03 | 79.15 | 10 | 80.20 | 6.55 |
| कॉरपोरेशन बैंक | 70.76 | 18.91 | 67.20 | 21.22 | 63.33 | 22.54 | 63.33 | 22.54 | 59.82 | 24.69 | 58.52 | 25.49 | 58.52 | 24.81 |
| देना बैंक | 68.55 | 12.23 | 62.89 | 14.50 | 59.75 | 12.66 | 58.01 | 13.42 | 55.24 | 6.35 | 55.24 | 10.30 | 58.01 | 6.34 |
| इण्डियन ओवरसीज बैंक | 79.56 | 10.68 | 77.32 | 14.50 | 73.80 | 12.62 | 73.80 | 14.77 | 73.80 | 8.90 | 69.62 | 10.47 | 65.87 | 9.78 |
| इंडियन बैंक | 82.10 | 3.14 | 82.10 | 3.14 | 82.10 | 2.64 | 81.51 | 2.21 | 80 | 2.42 | 80 | 2.42 | 80 | 1.87 |
| ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स | 58.38 | 13.05 | 55.17 | 14.06 | 59.13 | 7.88 | 59.13 | 8.22 | 58 | 11.06 | 58 | 11.91 | 58 | 10.49 |
| पंजाब नैशनल बैंक | 65.01 | 12.52 | 62.08 | 13.85 | 59.86 | 11.19 | 58.87 | 12.70 | 57.87 | 12.79 | 56.10 | 14.15 | 58 | 6.37 |
| पंजाब एण्ड सिंध बैंक | 79.62 | 0.00 | 79.62 | 10.49 | 79.62 | 10.49 | 81.42 | 4.21 | 79.86 | 4.56 | 78.16 | 4.94 | 82.07 | - |
| सिंडिकेट बैंक | 72.92 | 11.28 | 65.17 | 14.50 | 69.24 | 8.12 | 67.39 | 9.52 | 66.17 | 11.32 | 66.17 | 14.53 | 69.47 | 10.42 |
| यूको बैंक | 76.67 | 14.50 | 72.83 | 14.36 | 72.83 | 14.36 | 77.20 | 7.56 | 69.26 | 10.20 | 65.19 | 10.47 | 68.13 | 7.33 |
| यूनियन बैंक | 63.44 | 10.24 | 63.44 | 10.24 | 60.47 | 10.73 | 60.13 | 10.28 | 57.89 | 10.88 | 54.35 | 12.36 | 57.07 | 4.14 |
| यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया | 85.23 | 7.30 | 82 | 12.12 | 82 | 12.12 | 88 | 3.10 | 82.23 | 4.60 | 81.56 | 4.77 | 85.48 | - |
| विजया बैंक | 70.33 | 12.93 | 68.23 | 14.50 | 74.06 | 7.13 | 74.06 | 6.92 | 55.02 | 12.34 | 55.02 | 10.17 | 57.69 | 6.35 |
| भारतीय स्टेट बैंक | 62.22 | 8.96 | 61.32 | 11.49 | 58.60 | 11.82 | 58.60 | 14.99 | 62.31 | 9.99 | 61.58 | 11.08 | 59.40 | 11.26 |
| आई डी बी आई बैंक लिमिटेड | 73.98 | 13.87 | 73.98 | 14.37 | 76.50 | 7 | 76.50 | 7.04 | 71.72 | 8.63 | 70.52 | 9.21 | 65.13 | 10.18 |

*(स्रोतः बी एस ई और एन एस ई वैबसाईट)*

## अनुलग्नक -II

## पी एस बी के वर्षवार और बैंकवार अग्रिमों का विवरण

(पैराग्राफ संख्या 1.5.2 के सन्दर्भ में)

*(मिलियन ₹ में)*

| बैंक | 2015–16 | 2014–15 | 2013–14 | 2012–13 | 2011–12 | 2010–11 | 2009–10 | 2008–09 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| इलाहाबाद बैंक | 1523721 | 1498768 | 1380066 | 1294897 | 1111451 | 936249 | 716049 | 588018 |
| आंध्रा बैंक | 1307879 | 1259547 | 1076442 | 983733 | 832230 | 714354 | 561135 | 441393 |
| बैंक ऑफ बड़ौदा | 3837702 | 4280651 | 3970058 | 3281858 | 2873773 | 2286764 | 1750353 | 1432514 |
| बैंक ऑफ इंडिया | 3591890 | 4020255 | 3707335 | 2893675 | 2488333 | 2130962 | 1684907 | 1429094 |
| बैंक ऑफ महाराष्ट्र | 1075627 | 985991 | 889204 | 754708 | 560598 | 468808 | 403147 | 342908 |
| केनरा बैंक | 3247148 | 3300355 | 3010675 | 2421766 | 2324898 | 2112683 | 1693346 | 1382194 |
| सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया | 1800096 | 1884775 | 1773152 | 1719358 | 1475129 | 1297254 | 1053835 | 854832 |
| कॉरपोरेशन बैंक | 1403222 | 1450660 | 1370863 | 1187166 | 1004690 | 868504 | 632026 | 485122 |
| देना बैंक | 823283 | 789343 | 775538 | 657812 | 566925 | 448280 | 354624 | 288780 |
| आई डी बी आई बैंक लिमिटेड | 2158934 | 2083769 | 1976860 | 1963064 | 1805723 | 1570981 | 1382019 | 1034445 |
| इंडियन बैंक | 1290491 | 1258635 | 1222090 | 1056425 | 903236 | 752499 | 621461 | 513965 |
| इण्डियन ओवरसीज बैंक | 1608607 | 1717560 | 1758816 | 1603641 | 1407244 | 1118330 | 789992 | 748853 |
| ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स | 1488800 | 1452613 | 1390798 | 1289551 | 1119777 | 959082 | 834893 | 685004 |
| पंजाब एण्ड सिंध बैंक | 639161 | 638702 | 572391 | 514308 | 461514 | 426378 | 326391 | 246153 |
| पंजाब नैशनल बैंक | 4123258 | 3805344 | 3492691 | 3087959 | 2937748 | 2421067 | 1866012 | 1547030 |
| सिंडिकेट बैंक | 2013685 | 2027198 | 1739124 | 1475690 | 1236202 | 1067819 | 904064 | 815323 |
| यूको बैंक | 1259054 | 1473509 | 1495842 | 1282829 | 1155400 | 990708 | 825045 | 688039 |
| यूनियन बैंक ऑफ इंडिया | 2673540 | 2556546 | 2291044 | 2081022 | 1778821 | 1509861 | 1193153 | 965342 |
| यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया | 680602 | 667630 | 657675 | 689087 | 630433 | 535024 | 423300 | 353935 |
| विजया बैंक | 889870 | 866959 | 815040 | 697658 | 579037 | 487186 | 415067 | 354677 |
| भारतीय स्टेट बैंक[33] | 18499200 | 16743683 | 15645662 | 13792240 | 11519913 | 9941536 | 8579368 | 7394499 |
| **कुल** | **55935768** | **54762496** | **51011367** | **44728447** | **38773075** | **33044329** | **27010187** | **22592117** |

*(स्रोतः– आर बी आई डाटा बेस : बैंकों से संबंधित सांख्यिकीय तालिकाएं)*

[33] भारतीय स्टेट बैंक के आंकड़ों में इसके सहयोगी बैंकों और भारतीय महिला बैंक के आँकड़े सम्मिलित हैं।

## अनुलग्नक -III

## एस ओ आई और एम ओ यू में विसंगति (2011–12)

(पैराग्राफ संख्या 4.2.5 के संदर्भ में)

| बैंक | सी ए एस ए (प्रतिशत में) | | आर ओ ए (प्रतिशत में) | | लागत आय अनुपात (प्रतिशत में) | | प्रति कर्मचारी शुद्ध लाभ (₹ लाख में) | | शाखाओं में कर्मचारियों और कुल कर्मचारियों का अनुपात (प्रतिशत में) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | एस ओ आई लक्ष्य | एम ओ यू लक्ष्य | एस ओ आई लक्ष्य | एम ओ यू लक्ष्य | एस ओ आई लक्ष्य | एम ओ यू लक्ष्य | एस ओ आई लक्ष्य | एम ओ यू लक्ष्य | एस ओ आई लक्ष्य | एम ओ यू लक्ष्य |
| इलाहाबाद बैंक | 30 | 30.01 | 1.02 | 1.02 | 44 | 44 | 6.98 | 7 | 89 | 89 |
| आंध्रा बैंक | 30 | 29.1 | 1.38 | 1.38 | 39.90 | 39.91 | 8.5 | 8.5 | 89.84 | 88 |
| बैंक ऑफ बड़ौदा | 33.5 | 33.5 | 1.15 | 1.15 | 40 | 40 | 11 | 11 | 86 | 86 |
| बैंक ऑफ इंडिया | 30 | 31.01 | 0.82 | 0.7 | 44 | 44 | 6 | 6.5 | 90 | 89.74 |
| बैंक ऑफ महाराष्ट्र | 38 | 38 | 0.55 | 0.55 | 59 | 59 | 5 | 5 | 90 | 90 |
| केनरा बैंक | 28 | 28 | 1.1 | 1.1 | 42 | 42 | 10 | 10 | 80 | 80 |
| सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया | 32 | 32 | 0.55 | 0.5 | 54.64 | 54.64 | 4.17 | 3.5 | 89 | 86 |
| कॉरपोरेशन बैंक | 30 | 26.34 | 1.15 | 1.15 | 40 | 40 | 11.18 | 11.18 | 85 | 85 |
| देना बैंक | 35.43 | 36.34 | 1 | 1.1 | 42.67 | 42.67 | 7 | 7.86 | 84.21 | 88 |
| आई डी बी आई बैंक लिमिटेड | 24 | 24 | 0.8 | 0.8 | 39.4 | 39.4 | 12.1 | 12.5 | 80 | 80 |
| इंडियन बैंक | 31 | 31 | 1.25 | 1.25 | 42 | 42 | 9 | 9 | 84 | 84 |
| इण्डियन ओवरसीज बैंक | 30 | 31 | 0.56 | 0.62 | 45.50 | 46.27 | 5.02 | 5.02 | 88.5 | 88.3 |
| ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स | 25 | 25 | 0.87 | 0.87 | 37.18 | 37.18 | 9.11 | 9.25 | 88 | 88 |
| पंजाब एण्ड सिंध बैंक | 25.23 | 25 | 1 | 1 | 49.9 | 49.9 | 7.5 | 7.5 | 80 | 80 |
| पंजाब नैशनल बैंक | 35 | 35 | 1.1 | 1.1 | 42 | 43 | 8.25 | 8.25 | 89 | 89 |
| स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर | 30 | 38.95 | 0.92 | 1.15 | 51 | 47.37 | 4.3 | 7.3 | 80 | 80 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद | 26 | 32.41 | 0.9 | 1.3 | 44 | 38.27 | 7.84 | 9.42 | 88.65 | 88.65 |
| भारतीय स्टेट बैंक | 46 | 45 | 1.02 | 1.02 | 45 | 45 | 6 | 6 | 81 | 81 |
| स्टेट बैंक ऑफ मैसूर | 35.53 | 35.53 | 1.18 | 1.18 | 41.20 | 41.20 | 7.49 | 7.49 | 83.58 | 83.38 |
| स्टेट बैंक ऑफ पटियाला | 31.68 | 31.68 | 1.07 | 1.07 | 40.63 | 40.63 | 7.54 | 7.54 | 81.86 | 81.86 |
| स्टेट बैंक ऑफ त्रावनकोर | 30.58 | 33.22 | 0.74 | 1.23 | 44.36 | 44.36 | 4.76 | 8.24 | 81 | 81 |
| सिंडिकेट बैंक | 30 | 33 | 0.85 | 0.85 | 44 | 44 | 5 | 5 | 80 | 80 |
| यूको बैंक | 30 | 24.19 | 0.74 | 0.74 | 43 | 43 | 5 | 5 | 88 | 88 |
| यूनियन बैंक ऑफ इडिया | 30 | 32.34 | 0.9 | 0.9 | 47 | 43.46 | 6.87 | 7 | 87 | 81 |
| यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया | 39 | 39 | 0.8 | 0.8 | 42.50 | 42.5 | 4 | 4 | 85 | 85 |
| विजया बैंक | 30 | 26 | 0.94 | 0.94 | 49 | 53.53 | 5 | 5 | 83 | 83 |

*(स्रोतः– डी एफ एस के रिकार्ड)*

## अनुलग्नक -IV
## एस ओ आई और एम ओ यू में विसंगति (2012–13)
(पैराग्राफ संख्या 4.2.5 के संदर्भ में)

| बैंक | सी ए एस ए (प्रतिशत में) | | आर ओ ए (प्रतिशत में) | | लागत आय अनुपात (प्रतिशत में) | | प्रति व्यक्ति शुद्ध लाभ (₹ लाख में) | | शाखाओं में कर्मचारियों और कुल कर्मचारियों का अनुपात (प्रतिशत में) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | एस ओ आई लक्ष्य | एम ओ यू लक्ष्य | एस ओ आई लक्ष्य | एम ओ यू लक्ष्य | एस ओ आई लक्ष्य | एम ओ यू लक्ष्य | एस ओ आई लक्ष्य | एम ओ यू लक्ष्य | एस ओ आई लक्ष्य | एम ओ यू लक्ष्य |
| इलाहाबाद बैंक | 31.87 | 31.87 | 1.08 | 1.2 | 42.75 | 41.75 | 9.7 | 9.69 | 88 | 88 |
| आंध्रा बैंक | 27 | 30.88 | 1.2 | 1.4 | 39.23 | 39.23 | 9 | 9.62 | 88 | 88 |
| बैंक ऑफ बड़ौदा | 32 | 35 | 1.1 | 1.3 | 39 | 38 | 11.5 | 13 | 86 | 84 |
| बैंक ऑफ इंडिया | 32.5 | 32.5 | 0.6 | 0.85 | 45 | 42 | 5.66 | 8.33 | 90 | 89.88 |
| बैंक ऑफ महाराष्ट्र | 38.6 | 38.6 | 0.7 | 0.85 | 52 | 52 | 4.14 | 5.5 | 87 | 87 |
| केनरा बैंक | 29 | 30 | 1.05 | 1.25 | 42.50 | 40 | 10 | 11 | 80 | 80 |
| सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया | 33.5 | 33 | 0.55 | 0.7 | 53 | 51 | 3.55 | 5 | 87.72 | 86 |
| कॉरपोरेशन बैंक | 25 | 29.23 | 1.1 | 1.18 | 40 | 40 | 11.65 | 11.79 | 85 | 85 |
| देना बैंक | 35 | 37.25 | 1 | 1.2 | 42 | 40.54 | 8.15 | 9.17 | 85 | 86 |
| आई डी बी आई बैंक लिमिटेड | 27.5 | 27 | 0.9 | 0.9 | 38.75 | 38.8 | 14.09 | 13.75 | 82 | 80 |
| इंडियन बैंक | 31.5 | 31.5 | 1.05 | 1.3 | 41.74 | 41.74 | 9.26 | 9.2 | 85 | 82.5 |
| इण्डियन ओवरसीज बैंक | 27 | 32 | 0.55 | 0.7 | 46 | 45.1 | 3.85 | 5.76 | 88.5 | 88.3 |
| ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स | 25.20 | 27 | 0.75 | 1.02 | 41.50 | 40.52 | 7.50 | 10.73 | 88 | 88 |
| पंजाब एण्ड सिंध बैंक | 30 | 27 | 0.75 | 1.08 | 50 | 45.1 | 5.27 | 9 | 85 | 80 |
| पंजाब नैशनल बैंक | 35 | 35.5 | 1.15 | 1.15 | 43.40 | 43.4 | 8.33 | 10 | 85 | 89 |
| स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर | 37.5 | 39.4 | 1 | 1.3 | 46 | 42.07 | 5.5 | 9.75 | 82.5 | 80 |
| स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद | 27 | 35.66 | 1.15 | 1.39 | 40 | 36.87 | 8 | 10.96 | 87.73 | |
| भारतीय स्टेट बैंक | 45 | 45 | 1 | 1.08 | 44 | 44 | 6.85 | 7.2 | 81.5 | 81.5 |
| स्टेट बैंक ऑफ मैसूर | 35 | 37.44 | 1.33 | 1.33 | 39.24 | 38.54 | 4 | 9.85 | 88 | 81.88 |
| स्टेट बैंक ऑफ पटियाला | 30 | 35.25 | 1 | 1.25 | 41 | 38.21 | 7.37 | 9.88 | 81.06 | 81.06 |
| स्टेट बैंक ऑफ त्रावनकोर | 32 | 36.12 | 0.65 | 1.34 | 47.50 | 40.35 | 5.25 | 10.28 | 84 | 81 |
| सिंडिकेट बैंक | 32 | 33 | 0.83 | 0.95 | 44 | 41 | 5.76 | 6.33 | 85 | 80 |
| यूको बैंक | 24.5 | 27 | 0.75 | 1 | 41 | 40.25 | 5.39 | 6.25 | 87 | 86 |
| यूनियन बैंक ऑफ इडिया | 32.5 | 35 | 0.9 | 1.09 | 44 | 41.02 | 6.83 | 8.4 | 87 | 81 से अधिक |
| यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया | 39 | 38 | 0.56 | 1 | 42 | 41.5 | 3.48 | 6 | 85 | 85 |
| विजया बैंक | 26 | 31 | 0.7 | 1.19 | 48 | 49.02 | 5.11 | 9 | 82 | 82 |

*(स्रोतः– डी एफ एस के रिकार्ड)*

## अनुलग्नक–V

### एस ओ आई और एम ओ यू में विसंगति (2013–14)

(पैराग्राफ संख्या 4.2.5 के संदर्भ में)

| बैंक | सी ए एस ए (प्रतिशत में) | | आर ओ ए (प्रतिशत में) | | लागत आय अनुपात (प्रतिशत में) | | प्रति व्यक्ति शुद्ध लाभ (₹ लाख में) | | शाखाओं में कर्मचारियों और कुल कर्मचारियों का अनुपात (प्रतिशत में) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | एस ओ आई लक्ष्य | एम ओ यू लक्ष्य | एस ओ आई लक्ष्य | एम ओ यू लक्ष्य | एस ओ आई लक्ष्य | एम ओ यू लक्ष्य | एस ओ आई लक्ष्य | एम ओ यू लक्ष्य | एस ओ आई लक्ष्य | एम ओ यू लक्ष्य |
| इलाहाबाद बैंक | 32 | 33.57 | 0.75 | 1.3 | 45 | 39.25 | 6 | 12.26 | 90 | 87 |
| आंध्रा बैंक | 26 | 33.03 | 0.5 | 1.42 | 45.50 | 37.72 | 3.94 | 11.23 | 90 | 88 |
| बैंक ऑफ बड़ौदा | 31 | 39 | 0.68 | 1.4 | 40.50 | 36.5 | 9.62 | 14.75 | 88 | 82 |
| बैंक ऑफ इंडिया | 33 | 34.04 | 0.65 | 0.98 | 48 | 38.5 | 6.05 | 10.47 | 80 | 90.23 |
| बैंक ऑफ महाराष्ट्र | 35 | 39.25 | 0.74 | 1.2 | 47.05 | 44 | 5.73 | 8.75 | 86.5 | 84 |
| केनरा बैंक | 26 | 32 | 0.75 | 1.4 | 42 | 38 | 5.53 | 13 | 80 | 80 |
| सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया | 33.07 | 33 | 0.03 | 0.8 | 59.30 | 47.5 | 0.19 | 7.5 | 86 | 86 |
| कॉरपोरेशन बैंक | 23 | 32.11 | 0.7 | 1.22 | 40 | 40 | 8.1 | 12.39 | 87 | 85 |
| देना बैंक | 29 | 38.17 | 0.67 | 1.3 | 44 | 38.49 | 4.7 | 10.87 | 85 | 85 |
| आई डी बी आई बैंक लिमिटेड | 27 | 30 | 0.81 | 1 | 38.44 | 37.25 | 12.3 | 15.25 | 86 | 81 |
| इंडियन बैंक | 27.5 | 32 | 0.83 | 1.35 | 52 | 42.51 | 4.75 | 9.5 | 85 | 81 |
| इण्डियन ओवरसीज बैंक | 27 | 33 | 0.24 | 0.82 | 49 | 44.6 | 2 | 8.28 | 88 | 88.3 |
| ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स | 24 | 28.5 | 0.6 | 1.05 | 44 | 39.36 | 5.94 | 12.1 | 90 | 88 |
| पंजाब एण्ड सिंध बैंक | 23 | 29 | 0.48 | 1.14 | 57.70 | 42.3 | 3.45 | 10 | 85 | 80 |
| पंजाब नैशनल बैंक | 37 | 37.5 | 0.95 | 1.2 | 45 | 43.7 | 8.15 | 12 | 88 | 89 |
| स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर | 36.4 | 39.7 | 0.98 | 1.4 | 49.50 | 38.54 | 6.15 | 11.38 | 83 | 80 |
| स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद | 32 | 37.83 | 1.02 | 1.44 | 43.61 | 35.94 | 7.33 | 11.98 | 87.75 | |
| भारतीय स्टेट बैंक | 45 | 45 | 0.96 | 1.16 | 48.65 | 42 | 6.81 | 8.62 | 80 | 82 |
| स्टेट बैंक ऑफ मैसूर | 35 | 38.72 | 0.67 | 1.41 | 49 | 36.77 | 4 | 11.43 | 90 | 80.9 |
| स्टेट बैंक ऑफ पटियाला | 30 | 37.63 | 0.71 | 1.38 | 47.50 | 36.61 | 5.14 | 11.44 | 85 | 80.53 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| स्टेट बैंक ऑफ त्रावनकोर | 27.65 | 38.05 | 0.7 | 1.42 | 50 | 37.68 | 4.9 | 11.64 | 85 | 81 |
| सिंडिकेट बैंक | 31.25 | 34 | 0.8 | 1.03 | 47 | 37 | 5.5 | 7.84 | 84 | 80 |
| यूको बैंक | 31 | 33 | 0.6 | 1.25 | 40 | 38.12 | 5.21 | 9.25 | 87 | 84 |
| यूनियन बैंक ऑफ इडिया | 31.5 | 37.5 | 0.8 | 1.18 | 47.10 | 37.98 | 6.12 | 10.08 | 88.66 | 81 से अधिक |
| यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया | 35 | 37.5 | 0.25 | 1.25 | 42.25 | 40 | 1.25 | 8 | 85 | 85 |
| विजया बैंक | 22 | 34 | 0.35 | 1.34 | 55 | 46.01 | 5.51 | 11 | 82 | 81 |

(स्रोतः– डी एफ एस के रिकार्ड)

## अनुलग्नक -VI
## एस ओ आई और एम ओ यू में विसंगति (2014–15)
(पैराग्राफ संख्या 4.2.5 के संदर्भ में)

| बैंक | सी ए एस ए (प्रतिशत में) | | आर ओ ए (प्रतिशत में) | | लागत आय अनुपात (प्रतिशत में) | | प्रति व्यक्ति शुद्ध लाभ (₹ लाख में) | | शाखाओं में कर्मचारियों और कुल कर्मचारियों का अनुपात (प्रतिशत में) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | एस ओ आई लक्ष्य | एम ओ यू लक्ष्य | एस ओ आई लक्ष्य | एम ओ यू लक्ष्य | एस ओ आई लक्ष्य | एम ओ यू लक्ष्य | एस ओ आई लक्ष्य | एम ओ यू लक्ष्य | एस ओ आई लक्ष्य | एम ओ यू लक्ष्य |
| इलाहाबाद बैंक | 32.5 | 35 | 0.53 | 1.4 | 48.50 | 37 | 4.93 | 13 | 90 | 85 |
| आंध्रा बैंक | 26 | 35 | 0.5 | 1.5 | 45 | 35 | 4.29 | 13 | 90 | 88 |
| बैंक ऑफ बड़ौदा | 32.5 | 45 | 0.65 | 1.5 | 45 | 35 | 9.32 | 16 | 88 | 80 |
| बैंक ऑफ इंडिया | 33 | 35 | 0.65 | 1.1 | 46 | 35 | 6.65 | 13 | 90 | 90.78 |
| बैंक ऑफ महाराष्ट्र | 36.5 | 40 | 0.4 | 1.5 | 54 | 35 | 3.71 | 13 | 88 | 80 |
| केनरा बैंक | 28 | 35 | 0.5 | 1.5 | 48 | 35 | 5.1 | 15 | 80 | 80 |
| सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया | 34 | 35 | 0.15 | 1 | 60.30 | 39 | 1.21 | 10 | 86 | 86 |
| कॉरपोरेशन बैंक | 23 | 35 | 0.33 | 1.25 | 44 | 40 | 3.85 | 14 | 87 | 85 |
| देना बैंक | 32 | 39.08 | 0.6 | 1.4 | 44 | 36.63 | 4.75 | 13.47 | 88.5 | 85 |
| आई डी बी आई बैंक लिमिटेड | 26 | 32 | 0.43 | 1.1 | 41 | 35 | 6.75 | 16.25 | 88 | 82 |
| इंडियन बैंक | 28.5 | 32.5 | 0.38 | 1.4 | 55 | 44 | 3.37 | 10 | 84 | 80 |
| इण्डियन ओवरसीज बैंक | 27 | 35 | 0.3 | 0.97 | 49 | 43.67 | 2.8 | 12 | 88 | 88.3 |
| ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स | 25.5 | 30 | 0.55 | 1.1 | 44 | 37 | 5.71 | 13.73 | 90 | 88 |
| पंजाब एण्ड सिंध बैंक | 23 | 30 | 0.48 | 1.18 | 58 | 41 | 3.7 | 11 | 85 | 80 |
| पंजाब नैशनल बैंक | 37.25 | 38.3 | 0.6 | 1.25 | 47.50 | 44.4 | 5.65 | 15 | 88 | 89 |
| स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर | 38 | 40 | 0.9 | 1.5 | 50 | 35 | 5.81 | 13 | 82 | 80 |
| स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद | 32.5 | 40 | 0.75 | 1.5 | 46 | 35 | 6 | 13 | 86.52 | |
| भारतीय स्टेट बैंक | 46 | 45 | 0.7 | 1.23 | 50 | 40 | 5.92 | 10.34 | 83 | 83 |
| स्टेट बैंक ऑफ मैसूर | 35.25 | 40 | 0.5 | 1.5 | 49 | 35 | 3 | 13 | 90 | 80 |
| स्टेट बैंक ऑफ पटियाला | 33.5 | 40 | 0.6 | 1.5 | 55.50 | 35 | 4.66 | 13 | 87.5 | 80 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| स्टेट बैंक ऑफ त्रावनकोर | 30 | 40 | 0.5 | 1.5 | 52 | 35 | 2.92 | 13 | 87 | 81 |
| सिंडिकेट बैंक | 31.5 | 35 | 0.81 | 1.1 | 47.25 | 35 | 7.15 | 10 | 86.5 | 80 |
| यूको बैंक | 33.5 | 40 | 0.75 | 1.5 | 37 | 35 | 7.1 | 13 | 88.5 | 80 |
| यूनियन बैंक ऑफ इडिया | 31.5 | 40 | 0.55 | 1.25 | 52 | 35 | 4.89 | 12.1 | 90 | 81 |
| यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया | 37.75 | 37 | 0.13 | 1.5 | 45 | 35.5 | 0.91 | 10 | 87 | 85 |
| विजया बैंक | 22 | 40 | 0.55 | 1.5 | 51 | 40 | 3.57 | 13 | 88 | 80 |

*(स्रोतः– डी एफ एस के रिकार्ड)*

## अनुलग्नक -VII

## एम ओ यू में मापदंडों के संबंध में लक्ष्यों के सापेक्ष प्राप्तियाँ (2011–12)

(पैराग्राफ संख्या 4.2.7 के संदर्भ में)

| पी एस बी का नाम/मापदंड | सी ए एस ए (प्रतिशत में) | | आर ओ ए (प्रतिशत में) | | प्रति कर्मचारी लाभ (₹ लाख में) | | लागत आय अनुपात (प्रतिशत में) | | शाखाओं में कर्मचारियों और कुल कर्मचारियों का अनुपात (प्रतिशत में) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | लक्ष्य | प्राप्तियाँ | लक्ष्य | प्राप्तियाँ | लक्ष्य | प्राप्तियाँ | लक्ष्य | प्राप्तियाँ | लक्ष्य | प्राप्तियाँ |
| इलाहाबाद बैंक | 30.01 | 30.78 | 1.02 | 1.02 | 7 | 8.36 | 44 | 41.65 | 89 | 89.2 |
| आंध्रा बैंक | 29.1 | 26.4 | 1.38 | 1.19 | 8.5 | 8.91 | 39.91 | 39.06 | 88 | 88.95 |
| बैंक ऑफ बड़ौदा | 33.5 | 33.18 | 1.15 | 1.24 | 11 | 11.87 | 40 | 37.55 | 86 | 87.54 |
| बैंक ऑफ इंडिया | 31.01 | 34.25 | 0.7 | 0.72 | 6.5 | 6.37 | 44 | 42.47 | 89.74 | 88.76 |
| बैंक ऑफ महाराष्ट्र | 38 | 41.33 | 0.55 | 0.55 | 5 | 3.12 | 59 | 52.02 | 90 | 90 |
| केनरा बैंक | 28 | 25.16 | 1.1 | 0.95 | 10 | 8.21 | 42 | 44.02 | 80 | 80.8 |
| सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया | 32 | 33.27 | 0.5 | 0.26 | 3.5 | 1.48 | 54.64 | 38.18 | 86 | 86.78 |
| कॉरपोरेशन बैंक | 26.34 | 22.12 | 1.15 | 1.06 | 11.18 | 10.9 | 40 | 38.44 | 85 | 85.43 |
| देना बैंक | 36.34 | 34.46 | 1.1 | 1.08 | 7.86 | 7.87 | 42.67 | 43.04 | 88 | 87.62 |
| आई डी बी आई बैंक लिमिटेड | 24 | 24.1 | 0.8 | 0.81 | 12.5 | 13.16 | 39.4 | 39.13 | 80 | 84 |
| इंडियन बैंक | 31 | 31 | 1.25 | 1.31 | 9 | 9.3 | 42 | 38.71 | 84 | 88.66 |
| इण्डियन ओवरसीज बैंक | 31 | 26.42 | 0.62 | 0.52 | 5.02 | 3.84 | 46.27 | 47.23 | 88.3 | 88.07 |
| ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स | 25 | 24.13 | 0.87 | 0.67 | 9.25 | 6.21 | 37.18 | 42.44 | 88 | 90.05 |
| पंजाब एण्ड सिंध बैंक | 25 | 23.95 | 1 | 0.65 | 7.5 | 5.61 | 49.9 | 60.39 | 80 | 82.98 |
| पंजाब नैशनल बैंक | 35 | 35.34 | 1.1 | 1.19 | 8.25 | 8.42 | 43 | 39.75 | 89 | 87 |
| स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर | 38.95 | 37.34 | 1.15 | 0.99 | 7.3 | 5.42 | 47.37 | 47.18 | 80 | 85 |
| स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद | 32.41 | 27.27 | 1.3 | 1.15 | 9.42 | 8.63 | 38.27 | 39.55 | 88.65 | 87.53 |
| भारतीय स्टेट बैंक | 45 | 46.86 | 1.02 | 0.88 | 6 | 5.31 | 45 | 45.23 | 81 | 80.6 |
| स्टेट बैंक ऑफ मैसूर | 35.53 | 31.7 | 1.18 | 0.67 | 7.49 | 3.60 | 41.20 | 49.55 | 83.38 | 88.59 |
| स्टेट बैंक ऑफ पटियाला | 31.68 | 24.39 | 1.07 | 0.93 | 7.54 | 5.87 | 40.63 | 43.06 | 81.86 | 82.55 |
| स्टेट बैंक ऑफ त्रावनकोर | 33.22 | 27.34 | 1.23 | 0.65 | 8.24 | 4.20 | 44.36 | 49.62 | 81 | 84 |
| सिंडिकेट बैंक | 33 | 31.43 | 0.85 | 0.81 | 5 | 5.29 | 44 | 45.68 | 80 | 85.31 |
| यूको बैंक | 24.19 | 23.85 | 0.74 | 0.69 | 5 | 5.09 | 43 | 42.24 | 88 | 88 |
| यूनियन बैंक ऑफ इडिया | 32.34 | 31.28 | 0.9 | 0.79 | 7 | 5.8 | 43.46 | 43.15 | 80 से अधिक | 88.1 |
| यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया | 39 | 40.76 | 0.8 | 0.7 | 4 | 4.08 | 42.5 | 43.06 | 85 | 88 |
| विजया बैंक | 26 | 22.06 | 0.94 | 0.66 | 5 | 5.16 | 53.53 | 49.39 | 83 | 84.55 |

*(स्रोतः– डी एफ एस के रिकार्ड)*

## अनुलग्नक -VIII

## एम ओ यू में मापदंडों के संबंध में लक्ष्यों के सापेक्ष प्राप्तियाँ (2012–13)

(पैराग्राफ संख्या 4.2.7 के संदर्भ में)

| पी एस बी का नाम/मापदंड | सी ए एस ए (प्रतिशत में) | | आर ओ ए (प्रतिशत में) | | प्रति कर्मचारी लाभ (₹ लाख में) | | लागत आय अनुपात (प्रतिशत में) | | शाखाओं में कर्मचारियों और कुल कर्मचारियों का अनुपात (प्रतिशत में) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | लक्ष्य | प्राप्तियाँ | लक्ष्य | प्राप्तियाँ | लक्ष्य | प्राप्तियाँ | लक्ष्य | प्राप्तियाँ | लक्ष्य | प्राप्तियाँ |
| इलाहाबाद बैंक | 31.87 | 31.05 | 1.2 | 0.64 | 9.69 | 5.25 | 41.75 | 46.63 | 88 | 89 |
| आंध्रा बैंक | 30.88 | 25.65 | 1.4 | 0.99 | 9.62 | 7.8 | 39.23 | 42.40 | 88 | 90.1 |
| बैंक ऑफ बड़ौदा | 35 | 30.38 | 1.3 | 0.82 | 13 | 10.39 | 38 | 39.79 | 84 | 87.34 |
| बैंक ऑफ इंडिया | 32.5 | 32.79 | 0.85 | 0.65 | 8.33 | 6.44 | 42 | 41.69 | 89.88 | 89.68 |
| बैंक ऑफ महाराष्ट्र | 38.6 | 40.79 | 0.85 | 0.74 | 5.5 | 5.59 | 52 | 45.54 | 87 | 86.49 |
| केनरा बैंक | 30 | 25.12 | 1.25 | 0.77 | 11 | 6.96 | 40 | 46.61 | 80 | 80 |
| सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया | 33 | 32.55 | 0.7 | 0.44 | 5 | 2.83 | 51 | 57.16 | 86 | 85.07 |
| कॉरपोरेशन बैंक | 29.23 | 21.68 | 1.18 | 0.88 | 11.79 | 9.68 | 40 | 39.67 | 85 | 87.31 |
| देना बैंक | 37.25 | 28.84 | 1.2 | 0.86 | 9.17 | 7.31 | 40.54 | 42.77 | 86 | 87.96 |
| आई डी बी आई बैंक लिमिटेड | 27 | 25.12 | 0.9 | 0.72 | 13.75 | 12.18 | 38.8 | 36.48 | 80 | 86 |
| इंडियन बैंक | 31.5 | 28.68 | 1.3 | 1.02 | 9.2 | 8.38 | 41.74 | 47.33 | 82.5 | 89 |
| इण्डियन ओवरसीज बैंक | 32 | 26.51 | 0.7 | 0.24 | 5.76 | 1.99 | 45.1 | 47.17 | 88.3 | 88.58 |
| ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स | 27 | 24.55 | 1.02 | 0.71 | 10.73 | 7.03 | 40.52 | 41.49 | 88 | 91 |
| पंजाब एण्ड सिंध बैंक | 27 | 22.28 | 1.08 | 0.44 | 9 | 3.98 | 45.1 | 54.38 | 80 | 84 |
| पंजाब नैशनल बैंक | 35.5 | 39 | 1.15 | 1 | 10 | 8.06 | 43.4 | 42.8 | 89 | 86 |
| स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर | 39.4 | 35.88 | 1.3 | 0.96 | 9.75 | 5.91 | 42.07 | 47.97 | 80 | 82.92 |
| स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद | 35.66 | 27.88 | 1.39 | 0.99 | 10.96 | 8.29 | 36.87 | 43.02 | | 87.85 |
| भारतीय स्टेट बैंक | 45 | 47 | 1.08 | 0.91 | 7.2 | 6.45 | 44 | 48.51 | 81.5 | 80.52 |
| स्टेट बैंक ऑफ मैसूर | 37.44 | 31.22 | 1.33 | 0.66 | 9.85 | 3.86 | 38.54 | 46.25 | 81.88 | 88.79 |
| स्टेट बैंक ऑफ पटियाला | 35.25 | 25.06 | 1.25 | 0.68 | 9.88 | 4.62 | 38.21 | 49.55 | 81.06 | 85 |
| स्टेट बैंक ऑफ त्रावनकोर | 36.12 | 25.79 | 1.34 | 0.66 | 10.28 | 5.06 | 40.35 | 51.42 | 81 | 85 |
| सिंडिकेट बैंक | 33 | 31.08 | 0.95 | 1.07 | 6.33 | 8.11 | 41 | 47.96 | 80 | 83.61 |
| यूको बैंक | 27 | 35 | 1 | 0.33 | 6.25 | 2.72 | 40.25 | 39.33 | 86 | 88 |
| यूनियन बैंक ऑफ इडिया | 35 | 30.95 | 1.09 | 0.79 | 8.4 | 6.79 | 41.02 | 44.7 | 80 से अधिक | 88.28 |
| यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया | 38 | 39.61 | 1 | 0.38 | 6 | 2.53 | 41.5 | 42.32 | 85 | 87.47 |
| विजया बैंक | 31 | 20.97 | 1.19 | 0.35 | 9 | 5.05 | 49.02 | 54.85 | 82 | 89 |

*(स्रोतः– डी एफ एस के रिकार्ड)*

## अनुलग्नक -IX

## एम ओ यू में मापदंडों के संबंध में लक्ष्यों के सापेक्ष प्राप्तियाँ (2013–14)

(पैराग्राफ संख्या 4.2.7 के संदर्भ में)

| पी एस बी का नाम/मापदंड | सी ए एस ए (प्रतिशत में) | | आर ओ ए (प्रतिशत में) | | प्रति कर्मचारी लाभ (₹ लाख में) | | लागत आय अनुपात (प्रतिशत में) | | शाखाओं में कर्मचारियों और कुल कर्मचारियों का अनुपात (प्रतिशत में) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | लक्ष्य | प्राप्तियाँ | लक्ष्य | प्राप्तियाँ | लक्ष्य | प्राप्तियाँ | लक्ष्य | प्राप्तियाँ | लक्ष्य | प्राप्तियाँ |
| इलाहाबाद बैंक | 33.57 | 31.53 | 1.3 | 0.57 | 12.26 | 4.77 | 39.25 | 46.23 | 87 | 90.06 |
| आंध्रा बैंक | 33.03 | 24.81 | 1.42 | 0.29 | 11.23 | 2.33 | 37.72 | 45.56 | 88 | 92.07 |
| बैंक ऑफ बड़ौदा | 39 | 31.76 | 1.4 | 0.69 | 14.75 | 9.87 | 36.5 | 43.44 | 82 | 87.53 |
| बैंक ऑफ इंडिया | 34.04 | 29.97 | 0.98 | 0.51 | 10.47 | 6.28 | 38.5 | 44.3 | 90.23 | 90.58 |
| बैंक ऑफ महाराष्ट्र | 39.25 | 35.89 | 1.2 | 0.3 | 8.75 | 2.68 | 44 | 54.43 | 84 | 89.27 |
| केनरा बैंक | 32 | 25.9 | 1.4 | 0.54 | 13 | 5.01 | 38 | 47.22 | 80 | 80 |
| सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया | 33 | 33.33 | 0.8 | -0.47 | 7.5 | -3.11 | 47.5 | 61.53 | 86 | 85.99 |
| कॉरपोरेशन बैंक | 32.11 | 20.33 | 1.22 | 0.29 | 12.39 | 3.29 | 40 | 44.04 | 85 | 86.9 |
| देना बैंक | 38.17 | 28.01 | 1.3 | 0.51 | 10.87 | 4.25 | 38.49 | 48.16 | 85 | 87.38 |
| आई डी बी आई बैंक लिमिटेड | 30 | 22.63 | 1 | 0.38 | 15.25 | 6.82 | 37.25 | 36.88 | 81 | 87.16 |
| इंडियन बैंक | 32 | 28.34 | 1.35 | 0.67 | 9.5 | 5.97 | 42.51 | 49.4 | 81 | 89.68 |
| इण्डियन ओवरसीज बैंक | 33 | 25.34 | 0.82 | 0.23 | 8.28 | 2.01 | 44.6 | 48.4 | 88.3 | 88.54 |
| ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स | 28.5 | 24.31 | 1.05 | 0.56 | 12.1 | 5.83 | 39.36 | 41.24 | 88 | 91.17 |
| पंजाब एण्ड सिंध बैंक | 29 | 20.88 | 1.14 | 0.35 | 10 | 3.39 | 42.3 | 60.91 | 80 | 84 |
| पंजाब नैशनल बैंक | 37.5 | 38 | 1.2 | 0.64 | 12 | 5.49 | 43.7 | 45 | 89 | 88.4 |
| स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर | 39.7 | 39.51 | 1.4 | 0.87 | 11.38 | 5.62 | 38.54 | 54.2 | 80 | 81.63 |
| स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद | 37.83 | 30.51 | 1.44 | 0.7 | 11.98 | 6.1 | 35.94 | 45.73 | | 86.44 |
| भारतीय स्टेट बैंक | 45 | 44 | 1.16 | 0.65 | 8.62 | 4.85 | 42 | 52.67 | 82 | 81.27 |
| स्टेट बैंक ऑफ मैसूर | 38.72 | 33.25 | 1.41 | 0.4 | 11.43 | 2.53 | 36.77 | 53.4 | 80.9 | 89.38 |
| स्टेट बैंक ऑफ पटियाला | 37.63 | 31.37 | 1.38 | 0.42 | 11.44 | 2.98 | 36.61 | 58.23 | 80.53 | 87.5 |
| स्टेट बैंक ऑफ त्रावनकोर | 38.05 | 27.65 | 1.42 | 0.29 | 11.64 | 2.2 | 37.68 | 57.66 | 81 | 84 |
| सिंडिकेट बैंक | 34 | 29.90 | 1.03 | 0.78 | 7.84 | 6.83 | 37 | 48.1 | 80 | 86.38 |
| यूको बैंक | 33 | 32 | 1.25 | 0.7 | 9.25 | 6.55 | 38.12 | 33.05 | 84 | 89 |
| यूनियन बैंक ऑफ इडिया | 37.5 | 29.5 | 1.18 | 0.52 | 10.08 | 5.02 | 37.98 | 51.24 | 80 से अधिक | 87.23 |
| यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया | 37.5 | 37 | 1.25 | -0.99 | 8 | -7.35 | 40 | 45.31 | 85 | 86.59 |
| विजया बैंक | 34 | 18 | 1.34 | 0.5 | 11 | 3.62 | 46.01 | 60.49 | 81 | 84 |

*(स्रोतः– डी एफ एस के रिकार्ड)*

# शब्दावली

| क्र.सं. | शब्द | विवरण |
|---|---|---|
| 1 | बैंकिंग पर्यवेक्षण पर बेसल समिति | बेसल समिति बैंक पर्यवेक्षकों की एक समिति है जिसमें प्रत्येक जी 10 देशों के सदस्य शामिल हैं। समिति विशिष्ट पर्यवेक्षी समस्याओं को निपटाने से सम्बन्धित चर्चा के लिये एक मंच है। यह बैंकों के विदेशी प्रतिष्ठानों के संबंध में राष्ट्रीय प्राधिकरणों के रूप में बैंकों की गतिविधियों के प्रभावी पर्यवेक्षण को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से निरीक्षणात्मक जिम्मेदारियों को साझा करने का समन्वय करती है। |
| 2 | पूँजीगत निधि | मालिकों की इक्विटी योगदान पूँजी को प्रत्येक योग्य साधन के लक्षणों/गुणों के हिसाब से विभिन्न टियर में बाँटा जाता है। पर्यवेक्षण उद्देश्यों से पूँजी को दो भागों में बाँट दिया जाता है टियर I और टियर II। |
| 3 | सी ए एस ए जमा पूँजी | बैंकों में चालू और बचत खातों में जमा पूँजी। |
| 4 | लागत आय अनुपात (दक्षता अनुपात) | लागत आय अनुपात उस सीमा को दर्शाता है जो एक बैंक के गैर ब्याज वाले खर्चों के प्रभार कुल निवल आय पर बनाते हैं (कुल आय–ब्याज व्यय)। जितना निम्न अनुपात होगा, बैंक अधिक दक्ष होगा। |
| 5 | सी आर ए आर (पूँजी एवं जोखिम भारित आस्ति का अनुपात) | पूँजी जोखिम भारित आस्ति अनुपात बैंकों की पूँजी को क्रेडिट जोखिम, बाजार जोखिम और परिचालन जोखिम की एकत्रित भारित आस्तियों से विभाजित करके आता है। एक बैंक का जितना उच्च सी आर ए आर होगा वह उतना अच्छा पूँजीकृत होगा। |
| 6 | क्रेडिट जोखिम | वह जोखिम जिसमें कि संविदागत समझौते या लेन–देन के लिए एक पक्ष अपने दायित्वों को पूरा करने में असमर्थ हो या प्रतिबद्धताओं पर चूक जाए। |
| 7 | आंतरिक पूँजी पर्याप्तता आकलन प्रक्रिया (आई सी ए ए पी) | बेसल II पर दिशानिर्देशों के संबंध में बैंक के लिए एकल के साथ–साथ समेकित स्तर पर आई सी ए ए पी के अनुसार पूँजी आवश्यकता को आँकने के लिए आंतरिक पूँजी पर्याप्तता आकलन प्रक्रिया (आई सी ए ए पी) पर एक बोर्ड–अनुमोदित नीति होनी आवश्यक है। आई सी ए ए पी को एक बैंक के प्रबंधन एवं निर्णय–निर्धारण के संवर्धन का अभिन्न भाग बनाना अपेक्षित है। आई सी ए ए पी दस्तावेज के लिए परिणाम निर्धारित करने योग्य तथा गुणात्मक रूप से आँके गए जोखिमों को स्पष्ट रूप से सीमांकित करना अपेक्षित है। आई सी ए ए पी के लिए तनाव जाँच |

| | | |
|---|---|---|
| | | एवं परिदृश्य विश्लेषण को सम्मिलित करना भी अपेक्षित है, जिसे आवधिक रूप से किया जाना है विशेष रूप से बैंक के मैटीरियल रिस्क एक्सपोजर के संबंध में ताकि बाजारी स्थितियों की कुछ असंभव परन्तु विश्वसनीय लगने वाली घटनाएं या गतिविधियाँ जिनका बैंक की पूँजी पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है, की संभावित कमियों का मूल्यांकन किया जा सके। |
| 8 | बाजार जोखिम | बाजार जोखिम वह हानि जोखिम है जो लेन–देन या समझौते में निश्चित किए गए मूल्य से अलग बाजार मूल्यों या दरों की गतिविधियों से उत्पन्न होता है बाजार जोखिम के लिये पूँजी प्रभार को 1988 के पूँजी में समझौते (बेसल I फ्रेमवर्क) में जनवरी 1996 के बाजार जोखिम संशोधन द्वारा बैंकिंग पर्यवेक्षण पर बेसल समिति द्वारा पेश किया गया था। |
| 9 | अनर्जक आस्तियां (एन पी ए) | एक आस्ति, पट्टे की आस्ति, सहित अनर्जक बन जाती है जब वह बैंक के लिये आय उत्पन्न करना बन्द कर देती है। |
| 10 | आस्ति पर आय (आर ओ ए) | आस्ति पर आय (आर ओ ए) एक लाभप्रदता अनुपात है जो कुल आस्ति पर लाभ उत्पन्न करने का संकेत देता है। इसकी गणना निवल आय को कुल निवल औसत आस्ति से विभाजित करके की जाती है। |
| 11 | इक्विटी पर आय (आर ओ ई) | इक्विटी पर आय (आर ओ ई) वह अनुपात है जो शेयरधारक की इक्विटी को लाभ से जोड़ता है। यहाँ इक्विटी शेयर कैपिटल रिजर्व एवं बैंक के अधिशेष से संबंधित है। |
| 12 | जोखिम भारित आस्ति | जोखिम की भारित आस्ति संख्या पर पहुँचने के लिये आस्ति को सौंपे जाने वाले जोखिम भार से आस्ति की परिकल्पित राशि को गुणा किया जाता है। विभिन्न आस्तियों के जोखिम भार में विभिन्ता होती है जैसे सरकार दिनांकित प्रतिभूति पर 0 प्रतिशत ओर ए ए रेटेड विदेशी बैंक आदि पर 20 प्रतिशत। |
| 13 | टियर I पूँजी | एक शब्द जिसका प्रयोग नियामक पूँजी के एक घटक के संदर्भ में किया जाता था। इसमें मुख्यतः शेयर पूँजी और अनावरित भंडारण शामिल है (साख को घटाकर, यदि कोई है तो)। टियर I की मदों को उच्च गुणवत्ता का समझा जाता है क्योंकि ये हानि को पूरी तरह से कवर करने के लिये उपलब्ध होती हैं। इस प्रकार से यह मुख्य पूँजी भी कहलाती है। |

| | | |
|---|---|---|
| 14 | टियर II पूँजी | विनियामक पूँजी के घटकों में से एक से संदर्भित है। इसे पूरक पूँजी भी कहा जाता है। इसमें कुछ प्रकार के भंडारण और कुछ प्रकार के गौण ऋण शामिल हैं। टियर II की वस्तुएँ एक हद तक नियामक पूँजी के रूप में योग्य हैं क्योंकि ये बैंकिंग प्रक्रिया से पैदा होने वाली हानि को सहन करने में प्रयोग में लायी जा सकती हैं। टियर II की पूँजी हानि सहनशक्ति क्षमता टियर I पूँजी से कम होती है। |